खण्ड-370, अंक-9
गुरूवार, 3 श्रावण, शक संवत् 1907
(25 जुलाई, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 370 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1
प्रश्नोत्तर	..	3–44
मूतपूर्व सदस्य, श्री जितेन्द्र पाल सिंह तथा श्री प्रताप सिंह के निधन पर शोकोद्गार	..	44–47
आगरा नगर महापालिका क्षेत्र में जल भराव से हजारों मकानों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	47–48
उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम, कानपुर द्वारा कच्चे माल के आबंटन में अनियमितता एव घूसखोरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	48
डुमरियागंज, बस्ती में बाढ़ पीड़ितों को दी गयी सहायता में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	48–49
ग्राम तोरा, उन्नाव के ड्रेन की सफाई न होने से संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	49
रतना शुगर मिल शाहगंज, जौनपुर के श्रमिकों के बकाये वेतन से क्रमिक अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	49–50
फिरोजाबाद में पाइरिला रोग के उपचार हेतु वितरित की गयी दूषित दवा के मूल्य माफ किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	50
देवरिया जनपद के आबकारी अधिकारियों की साजिश से शीरे की तस्करी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	50
सीतापुर में सरायन नदी पर बांध बनाने तथा नदी के किनारों को ऊंचा करने की योजना में विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	50–51
मझोआ कला, थाना क्षेत्र रुदौली, बस्ती म पुलिस द्वारा हरिजनों को सताये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	51
उत्तराखंड के जनपदों में अभूतपूर्व वर्षा से धन-जन की क्षति होने और उसके मुआवजे की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	51–52
उ0 प्र0 राज्य नियोजन संस्थान की नियुक्तियों में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	52
हापुड़, गाजियाबाद तथा सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर में यमुना एवं हिंडन नदियों के तटबंध कार्य अपूर्ण होने से संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	52
इलाहाबादी अमरूद उद्यानों को विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद से हटा कर फल पट्टी घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	53

विषय		पृष्ठ–संख्या
मदनपुर, करहल, मैनपुरी के बोहड़ ग्रामों में नील गायों द्वारा फसलों की बर्बादी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	53
नगरपालिका बलिया क्षेत्र में जल भराव एवं गंदगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	53–54
सहारनपुर में हुए दंगे के विषय म मुख्य मंत्री से वक्तव्य की मांग (जारी)	..	54–55
उ0 प्र0 के हिमालय पर्वत सीमान्त क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से तस्करी तथा जासूसी होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	55–56
सहारनपुर में हुए दंगे के विषय में मुख्य मंत्री से वक्तव्य की मांग (जारी)	..	57
पंजाब समस्या पर प्रधान मंत्री तथा अकाली दल के अध्यक्ष के बीच हुए समझौते पर मुख्य मंत्री द्वारा सदन में बधाई प्रस्ताव लाने की मांग	..	57–58
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	..	58
उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	58
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	59
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	59–60
सहारनपुर में हुए दंगे के विषय में मुख्य मंत्री से वक्तव्य की मांग (क्रमागत)	..	60–64
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी)	..	64–70
वित्तीय वर्ष 1985–86 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 11–खाद्य तथा रसद विभाग (जारी)	..	70
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)	..	70–71
वित्तीय वर्ष 1985–86 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 11––खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	..	71–100
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	100
नरैनी, बांदा के किसान परिवारों की लाख बिजली के तारों से जलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	100–102
जिला परिषद्, इटावा के अभियन्ता द्वारा लाखों रुपये गबन किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	103–106
स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित दिनांक 18 जुलाई, 1985 के तारांकित प्रश्नों पर प्रश्नोत्तर	..	106–113
नत्थी	..	115

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 25 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (झांसी)
कल्याण सिंह, श्री (अलीगढ़)
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री (गाजियाबाद)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा० (आगरा)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
जगदीश नारायण, श्री (गोरखपुर)
जनार्दन प्रसाद आज्ञा, श्री (गोरखपुर)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जयराम वर्मा, श्री (फैजाबाद)
तिलक सिंह, श्री (अलीगढ़)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
धनराज यादव, श्री (बस्ती)
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
नारायण हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
नियाज हसन, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री (कानपुर)
प्रेमलता बच्चूवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
फजले मसूद, श्री (देवरिया)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बहादुर सिंह, श्री (आगरा)
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
भगवती प्रसाद, चौधरी (मिर्जापुर)
मंगल देव, श्री (गोंडा)
महरम सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महावीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री (रायबरेली)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (नैनीताल)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शारदा प्रसाद विन्द, श्री (वाराणसी)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
हर नारायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)
हरिश चन्द्र (हरीश जी), श्री (बस्ती)

नोट--शिक्षा मंत्री श्री सिन्हे रजी भी सदन में अनुपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, दिनांक 25 जुलाई, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में चीनी वितरण की दोहरी नीति का औचित्य

**1— श्री शारदा प्रताप—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के समस्त नगरों में प्रति यूनिट 1 किलोग्राम चीनी दी जाती है तथा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 250 ग्राम चीनी दी जाती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस दोहरी नीति का औचित्य क्या है तथा इस विषमता को दूर करने हेतु तुरन्त आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बासुदेव सिंह)—

जी हां ।

वर्तमान समय में प्रदेश के मैदानी जिलों के शहरी क्षेत्रों एवं पर्वतीय जिलों में एक किलो ग्राम प्रति यूनिट तथा मैदानी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 250 ग्राम प्रति यूनिट की दर से लेवी चीनी उपलब्ध कराई जा रही है । प्रदेश को भारत सरकार से प्राप्त होने वाली लेवी चीनी के सीमित आवंटन, प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में चीनी की खपत एवं मांग को ध्यान में रखते हुए चीनी की वितरण दरें समय-समय पर निर्धारित की गई हैं । शहरी क्षेत्रों में तथा पर्वतीय जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा चीनी की मांग एवं खपत अधिक है जब कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुड़, खांडसारी आदि के उपयोग आदि के कारण मांग एवं खपत अपेक्षाकृत कम है । अतः इस दोहरी व्यवस्था को समाप्त करना प्रस्तावित नहीं है । साथ ही भारत सरकार द्वारा 425 ग्राम प्रति यूनिट को आधार मानकर कोटा आवंटित किया जाता है, जिसके अनुसार प्राप्त आवंटन में ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये सम्पूर्ण प्रदेश में एक किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से लेवी चीनी उपलब्ध करा पाना सम्भव नहीं है ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने मांग और खपत की बात बताई कि शहरों में चीनी की मांग ज्यादा है और देहातों में चीनी की मांग कम है, उसके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उनका पैमाना क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह का हिन्दी और उर्दू का है और उसी तरह से देहात और शहर को नाप रहे हों । मान्यवर, शहरों और देहातों के लोगों की चीनी की मांग अलग-अलग क्या है और खपत क्या है ? क्या सरकार ने इस बात का कभी सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो कब कराया है और किसके द्वारा कराया है ?

श्री बासुदेव सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बड़ी दिलचस्प बात उठायी है, इस सम्बन्ध में उनको बेहतर मालूम होगा। अखबारों में चाहे जो हो, मगर जिस दृढ़ता से मेरा विचार उस विषय में है, उससे अधिक दृढ़ विचार इस विषय में है । माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है, गांव की जिन्दगी को देखते हुए गांव में चीनी की खपत कम है और मांग भी कम है और फिर कुछ बातों में फर्क नहीं है, शादी विवाह में 100 किलो पुत्री की शादी में, 50 किलो पुत्र की शादी में दी जाती है, चाहे शहर हो या ग्राम । अगर कोई उत्सव है, होली है, ईद है, उस अवसर पर 25 किलो चीनी का प्राविधान है । मैं फर्क नहीं करता हूं । मैं भी गांव में रहता हूं और गांव की जिन्दगी को जानता हूं और देखता हूं, जो चीजें

गांव वाले पैदा करते हैं, उसकी हीनता न आवे, तो बड़े से बड़े आदमी को गुड़ खिलावें ।

एक सदस्य--

शहरों में भी गुड़ खिलावें ।

श्री वासुदेव सिंह—

शहर में वह पैदा नहीं होता है । जो माननीय सदस्य ने चाहा है, उसका सर्वेक्षण कराया है और पहले कुछ दिन के लिए एक किलो के हिसाब से वितरित करने की व्यवस्था की लेकिन वह चली नहीं, क्योंकि खपत नहीं है, मांग कम है । 425 ग्राम के हिसाब से भारत सरकार आवंटित करती है, अगर भारत सरकार ने हमारे कहने पर कोटा बढ़ा दिया तो ग्रामीण अंचलों में जरूर ज्यादा कर देंगे । आयातित चीनी हमारे पास इतनी है, बाम तो ज्यादा है, 5.90 है और इसका 4.40 है । अगर किसी को बहुत जरूरत है तो वह खरीद ले, चीनी की कमी नहीं है और जरूरत भर की चीनी है । मैं एक सिद्धान्त बताये देता हूं । बेचते-बेचते लोग अमीर हो जाते हैं और खरीदते-खरीदते गरीब हो जाते हैं । आवश्यक वस्तुओं की खरीद बढ़ाना न गांधीवाद के अनुरूप है न समाजवाद के ।

श्री शारदा प्रताप-

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि...

श्री अधिष्ठाता--

आपको अनुमति नहीं मिली, आप पूछ कैसे रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि हमारे पास बफर स्टाक है । पिछले समय में एफ0 सी0 आई0 आपको चीनी देना चाहता था लेकिन आपने लिया नहीं क्योंकि आपने कहा कि हमारे पास गोदाम नहीं है, जगह नहीं है, और इतनी चीनी है कि 5/7 वर्ष तक न भी ले तो काम चल सकता है । तो उस बफर स्टाक को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी चीनी पर जो नियंत्रण लगा हुआ है उसको समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

बफर स्टाक को देखते हुए और जिसकी अपेक्षा के प्रति सरकार का दृढ़ मत है वह प्रचलित है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या माननीय जी यह बतायेंगे कि प्रदेश में पर्वतीय इलाकों में और मैदानी इलाकों के ग्रामीण अंचलों में क्या एक ही मानक है चीनी की आपूर्ति का ? यदि अलग-अलग है तो इसका क्या कारण है ?

श्री अधिष्ठाता--

इसका उत्तर आप जवाब में देख लें ।

श्री शतद्रु प्रकाश—

मान्यवर, पर्वतीय और मैदानी इलाकों को देखते हुए फर्क तो दिया हुआ है लेकिन पर्वतीय और मैदानी इलाकों के ग्रामीण अंचलों में फर्क के बारे में नहीं दिया है । इसलिए इन दोनों में फर्क करने का क्या आधार है ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, शहरी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक किलो के हिसाब से और ग्रामीण अंचल के लिए 250 ग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से है ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि धार्मिक त्योहारों पर या शादी-ब्याह में अलग से चीनी की व्यवस्था है । मैं लखनऊ जनपद के बारे में जानना चाहता हूं कि इन्होंने लखनऊ जनपद के लिए शादी-ब्याह

और त्योहारों के मौके पर कितनी चीनी का आवंटन निर्धारित किया है ?

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न में लखनऊ जनपद से ताल्लुक नहीं रखा गया है लिहाजा इसे सम्मिलित नहीं कर सकते ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि 250 ग्राम शकर प्रति यूनिट न देकर प्रति कार्ड पर दिया जाता है और इसीलिए फर्जी कार्ड ग्राम सेवकों के जरिये बना दिये गये हैं ? दूसरी बात यह है कि शासन की क्या कोई ऐसी नीति है देहात और शहर की, कि हिन्दू-मुसलमान या उर्दू-हिन्दी को लड़ाया जाय ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, माननीय बुनियाद अली जी बेबुनियाद बात कह रहे हैं । बुनियादी सवाल का बुनियादी जवाब यह है कि हमारा जो संविधान है उसमें धर्म-निरपेक्षता की बात कही गई है और इसी धर्मनिरपेक्षता की बात रखने वाले के मन में और दिमाग में कहीं कुछ भ्रम है ।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठें ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में कार्ड वितरित न किये जाने के क्या कारण हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न में इसका हवाला नहीं आया है ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि हमने इस तरह से किया है । देहात में मांग क्या है, जब तक यूनिट की जानकारी न हो, तब तक कैसे जानेंगे कि वहां चीनी की क्या मांग है ? मंत्री जी बतायें कि ग्रामीण अंचल में क्या कार्ड वितरित हो चुके हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

यह अलग से आप प्रश्न उठायें ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मैं मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बताया कि शहरों में और देहातों में जब चीनी का वितरण होता है तो शहरों में चीनी की खपत ज्यादा मात्रा में होती है और देहातों में कम होती है। चूंकि देहात में गरीब और किसान रहते हैं इस वजह से यह किया गया है या वितरण प्रणाली में कोई त्रुटि है, जिसकी वजह से यह किया गया है ?

दूसरा यह कि जो ब्लाक स्तर में चीनी का वितरण होता है, उसमें 10 या 5 बोरी भेजते हैं, वह सारी की सारी चीनी ब्लाक में नहीं पहुंच पाती है और शहरों में बेच दी जाती है तो उसके बारे में माननीय मन्त्री जी क्या कार्यवाही ऐसे लोगों के खिलाफ करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है यदि माननीय सदस्य उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करेंगे तो अवश्य कार्यवाही करेंगे ।

श्री औसान सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ग्रामीण अंचलों में ढाई सौ ग्राम शक्कर का निर्धारण किया गया है वहां कार्ड न होने के कारण और भ्रष्टाचार के कारण वह ढाई सौ ग्राम

भी नहीं मिल पाती है। तो क्या इस वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए एक नहीं कई आदेश, परिपत्र यहां से गए हैं। कार्ड पर ही आवश्यक वस्तुयें दी जाती हैं। कहीं कार्ड पुराने हैं और नये नहीं गए हैं तो माननीय सदस्य कहेंगे कि हमारे लिए या तहसील में नए कार्ड नहीं गए हैं तो उनको हम व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि कार्ड पर ही चीनी 250 ग्राम देने की व्यवस्था है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए गुड़ खाने का सुझाव दे दिया तो क्या वह यह सुझाव शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भी देंगे ताकि शक्कर की खपत कम हो सके। दूसरा--

श्री अधिष्ठाता--

एक ही सवाल करें सप्लीमेन्टरी पर सप्लीमेन्टरी मत कीजिए।

श्री वासुदेव सिंह--

शहर के माननीय स्वास्थ्य मन्त्री बैठे हैं, इनसे कह सकते हैं कि चीनी कम खाएं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि गांव और शहर में थोड़ी फर्क है। दूसरा यह कि भारत सरकार ने कोटा निर्धारित कर रखा है। अगर वह बढ़ा देंगे तो हम भी बढ़ा देंगे।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, यह चीनी का जो सवाल है, यह सवाल तो बहुत मोठा है। इसमें जो ग्रामीण और शहरी अंचलों का मामला है, इसमें जहां तक चीनी की आपूर्ति का सम्बन्ध है, उसमें हम कोई आपका दोष नहीं मानते हैं, क्योंकि जो भी सरकार होगी, उसे इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि चीनी जो गांवों में जाती है या शहरों में जाती है, वह इसलिए बिक नहीं पाती है कि जिस एजेन्सी से उसे बेचते हैं, उससे उनका खर्च नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से वह चीनी को ब्लैक करने की कोशिश करते हैं। चाहे शहर का हो या ग्रामीण अंचल का हो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या व्यवस्था करेंगे कि जिससे वह लोग चीनी को आसानी से लोगों को बेच सकें, क्योंकि इसमें मारजिन बहुत कम रहता है ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह उपयुक्त सवाल उठाया गया है, इसका परीक्षण किया जायेगा। जो दुकानें नहीं चल रही हैं चाहे वह चीनी की हो या मिट्टी तेल की उसमें लाभांश बहुत कम है। लेकिन जो दुकानें चलाने वाली एजेन्सियां हैं वे एक चीज नहीं बेचती हैं कई चीजें बेचती हैं। जैसे गेहूं या चावल है, उसमें फायदा हो जाता है। इसी तरह से आयातित चीनी में बहुत फायदा हो रहा है। तो यह सब के लिए लागू होती है। माननीय सदस्य त्रिलोक चन्द्र जी ने जो बात कही है, उसको हम देखेंगे।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, एक सवाल और करने दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

इसमें बहुत समय हो गया है। समय के अन्दर ही खतम करना है दूसरे सवालों को भी मौका मिलना चाहिये।

लखनऊ मेडिकल कालेज की छात्रा चन्द्र प्रभा की मृत्यु की जांच

**2--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि लखनऊ मेडिकल कालेज एम0 डी0

की एक छात्रा चन्द्र प्रभा को 7/8 जुलाई, 85 की रात छात्रावास में मृत अवस्था में पाया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच इस बिन्दु पर कराई है कि मृत्यु का कारण कालेज में उत्पीड़न तो नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व एक छात्र गिरीश चन्द्र जैन की मृत्यु भी इसी प्रकार हुई थी ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जन-स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

डा0 कु0 चन्द्र प्रभा को 6/7 जुलाई, की रात में छात्रावास में मृत अवस्था में पाया गया था । यह आत्म हत्या का मामला था और पुलिस द्वारा इसकी तफतीश हो रही है ।

निदेशक चिकित्सा शिक्षा को इस पूरे मामले में जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं । उनकी जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैंने इस सदन में लेखानुदान को उपस्थित करते हुये यह कहा था कि मेडिकल कालेजों में आत्महत्याओं की घटनायें विगत 4-5 वर्षों में 8-9 घटी हैं । इसमें सदन को अवगत कराया था कि उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज के द्वारा इन मेडिकल कालेजों की जो स्थिति है उसको सौंप रहे हैं कि क्यों आत्महत्यायें हुईं, यह घटनायें क्यों घट रही हैं, क्या शिक्षा की व्यवस्था है ? तो मैं सोचता हूं कि श्री राजेन्द्र गुप्त इसकी जांच रिपोर्ट आने तक के लिए इसको स्थगित कर देंगे ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न में इस बिन्दु पर दबाव डालने की चेष्टा किया था कि क्या इस बिन्दु पर जांच कराई गई है कि मात्र आत्म हत्या का मामला है या अध्यापकों द्वारा प्रताड़ित करने से आत्म हत्या हुई है ? मेरी बात को सही मानकर और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि लखनऊ मेडिकल कालेज में 1976 में डा0 भारतेन्दु नारंग ने, 1978 में डा0 देवल ने गोमती में कूदकर जान दी, 1979 में डा0 सुधीर मोहन चक्रवर्ती ने, 1979 में डा0 मिट्ठूगावा ने, 1980 में डा0 बलविन्दर सिंह ने, 1984 में डा0 राटू ने आत्म हत्यायें की और इसी तरह आगरे में आत्महत्यायें हुई हैं और आपने एक जूडीशियल इंक्वायरी की बात कही है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका प्रश्न हो गया । संक्षेप में कहें ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

तो मैं जानना चाहता हूं कि उस इंक्वायरी का टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, मुख्य मुद्दा यह है कि क्या कारण हैं कि हमारे छात्र और छात्राओं की मृत्यु होती है । आत्महत्या हुई या हत्या हुई, तो किन कारणों से हुई या नारमल मृत्यु हुई है । इन कारणों के अन्तर्गत क्या कारण हैं या प्रशासन की कोई कमजोरी है या हमारी शिक्षा संस्थाओं में कोई बिन्दु ऐसे हैं, जिनसे छात्र परेशान होते हैं ? होटल मैनेजमेन्ट मेडिकल कालेजों में एम0 बी0-बी0 एस0 के फाइनल ईयर्स, मास्टर डिग्री और डिप्लोमा धारी डिग्रियों में इस तरह की घटनायें विगत 10 वर्षों में घटी, तो क्यों ? इसके अन्तर्गत सारी चीजें आ रही हैं ।

डा0 दिनेश जौहरी--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पिछले 5 वर्षों में अन्डर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों में से कितने छात्रों ने उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों में आत्म हत्यायें की हैं और उसके क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह प्रश्न तो नहीं था, लेकिन मैं जानकारी दे रहा हूं कि 8–9 व्यक्तियों की आत्म हत्याओं की घटनायें हुई हैं, वह क्यों हुई इसके लिए न्यायिक जांच करा रहा हूं ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मानते हुए किये प्रदेश के मेडिकल कालेज में जातिवाद, पक्षपात, भाई-भतीजावाद से ग्रसित हैं, इसलिए मेधावी छात्र उत्पीड़न के कारण आत्महत्यायें करते हैं, क्या इसकी जांच मन्त्री जी करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, इसलिए इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी ने इस घटना का जिक्र करते हुये लेखानुदान प्रस्तुत करते समय कहा था कि इसकी जांच होगी और आज मंत्री जी ने कहा कि अब तक के सारे ऐसे काण्डों की जांच होगी, तो आज आपने साविकार कहा कि यह आत्महत्या का केस है, तो यह आत्महत्या क्यों हुई ? क्या उत्पीड़न से हुई या उसको अपमानित किया गया, जिससे आत्मग्लानि के कारण उसने यह की, तो क्या इन बिन्दुओं की आप विशेष जांच करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का पहले ही जवाब आ चुका है, उन्होंने पहले ही कहा है कि सारे कारणों की जांच करायी जायेगी ।

श्री मैनेजर सिंह—

देखिये अभी इसका जवाब कहां आया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मैंने मृत्यु के बारे में कहा है, वह आत्महत्या से हुई, हत्या से हुई अथवा स्वाभाविक मृत्यु हुई, इन सबके बारे में जांच करेगा, कैसी मृत्यु हुई और वह किस कारण से हुई यह सब उस जांच का विषय होगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

पहले जवाब इनका आ जाने दीजिये, तब आप बोलें ।

श्री लोकपत्ति त्रिपाठी—

मालूम हुआ था यह बीमार हैं और बलरामपुर अस्पताल में हैं । मैं इनको देखने जाने वाला था, यह बहुत एजीटेटेड हैं । जब जांच हो रही है, तो वह हर पहलू से होगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

डाक्टर चन्द्र प्रभा की जो मृत्यु हुई है, उसके सम्बन्ध में मृतक के भाई का क्या कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हुआ है, तो वह क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मैं अनुरोध कर रहा हूं, जब मैं इसको सुपुर्द कर रहा हूं, तो इनके भाई ने कोई शिकायत की है, तो वह शिकायत भी उस जांच का एक अंग होगी । उनका कोई पत्र है, हमारा कोई पत्र है, तो वह भी उस जांच का एक अंग होगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन सारे मामलों में कोई और जांच भी किसी कमेटी के जरिये से कराई जा रही है ? और वह जांच, जो मुख्य मंत्री और वहां के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के बाद बातों के साथ तय हुई, उन बातों के खिलाफ भी जाकर उसको कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अधिष्ठाता—

इसका जवाब, मूल, उत्तर के दूसरे पैरा में दिया हुआ है कि पहले ही निदेशक से जांच कराई जा रही है। उसके बाद ही यह कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी मिली है, जैसा अभी बेनी प्रसाद जी ने भी अपने सवाल में कहा है, उस लड़की के भाई, जो खुद विजीलेंस में एक अच्छे पद पर हैं, ने भी इस आत्महत्या के पीछे के कारणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि उस डाक्टर के विभागाध्यक्ष और प्रधानाचार्य डाक्टर सेठी के उत्पीड़न और अनियमित अनुशासन वगैरह के कारण विवश होकर उसने आत्महत्या की है ? इसी तरह की मांग वहां के जूनियर डाक्टर्स ने भी की है, तो क्या जांच समिति को यह बिन्दु भी सन्दर्भित कर दिया जायेगा कि जो डा० सेठी के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं, उनकी भी वह जांच कर ले ?

श्री अधिष्ठाता—

मेरे ख्याल से यह सवाल पहले से कवर है। जब सारे कारणों की जांच होगी, तो उसमें यह भी हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

उसके भाई ने प्रधानाचार्य डाक्टर सेठी के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये हैं कि उसने उसके कारण से आत्महत्या की है, तो क्या उसकी भी उससे जांच आप करायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जैसा मैंने बेनी प्रसाद जी के सवाल के उत्तर में कहा है यदि कोई पत्र है तो वह भी उस जांच का अंग बनेगा।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[वि० 17-7-85 को ता० प्र० सं० 6 द्वारा उत्तरित]

मथुरा जिले में जलप्लावन से उत्पन्न मलेरिया की रोक थाम

*2—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी में है कि प्रतिवर्ष मथुरा जनपद में अतिवृष्टि के कारण हुये जल-प्लावन से मलेरिया की बीमारी भयंकर रूप धारण कर लेती है ? यदि हां, तो शासन भविष्य में इस महामारी पर नियन्त्रण पाने के लिए कौन-कौन से उपाय कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। अतिवृष्टि के कारण जल प्लावन आदि होने से मलेरिया रोग के प्रसारण की आशंका बढ़ जाती है, जिसके रोकथाम के लिए पहले से ही निरोधात्मक कार्यक्रम प्रभावी कर दिये गये हैं।

मलेरिया प्रकोप को नियंत्रित रखने तथा रोगियों को उपचार देने के कार्य को और तीव्र कर दिया गया है। कीटनाशी औषधियां सभी प्रभावित जिलों में पहुंच गयी हैं व इनके छिड़काव का एक चक्र समाप्त किया जा चुका है। द्वितीय व तृतीय चक्र का भी प्रबन्ध किया जा चुका है। सभी जिलों में मलेरिया के उपचार की औषधियां भी उपलब्ध करा दी गयी हैं।

यदि कहीं रोग के भयंकर रूप धारण करने की सम्भावना अथवा सूचनायें मिलती हैं, तो वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जनपद के मुख्यालयों से औषधि के वितरण हेतु विशेष दल बनाकर निरोधात्मक एवं उपचारात्मक प्रक्रियायें प्रभावी कर दी गई हैं।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि प्रतिवर्ष दवा का छिड़काव करते हैं लेकिन मच्छरों पर मान्यवर, कोई असर नहीं होता है। जैसे पायरिला पर दवा छिड़की जाती है लेकिन पायरिला मर नहीं रहा है और ईख की फसल नष्ट हो गयी है वह स्थिति मच्छरों की है। मथुरा की विशेष स्थिति को देखते हुये वहां पर ऐसी कोई दवा छिड़कवाने की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे मलेरिया पर रोक लगे। वहां पर कोई विशेष डाक्टरों का दल भेजकर कोई ऐसी दवा का छिड़काव करवायेंगे ताकि मलेरिया न फैले ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, मलेरिया और मच्छर दो चीजे हैं। मलेरिया को तो मथुरा में कन्ट्रोल कर लिया गया है, 1982–85 के बीच में मलेरिया का घनत्व कम हो गया है। लेकिन मच्छरों पर कन्ट्रोल नहीं कर पाये हैं। सन् 84 में मैंने सदन में बताया था कि भारत सरकार और भारत से सटी हुयी जो अन्य विदेशी सरकारे हैं, तो डब्लू० एच० ओ० के माध्यम से एक समिति का गठन हुआ है जो इस प्रकरण को देख रही है कि मच्छरों का निस्तारण कैसे किया जाय। 17/18 तारीख को दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन था उसमें मैंने प्रश्न उठाया था। तो मलेरिया की वैक्सीन अमेरिका में बनायी गयी है जिसको मथुरा और तराई के किसी एक जनपद में जहां सबसे अधिक घनत्व होगा वहां उसके प्रयोग पर विचार करने वाले हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मथुरा में छाता और मांट क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र के किनारे के क्षेत्र में गरदन तोड़ बुखार से सैकड़ों आदमियों की जानें गयीं हैं। यहां पर जलप्लावन अधिक होता है। यह ब्रज का वह क्षेत्र है जहां पर त्योहार जन्माष्टमी तक चलते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न करें।

श्री लक्ष्मी नारायण—

इस क्षेत्र में मलेरिया का जो भयंकर प्रकोप है उसको रोकने के लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में मच्छरों का प्रकोप धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मलेरिया और अन्य सम्बन्धित बीमारियां मच्छरों के डंक मारने से हो रही हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी पूरे प्रदेश में मलेरिया की रोकथाम के लिये हर जिले या गांव में दवा छिड़कवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, सारे प्रदेश से यह समस्या दूर नहीं होगी, जब तक कि एक जैसा पूर्व में आज से 20–25 वर्ष पहले कार्यक्रम चला था समूचे एरिया में, जब तक पूरे एरिया में इसको न चलाया जायगा, मच्छरों को समाप्त नहीं किया जा सकता। इनसे जो बीमारियां, फाइलेरिया और मस्तिस्क ज्वर है, उन पर हम नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और नियंत्रण में हैं।

नये होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्वीकृति

*3—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नये होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्वीकृति शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा स्वीकृति कब तक प्रदान की जायगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां, किन्तु इसके लिये जिला सेक्टर में परिव्यय उपलब्ध होने पर ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, अनुदान में भी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने 67-68 चिकित्सालयों की बात की है । अगर जिला योजनाओं से इससे अधिक पद स्वीकृत होकर आयेंगे, तो उसका समावेश कर दिया जायगा ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, जितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं, उन पर क्या होम्योपैथिक चिकित्सक नियुक्त करेंगे । दोनों में कौन सा सही है, जो आपने अनुदान में बात कही है या जो आज कह रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, दो अलग प्रश्न हो गये, सम्मानित रेवती रमण सिंह जी, जो सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, जो इनका प्रश्न है वह यह है "क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नये होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्वीकृति शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा स्वीकृति कब तक प्रदान की जायगी ?" संख्या यहां पर दी जा रही है । अगर जिला योजनायों से नये पद सृजित होकर आते हैं, तो उनका समावेश कर लिया जायगा । 150 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में होम्योपैथिक चिकित्सक तीसरे डाक्टर के रूप में नियुक्त किये जायेंगे, यह मैंने कहा है ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 15 अप्रैल सम्भवतः आखिरी तारीख थी आवेदन पत्र को दाखिल करने की, वह तारीख 15 अप्रैल भी कई महीने हो गये, बीत गयी, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति करनी थी, उनकी नियुक्ति अब तक न किये जाने का क्या कारण है ? क्या इन चिकित्सकों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश के बाहर के भी लोगों को भर्ती किया जा रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जो बाहर के रहने वाले अभ्यर्थी हैं, क्या उनके लिए भी शासन ने इसमें शामिल करने की स्वीकृति दे दी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, इसमें 5 हजार से ऊपर और 6 हजार से नीचे दरख्वास्तें हैं, जिसकी स्कूटिनाइज करने में विलम्ब हुआ है । सम्भवतः अगस्त से इसका इन्टरव्यू प्रारम्भ हो जायगा ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, जैसा कि आयुर्वेदिक डाक्टरों के सम्बन्ध में शासन की नीति है कि उत्तर प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को नहीं रखा जा रहा है, तो ऐसी कौन सी बात है कि होम्योपैथिक में उत्तर प्रदेश से बाहर के लोगों को शामिल किया जा रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, ऐसे एक प्रश्न हो गया, तो हाई कोर्ट में रिट हो गयी, स्टे ले लिया । आपने प्रश्न तो किया, अगर मैं उत्तर दे दूंगा, तो कल इसके सम्बन्ध में भी रिट हो जायगी और स्टे आ जायगा ।

जनपद अल्मोड़ा में डाक्टरों से रिक्त पद

*4--श्री पूरन सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा में अप्रैल, 1985

तक 80 से अधिक डाक्टरों के पद रिक्त हैं और उनमें दवा का वितरण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्वीपर एवं वार्ड ब्वाय कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या वर्ष 85–86 में डाक्टरों के रिक्त पद भर दिये जावेंगे ? महिला डाक्टरों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या हर विकास खण्ड में महिला डाक्टर उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद अल्मोड़ा में अप्रैल, 1985 तक एलोपैथिक डाक्टरों के केवल 60 पद रिक्त थे । जिन चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं है वहां औषधि वितरण का कार्य प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों द्वारा किया जाता है । 1985–86 में अधिकतर रिक्त पदों को भरने की पूर्ण सम्भावना है क्योंकि लोक सेवा आयोग से चयन की सूची उपलब्ध हो गयी है ।

जनपद अल्मोड़ा के हर विकास खण्ड में महिला चिकित्सालय स्वीकृत नहीं है । 7 महिला चिकित्सालयों में महिला डाक्टर का 1 (एक) ही पद रिक्त है ।

श्री पूरन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने अपने दूसरे पैरा में उत्तर दिया है कि 7 महिला चिकित्सालयों में महिला डाक्टर का एक ही पद रिक्त है मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भेजे जा रहे डाक्टरों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने जनपद मुख्यालय, जहां से महिला डाक्टरों को जो तनख्वाह मिलती है या शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले चिकित्सालयों में सम्बद्ध करते रहते हैं । जैसे मछोड़, पौनसाल भत्तरौजखान, देवायल, देघाट आदि ।

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न करें ।

श्री पूरन सिंह—

माननीय मंत्री जी टेलेक्स द्वारा सभी चिकित्सा अधिकारी को यह सूचना भिजवाने का कष्ट करेंगे कि जहां वह सम्बद्ध हैं वहीं उनसे काम कराया जाये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ऐसे आदेश हैं ।

श्री पूरन सिंह—

क्या अल्मोड़ा जनपद में सभी डाक्टरों के आवास की व्यवस्था है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सभी स्थानों पर आवास की व्यवस्था नहीं है ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

माननीय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं जैसी कि मेरी निजी जानकारी है. . . .

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न करें ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय क्षेत्रों से करीब 15 क्षेत्र चिकित्सकों का स्थानान्तरण किया गया है और उन्हें मैदानी क्षेत्रों में भेजा गया है । जब कि पर्वतीय क्षेत्रों में डाक्टरों की वैसे ही ज्यादा कमी रहती है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न करें । जो प्रश्न का उत्तर आया है उससे सम्बन्धित आप सवाल कर सकते हैं । अलग से सूचना मांगनी हो, तो आपको अलग से मन्त्री महोदय को लिखना पड़ेगा ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या डायरेक्ट्रेट से कोई परिपत्र स्थानान्तरण के विषय में भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या इस परिपत्र का परिपालन हो रहा है ?

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न को ओवर करता हूं ।

श्री पूरन सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह जनपदीय अस्पताल में शय्याओं के लिए एक नीति निर्धारण कर ली है, क्या वैसे ही तहसील लेविल के अस्पतालों में शय्यायें बढ़ायेंगे जैसे रानीखेत में 50 से 40 तक शय्यायें हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

इन प्रश्न को भी ओवर किया । प्रश्न संख्या—5 बाद में लिया जायेगा ।

आवश्यक वस्तुओं के आवंटन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

*5—श्री जयदीप सिंह बराड़—

(अनुपस्थित)

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री आवश्यक वस्तुओं के आवंटन में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे कि निजी डीलरों और सहकारी समितियों को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन करते समय उनकी मात्रा उस डीलर अथवा सहकारी समिति पर लगे हुये कार्डों एवं यूनिटों के अनुपात में हो और उपरोक्त आवंटन की पूर्व सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को भेजी जाय ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निजी दुकानदारों एवं सहकारी समितियों/संस्थाओं द्वारा संचालित उचित दर की दुकानों से सम्बद्ध राशन कार्डों/यूनिट्स के अनुरूप ही खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं का यथा सम्भव आवंटन करने तथा इस प्रकार के आवंटन की पूर्व सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रतिनिधियों/विधायकों को दिये जाने के सम्बन्ध में शासकीय आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज के कार्यमुक्त प्राचार्य डा0 खन्ना द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच

*श्री किशन लाल दिलेर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रिंसिपल डा0 वी0 के0 खन्ना के अपने पद से त्याग-पत्र देने का कारण क्या था ? क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि श्री खन्ना के विरुद्ध अनियमितता तथा धन सम्बन्धी गड़बड़ियों की शिकायतें थीं ? यदि हां, तो उसकी जांच कराई गयी और जांच के परिणाम क्या निकले ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

डा0 खन्ना ने स्वेच्छा से प्रधानाचार्य के पद के दायित्व से मुक्त किये जाने की प्रार्थना की थी जिसे शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया ।

जी हां ।

मामले में निदेशक एवं सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री किशन लाल दिलेर—

मेरे प्रश्न को आप देखें, मैंने पूछा था त्याग-पत्र देने का क्या कारण है ?

श्री अधिष्ठाता—

आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया ।

श्री किशन लाल दिलेर—

सही नहीं दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि जांच कब तक हो जायेगी और रिपोर्ट कब तक पटल पर रखेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

क्या प्रश्न है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आया । त्याग-पत्र देने के कारण क्या थे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

अपने मन से दिया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

जब यह उस पद पर थे तो वित्तीय आरोप लगाये गये थे ।

श्री अधिष्ठाता—

यह भाषण का समय नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

जो गड़बड़ी थी, उसकी जांच आदेश कब दिये गये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

विजीलेंस को शिकायत प्राप्त हुई थी, जांच हो रही है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

इस प्रश्न के उत्तरार्द्ध का उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ । इस्तीफा दे दिया । जिस समय इस्तीफा दिया, उस समय उनके ऊपर क्या आरोप थे ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अधिष्ठाता—

जांच रिपोर्ट आ रही है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

रिपोर्ट क्या है ?

श्री अधिष्ठाता—

अभी रिपोर्ट नहीं आयी है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

अन्तरिम जानकारी कुछ मिली है ?

श्री अधिष्ठाता—

नहीं ।

श्री सुखपाल पान्डे—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आरोप क्या थे, उनके खिलाफ जो आरोप थे उन पर जांच के आदेश कब दिये गये और जांच के कितने अंश की रिपोर्ट आयी है, कितना शेष है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जब वह प्रिंसिपल थे, तो कोई आरोप नहीं था । विभागाध्यक्ष थे, तो अनियमितता की रिपोर्ट आयी थी, विजीलेंस तीन वर्ष पूर्व से इसकी जांच कर रहा है । जो घपला हुआ है, जब आप शासन में थे तब का है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

विभागीय जांच के बाद कोई मामला विजीलेंस को सौंपा जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि विभागीय जांच में कौन से तथ्य आये, जिससे प्रभावित होकर, शासन ने इस मामले को विजीलेंस को दिया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जो विजीलेंस का सन्दर्भ है, उस पर विभागीय जांच नहीं हुई ।

*7—श्री काशी सिंह ऐरी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उन्नाव जिले में कतिपय अनियमितताओं के खिलाफ चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों का अनशन

*8—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22 नवम्बर, 1984 को श्री लक्ष्मीकान्त शुक्ला, प्रशासनाधिकारी, उन्नाव की मध्यस्थता में मुख्य

चिकित्साधिकारी, उन्नाव द्वारा गंज मुरादाबाद के डाक्टर मृगुच्छ दीक्षित को 15 दिन की अवकाश अवधि में ही स्थानान्तरित करने एवं डाक्टर डी0 सी0 खरे मौरावां, डा0 आर0 एन0 साहू अचलगंज, डा0 ओ0 एन0 मिश्रा, बीघापुर के विरुद्ध गबन, वित्तीय अनियमितताये, आदेशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं अवांछनीय धन लेने से सम्बन्धित गम्भीर आरोपों की जांच करने के वायदे पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त की थी ? क्या यह सही है कि कर्मचारी उन्हीं मांगों के क्रम में दिनांक 15 मार्च, 1985 से मे मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, उन्नाव के समक्ष क्रमक अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी व अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

जिला अधिकारी परगना अधिकारी श्री लक्ष्मी कान्त शुक्ला की स्थिति का मूल्यांकन करने भेजा था। उक्त परगना अधिकारी ने कर्मचारी नेताओं से बात की और हस्तक्षेप कर हड़ताल को समाप्त करवा दिया । अनशन के सम्बन्ध में शासन में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

श्री हृदय नारायन दीक्षित--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से सवाल करना चहता हूं अपने प्रश्न के उतर में जो अनुपूरक सवाल नहीं है । जब जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी श्री लक्ष्मी कान्त शुक्ला को हड़ताल समाप्त करवाने के लिए नहीं बल्कि स्थिति के अध्ययन के लिए भेजा था तो जिलाधिकारी के प्रतिनिधि लक्ष्मी कान्त शुक्ला ने हड़ताल क्यों खत्म करवा दी ? दूसरा है कि अनशन के सम्बन्ध में शासन में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ?

श्री [illegible]ता--

आप सवाल करें । इस पर जो जवाब आया है उससे सम्बन्धित सवाल करें । आखिर में जो जवाब आया है उसे आखिर में सवाल करें ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह यह है कि जब जिलाधीश के प्रतिनिधि के रूप में एस0 डी0 एम0 हां पहुंचे और एस0 डी0 एम0 ने कर्मचारी नेताओं से वार्ता को और हड़ताल समाप्त कराई । मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से माननीय सदस्य जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूं कि एस0 डी0 एम0 ने किन स्रोतों और किन आधारों पर उस हड़ताल को समाप्त कराया, मन्त्री जी बताने की कृपा करें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, एस0 डी0 एम0 ने कोई आश्वासन नहीं दिया । हस्तक्षेप कर जो हड़ताल कर रहे थे, राजस्व विभाग के द्वारा वहां परिवार कल्याण केन्द्र का कार्य चल रहा था, वहां उन्होंने उनको समझा कर हटा दिया ।

श्री हृदय नारायन दीक्षित--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने यह बताया है कि अनशन के सम्बन्ध में शासन को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । मैं जानकारी चाहता हूं कि जिलाधिकारी, उन्नाव ने जिनके पत्र की प्रतिलिपि मेरे पास है ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया भाषण न कर प्रश्न करें :

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, उन्नाव में

ज्वाइन्ट डाइरेक्टर स्वास्थ्य के निर्देशन पर कोई इनक्वायरी करवाई थी और जिलाधिकारी के माध्यम से एस0 डी0 एम0 शुक्ला ने कर्मचारी नेताओं को आश्वासन दिया था, इन आश्वासन की शर्तें क्या हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप सवाल करें ।

श्री मनोहर लाल --

मान्यवर, मैं सवाल ही कर रहा हूं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मेरे जिले से सम्बन्धित है ।

श्री अधिष्ठाता --

इसीलिये मैंने आपको मौका दिया है ।

श्री मनोहर लाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनके मुताबिक समझौता हुआ है, वह शर्तें क्या हैं ? और क्या दंड स्वरूप उन छोटे कर्मचारियों के स्थानान्तरण भी कर दिये गये हैं इस समझौते के खिलाफ ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, पहले तो माननीय मन्त्री जी यह बता दें कि जिन कर्मचारियों ने हड़ताल की थी उनका क्या आधार था ? दूसरा क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों को हड़ताल के सिलसिले में 30 मई को एक पत्र जिलाधीश की ओर से यहां भेजा गया निदेशालय में ? मान्यवर, क्या यह भी सही है कि माननीय मुख्य मन्त्री की ओर से उनकी बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी भी शामिल हुये ?

श्री अधिष्ठाता--

आप इनके प्रथम सवाल का जवाब दीजिये ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं तो एक ही प्रश्न समझ पाया, दूसरा नहीं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जिन कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि हड़ताल की गई थी, जिसमें एस0 डी0 एम0 ने हस्तक्षेप किया था, तो जो हड़ताल की गई थी, वह किन मांगों को लेकर की गयी थी, सीधा सा सवाल है और एस0 डी0 एम0 ने उन मांगों के बारे में क्या कहा ? मेरी निश्चित जानकारी है कि एस0 डी0 एम0 ने उन मांगों को पूरा करने के लिये आश्वासन दिया था और हड़ताल समाप्त करवाई थी ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, हड़ताल उन्होंने इसलिये की थी कि उनका जो बोनस का पैसा था, वह उनको नहीं मिला । उस समय दशहरे का त्योहार था, इसलिए वे बोनस चाहते थे । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जो अधिकारी थे वे बोनस दे नहीं पाये, इसलिये हड़ताल हुई । बाद में कर्मचारियों ने एक लिखित पत्र भेज दिया कि पैसा मिल गया और अब विवाद नहीं है ।

दुर्घटना में घायल श्री जयपाल सिंह, जिला बुलन्दशहर की मृत्यु की जांच

*9--श्री किरन पाल सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री खान चन्द पुत्र श्री जयपाल सिंह, निवासी ग्राम काजीपुर, थाना कोतवाली चांदपुर, जनपद बुलन्दशहर को जिला चिकित्सालय में 9 मई, 1984 को दुर्घटना के बाद गम्भीर हालत में भर्ती किया गया था ? क्या श्री खानचन्द को 12 मई, 1984 को चिकित्सालय की छकड़ा एम्बुलेंस में डालकर जबरदस्ती दिल्ली के लिए भेज दिया गया था

तथा क्या उक्त श्री खानचन्द के साथ एम्बुलेंस में जिला चिकित्सालय का कोई चिकित्सक या कम्पाउण्डर या नर्स साथ गये थे ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त श्री खानचन्द को रास्ते में मृत्यु होने के बाद उसकी लाश को जिला चिकित्सालय का कर्मचारी, जबरदस्ती सड़क पर फेंक कर एम्बुलेंस वापस लेकर आ गया था ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध म दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री खानचन्द पुत्र श्री जयपाल सिंह दिनांक 9 मई, 1984 को दुर्घटना के बाद गम्भीर हालत में जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर में भर्ती किया गया ।

सम्पूर्ण घटना की विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

श्रीमन्, श्री खानचन्द पुत्र श्री जयपाल सिंह दिनांक 9-5-84 को दुर्घटना के बाद गम्भीर हालत में जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर में भर्ती किया गया मान्यवर, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि इतनी बात ठीक है । इसके बाद दो दिन वह व्यक्ति चिकित्सालय में रहा, यह भी बात ठीक है, चिकित्सालय से वह दिल्ली ले जाया जा रहा था, वहीं से कोई संदेह है और मैंने स्वास्थ्य विभाग के एडीशनल डायरेक्टर को आदेशित किया है कि वे वहां जाकर इसकी जांच करके तथ्य सामने लाएं । मैं माननीय सदस्य से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह प्रश्न स्थगित कर दिया जाय । पन्द्रह दिन में इसके बारे में सही सूचना दे देंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी ने निवेदन किया था और माननीय सदस्य ने मान लिया, अतः अब यह प्रश्न पन्द्रह दिन बाद फिर आएगा ।

जनपद गोरखपुर स्थित डोहरिया में शहीद स्मारक बनाने का प्रस्ताव

*10—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि गोरखपुर जिले में स्थित डोहरिया नामक स्थान पर 1942 के जन विद्रोह में ब्रिटिश सरकार की गोली वर्षा से मृत शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

न्याय राज मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस तथ्य की जानकारी है कि डोहरिया में शहीद स्मारक निर्माण के लिए सचिव द्वारा जिलाधिकारी, गोरखपुर को मानचित्र तैयार करने के लिये कोई निर्देश जारी किये गये हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, श्री गोपाल देव पान्डेय, संयोजक का एक पत्र प्राप्त हुआ था उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव द्वारा शासन से प्रार्थना की थी कि वहां पर शहीद स्मारक का निर्माण कराया जाय । शासन ने इस पर विचार किया और उनको उत्तर भेज दिया ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या एक वर्ष पूर्व जिलाधिकारी को शासन के गृह सामान्य विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई पत्र भेजा गया था ? इस सम्बन्ध में मैंने एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि, क्या माननीय मन्त्री जी का यह जानकारी है कि शासन द्वारा मुख्य आर्कीटेक्ट श्री त्यागी को चौरीचौरा शहीद स्मारक का मैप तैयार करने के लिये कोई निर्देश जारी किया गया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, ऐसे कोई निर्देश नहीं जारी किये गये ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

मान्यवर, तथ्यों को छिपाया जा रहा है । मैं प्रिविलेज की नोटिस देता हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, चौरीचौरा शहीद स्मारक पर जो स्मारक बन रहा है, वह बन कर कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

जल्दी ही पूरा हो जायेगा । 19 मीटर की ऊंचाई तक बनना था स्तम्भ, 16 मीटर की ऊंचाई तक कंक्रीट का काम हो चुका है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, शहीदों की स्मृति में स्मारक बनते रहते हैं । यह एक छोटा सा मामला है । शासन का यह कहने का क्या कारण है कि चौरीचौरा बन जायेगा फिर यह बनेगा ? एक साथ विभिन्न स्थानों पर स्मारक बन सकते हैं । इस स्मारक के निर्माण को भी तत्काल प्रारम्भ न करा देने के क्या कारण हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

इसको भी शीघ्र ही पूरा करा दिया जायेगा । जहां तक गुप्त जी ने यह प्रश्न किया कि क्या कारण हैं कि दूसरे प्रस्ताव पर विचार नहीं होगा । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इससे कौन इन्कार करता है कि विचार नहीं होगा । प्रस्ताव पर निश्चित रूप से विचार होगा । केवल चौरीचौरा में ही नहीं प्रदेश में अन्य ऐसे स्थल हैं, जहां स्मारक बनाये जायेंगे ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इसका नक्शा बनाने का हुक्म दे दिया गया है । कलेक्टर ने चिट्ठी लिख दी है । मन्त्री जी कह रहे हैं कि इन्हें कोई जानकारी नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की जानकारी को सही मानकर क्या इस प्रकरण की छानबीन करायेंगे और उसके बाद उस पर कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

इसमें कोई आशंका की बात नहीं है । लेकिन, जैसा माननीय मिश्र जी ने कहा इसकी छानबीन करा लेंगे कि मुख्य आर्किटेक्ट को कोई बात कही गयी है, कोई कार्यवाही हुई है ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

मान्यवर, 8-4-85 को मैंने मुख्य मन्त्री जी के पास अभिलम्ब निर्माण करने के सम्बन्ध में सचिव के आदेश के पत्र की प्रतिलिपि भेजी है । क्या इसकी जानकारी उन्हें है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

जानकारी कर लेंगे । अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

मान्यवर, तथ्यों को छिपाया जा जा रहा है । मैं प्रिविलेज की नोटिस देता हूं ।

श्री सुखपाल पान्डेय--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच करायी गई ?

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी माननीय मिश्र जी को डरा रहे हैं, उन्हें डांट रहे हैं, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्नों पर व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है :

(व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मैं, इस सदन से प्रार्थना करूंगा और क्षमा चाहता हूं कि माननीय त्रियुगी नारायण जी के उस वक्तव्य पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं प्रिविलेज का नोटिस देता हूं, अज्ञानतावश कह दिया है, उसके लिए मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगता हूं और इस प्रकरण को समाप्त करें ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, इस मामले पर जो जांच अधिकारियों द्वारा की गई है क्या उसकी जांच गोरखपुर मंडल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कराकर सही तथ्य प्रकाश में लाने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

इस पर तो अन्तिम जवाब दे दिया गया है । मन्त्री जी यदि जवाब देना चाहें तो जवाब दे सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं । चौरी-चौरा के शहीद स्मारक को पूरा करने के बाद इसको भी पूरा किया जायेगा । शासन इससे कहां इन्कार कर रहा है । माननीय सदस्य, जिनका यह मूल प्रश्न है, उनसे अनुरोध करूंगा कि डोहरिया के शहीद स्मारक को भी पूरा किया जायगा ।

*11—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हर्ष वर्धन—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

श्री हर्ष वर्धन—

मान्यवर, मैंने तारांकित प्रश्न संख्या 11 के बारे में कुछ लिख कर नहीं दिया है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं इसकी जांच करवा लूंगा और बाद वाली सूची में इसे शामिल कर लिया जायेगा ।

उप कृषि निदेशक, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*12—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14/15 जनवरी, 1985 की रात उप कृषि निदेशक, फैजाबाद सपरिवार बफर गोदाम बाराबंकी में नशे की हालत में आये तथा वहां के कर्मचारियों को मारा-पीटा ? इस सम्बन्ध में वहां पर कार्यरत शिवचन्द्र राम कामदार की रजिस्ट्रीशुदा शिकायती दरख्वास्त दिनांक 21-1-85 कृषि मन्त्री, उत्तर प्रदेश तथा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री शिव बालक पासी)—

श्री शिवचन्द्र राम कामदार का शिकायती-पत्र दिनांक 21-1-85 नहीं बल्कि शिकायती-पत्र दिनांक 17-1-85 इसी प्रकरण में प्राप्त हुआ है ।

शिकायत की जांच करायी गयी । जांच में यह ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया है । अतः मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी को 17-1-85 को जो शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है, उसकी प्रमुख शिकायतें क्या हैं? इसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी और जांच में क्या चीजें आयी ?

श्री अधिष्ठाता—

इसका जवाब तो उत्तर में दे दिया गया है कि मुकदमा दायर हो गया है । यदि मन्त्री जी जवाब देना चाहें तो जवाब दे सकते

श्री शिव बालक पासी--

मान्यवर, यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, समझ में नहीं आता है । कृपया आप हमें संरक्षण दें । प्रशासनिक व्यवस्था या सामान्य नियम यह है कि किसी मामले के न्यायालय में जाने के बाद भी, विभागीय जांच चलती रहती है । उत्तर को मैंने भी पढ़ा । प्रश्न में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं कि वहां पर एक अधिकारी शराब पीकर लोगों को मार-पीट रहा है ।

इसकी शिकायत उसके सबार्डिनेट ने की और जब शिकायतकर्ता को शिकायत का कोई समाधान नहीं हुआ होगा तभी तो मान्यवर, वह न्यायालय में गया होगा । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब उसकी शिकायत उसके वरिष्ठ अधिकारियों को मिली तो यह नौबत कैसे आ गयी कि वह न्यायालय में चला गया ? आपने कोई विभागीय कार्यवाही की या नहीं और मान्यवर, न्यायालय में जाने के बाद भी डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी समाप्त नहीं होती ।

श्री शिव बालक पासी—

मान्यवर, 17-1-85 को....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी, आप जब भी सम्बोधन करें वह मुझे करें और मेरे माध्यम से सदस्यों को करें ।

श्री शिव बालक पासी--

17-1-85 को शिव चन्द्र ने एक शिकायती-पत्र सचिव कृषि को भेजा और उसमें शिकायत की कि 14/15 को रात को सवा नौ बजे फैजाबाद मण्डल के उप कृषि निदेशक श्री बदन सिंह वहां बाराबंकी बफर गोडाउन पर पहुंचे और उन्होंने कामदार को बुलाया । जब तक वह वापस नहीं आया था वह उसके पास चले गये क्वार्टर के पास और उन्होंने वहां गाली-गलौज तथा मार-पीट की....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शान्त रहें ।

श्री शिव बालक पासी—

उसके जांच के आदेश दिये अपर निदेशक ने संयुक्त निदेशक प्रशासन को 19 को । 20 को मौके पर जांच के लिए गये वहां पर....

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी, शिकायतकर्ता को शिकायत भी बता दें और विभागीय जाच के बारे में भी....

श्री शिव बालक पासी--

मान्यवर, एक मिनट में सब बताये देता हूं । वहां पर गवाही भी ली गयी और जांच रिपोर्ट से साबित हुआ कि मामला न्यायालय में दायर कर दिया तो जब वह न्यायालय में चला गया है तो उस पर कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

विभागीय जांच क्यों रोक दी गई और जांच के वक्त एक बात पायी गयी कि मुकदमा चल रहा है तो विभागीय जांच की गई या नहीं और क्या माननीय मन्त्री जी आश्वस्त करेंगे कि विभागीय जांच करायेंगे ?

कृषि मन्त्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

17-1-85 को उन्होंने शिकायत की और 21-1-85 को मुकदमा दाखिल कर दिया । कोई अवसर ही ऐसा नहीं था । वह मामला अदालत में विचाराधीन है । जब हमारे जांच अधिकारी गये तो यह जानकारी में आया कि मामला अदालत में पेंडिंग है तो उस पर कोई

कार्यवाही की जरूरत नहीं समझी गयी और जो निर्णय अदालत देगा उसी के हिसाब से अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या न्यायालय ने कोई स्टे आर्डर दिया था कि कार्यवाही रोक दी जाय ? यह एक बैधानिक मुद्दा है, अगर यह प्रक्रिया चालू रहेगी तो प्रशासन से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा । प्रश्न यह था कि एक वरिष्ठ अधिकारी शराब पीकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, नीचे के कर्मचारी जो मारे-पीटे गये थे, उनको जब विभाग से न्याय की आशा नहीं रही हो तो उन्होंने कोर्ट में मुकदमा चला दिया । अगर न्यायधीश यह कहते कि विभागीय कार्यवाही रोक दी जाय तब तो विभागीय कार्यवाही रुक सकती थी । इस प्रकार जांच रोकने की परम्परा अगर पड़ जायेगी तो प्रशासन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कोर्ट से कोई स्टे आर्डर नहीं था तो विभागीय जांच क्यों रोक दी गयी ? माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये हैं, मैं उनसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मैंने निवेदन किया कि 17-1-1985 की दरखास्त है और 30-1-1985 को उन्होंने मुकदमा कायम कर दिया । जांच अधिकारी जब गये तो उनको बताया कि अदालत में मुकदमा कायम कर दिया है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

इनके पास अदालत का कोई कागज है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

मुकदमा सी0 जे0 एम0 की अदालत में विचाराधीन है । मुद्दई का बयान हो चुका है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

स्टे तो नहीं है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जब उसी सम्बन्ध में अदालत में विचाराधीन है तो इधर जांच की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या यह कोई प्रक्रिया है कि अगर कोई अदालत में चला जायेगा तो विभागीय कार्यवाही नहीं हो सकती है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या इस सम्बन्ध में न्यायालय ने सम्बन्धित अधिकारी या विभाग के किसी बड़े अधिकारी को कार्यवाही न करने का कोई स्थगन आदेश या न्यायिक आदेश दिया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

इस तरह का कोई स्थगन आदेश नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

जो मुकद्दमा उस कर्मचारी से दाखिल किया है, उसके सन्दर्भित बिन्दु क्या हैं ? क्या उन पर कार्यवाही करने से मुकदमे पर कोई असर पड़ेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जैसा मेरे मित्र ने बताया शिकायत यह है कि उप निदेशक ने शराब पीकर कर्मचारियों को मारा-पीटा । उन्हीं शिकायतों को लेकर 10-1-1985 को ही श्री शिव चन्द्र राम न अदालत में मुकदमा दाखिल कर दिया । अगर इसमें कुछ समय और होता..

(घोर व्यवधान)

शिकायत के बारे में भी हमारे मित्र ने बहुत स्पष्ट बताया कि उप निदेशक महोदय वहां थे और कहना यह है कि

शराब पिए हुए थे, गाली गलौज की और मारा-पीटा लेकिन मैंने आपको बताया कि उस बारे में विशेष इसलिये नहीं कहना चाहता कि सारा मसला अदालत के विचाराधीन ह लिहाजा कुछ विशेष कहने की गुंजाइश नहीं है ।

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह के खड़े होने से व्यवधान) ।

श्री अधिष्ठाता--

नियम 28 देखें । इसमें यह है कि अगर कोई बात न्यायालय में कही गयी है तो उस पर यहां प्रश्न नहीं उठ सकता । श्री राम चन्द्र बख्श सिंह जी, मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, कृपया बैठें ।

(प्रश्न संख्या 13 पुकारे जाने पर) ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आने दिया इसलिए मैं सदन को छोड़ कर जाता हूं ।

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

गरीबी की रेखा से नीचे के निवासियों को स्वास्थ्य सहायता

*13--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को अनिवार्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य सहायता देने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के निवासियों को प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था, हो सकता है कि उसकी भाषा टेक्निकल जैसी कि मैं चाहता था, न रही हो और मंत्री जी ने उसका ऐसा उत्तर दे दिया क्योंकि मंत्री जी तो काशी के वासी हैं और भगवान शंकर का प्रसाद हमेशा इन पर सवार रहता है । मेरा प्रश्न यह था कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं वे जब अस्पतालों में जाते ह तो डाक्टर उनको 50 रु0 की दवा लिख देता है और दवा अस्पताल में रहती नहीं है, डाक्टर कहता है कि जाइये और बाजार से इंजेक्शन ले आइये तो ऐसे लोगों की दवा जो कि उनके द्वारा बाजार से क्रय की गयी है, उसके दाम क्या आप दिलाने का कष्ट करेंगे या शासन के पास इस प्रकार की योजना विचाराधीन है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

यह तो लागू ही है । अभी माननीय माता प्रसाद हमें समर्थन दिया ह और 50 रु0 की क्या हमें 50 करोड़ रु0 की धनराशि स्वीकृत की है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान लीजिये कि हम बीमार हैं, हमें दवा चाहिये, डाक्टर हमारे लिये कोई गोली लिखता है और उसकी हमारे स्वास्थ्य के लिये जरूरत है, तो वह दवा हमें बाजार से लेनी पड़ेगी । तो क्या ऐसी दवायें अस्पताल में होनी अनिवार्य नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता--

यहां कोई गोली देने का सवाल नहीं है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

दवा की कमी जरूर है पर ऐसा नहीं है कि दवा नहीं है । जिसकी आवश्यकता है, आवश्यकता जान कर दी जाती है और डाक्टर दवा देते हैं ।

कृषि विश्व विद्यालय, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाकार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*14--श्री जौहरी लाल त्रिवेदी (अनुपस्थित)-- क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में तत्कालीन सांसद, श्री राम नारायण त्रिपाठी द्वारा मुख्य मन्त्री को दिनांक 8 एवं 29 दिसम्बर, 1984 को लिखा गया पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक (27-4-1985) क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

विश्वविद्यालय द्वारा जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

फार्मेसिस्टों द्वारा की गयी हड़ताल एवं मांगों पर विचार

*15--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल मई, 85 में फार्मेसिस्टों द्वारा हड़ताल की गयी ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थी और शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठ--

दिनांक 15 अप्रैल, 1985 को फार्मेसिस्टों ने सामूहिक अवकाश लिया था।

मांगों की सूची संलग्न है। इन मांगों पर फार्मेसिस्टों के प्रतिनिधियों के साथ शासन स्तर पर हुआ विचार-विमर्श के अनुसार कार्यवाही की गई।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मांगपत्र में 21 बिन्दु हैं उसमें कुछ का औचित्य नहीं बनता, कुछ का परीक्षण कराया जा रहा है और कुछ पर विचार किया जा रहा है। औचित्य नहीं बनता है तो वह तो पहले ही कट गया। जिनका परीक्षण कराया जा रहा है और जिन बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है इनके सम्बन्ध में क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि परीक्षण का कार्य और विचार किये जाने का कार्य कितने दिनों में पूरा हो जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

विचार किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है और यह बहुत शीघ्र ही पूरा हो जायेगा। जो मानने लायक हैं वह हो जायेंगे अन्यथा नहीं हो जायेंगी।

श्री अधिष्ठाता--

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

जनपद सीतापुर के सरकारी मेडिकल स्टोर में लगी आग की जांच रिपोर्ट

*16--श्री राजेन्द्र गुप्त--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 84 के 1ले गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गए अ० प्र० सं०-13 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अग्निकाण्ड की मजिस्ट्रीरियल जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपठी--

मजिस्ट्रीरियल जांच में जांच अधिकारी ने यह कहा है कि साक्ष्यों एवं परिस्थितियों से सम्भावना यही व्यक्त की जाती है कि वायरिंग खराब होने के कारण स्पार्किंग से ही आग लगने की दुर्घटना हुई।

---

†छापी नहीं गयी।

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*17--श्री भागीरथ चौधरी--

[4थें गुरुवार के लिये स्थगित]

मण्डी समिति, आगरा द्वारा आलू उत्पादक किसानों के उत्पीड़न की जांच

*18--श्री चन्द्रभान मौर्य--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति, आगरा ने फरवरी, 85 से खदौला क्षेत्र के आलू पैदा करने वाले किसानों से दो रुपए प्रति बोरा जबरन तथा फर्जी मण्डी शुल्क वसूल किया है जिसके कारण किसानों का उत्पीड़न तथा लाखों रुपए का नुकसान हुआ है ? क्या मन्त्री जी दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ़ कार्रवाही करने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

उत्पादकों से उनके द्वारा उत्पादित आलू पर कोई मण्डी शुल्क नहीं वसूल किया जाता है बल्कि व्यापारियों से लिया जाता है। माननीय विधायक जी द्वारा की गयी शिकायत पर क्षेत्रीय उप निदेशक प्रशासन, मण्डी परिषद्, आगरा ने दिनांक 24-6-1985 को खंदौली जा कर जांच की। मौके पर उपस्थित किसानों से पूंछताछ करने पर आरोप की पुष्टि नहीं हुई।

जनपद बाराबंकी में शासनादेश के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी को आबंटित कार्य सौंपने की कार्यकाही

*19--श्री कल्याण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी को वर्तमान शासनादेशों के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय कार्य शासन द्वारा 4-2-82, 17-8-82, 16-11-83, 31-1-84, 22-6-84, 7-11-84 एवं 21-11-84 को निदेशित किये जाने के बावजूद भी व्यवहारिक रूप से नहीं सौंपे हैं ? यदि हां, तो क्यों और शासन ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? प्रशासनिक अधिकारी को शासनादेशों के अनुसार कब तक समस्त कार्य एवं दायित्व सौंप दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी को शासनादेश संख्या एफ0 पी0-9222/16-11-77-1122-72, दिनांक 28-2-1978 में निहित समस्त कार्य (आहरण वितरण को छोड़कर) सौंप दिये गये हैं।

फतेहगढ़ की महिला चिकित्सा-धिकारी का स्थानान्तरण एवं गबन का आरोप

*20--श्री महाराज सिंह चौधरी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ की महिला चिकित्साधिकारी (डा0 श्रीमती सक्सेना) का स्थानान्तरण वर्ष 1978 से वर्ष 1984 तक की अवधि में कितनी बार किया गया और किन कारणों से उनका स्थानान्तरण निरस्त किया गया ? क्या यह भी सही है कि उक्त डा0 सक्सेना द्वारा किए गये 28 हजार रुपये के गबन में आडिट विभाग द्वारा कागज सील किए गये थे ? यदि हां, तो शासन ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

डा0 (श्रीमती) कुसुम लता सक्सेना, अधीक्षक, महिला अस्पताल, फतेहगढ़ का स्थानान्तरण वर्ष 1978 से 1984 तक की अवधि में केवल एक बार अगस्त, 1980 में जब वे साधारण ग्रेड की चिकित्सा अधिकारी थी, किया गया जिसे बाद में प्रशासनिक आधार पर निरस्त किया गया।

महालेखाकार की आडिट पार्टी की 18-4-85 की टेस्ट आडिट नोट में डा0 (श्रीमती) सक्सेना के विपरीत गबन का कोई आरोप नहीं है। महिला चिकित्सालय, फतेहगढ़ के ट्रेजरी बाउचर्स व कुछ ओ0पी0डी0 रजिस्टर सील किये गये हैं।

अतारांकित प्रश्न

कृषि फार्म जाजपुर, बंजारा, फर्रुखाबाद में पांच वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण

1--श्री मयंकर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि फार्म जाजपुर बंजारा, फर्रुखाबाद में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जोकि विगत पांच वर्षों या अधिक समय से उक्त फार्म पर ही कार्यरत हैं? अब तक ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण न किए जाने का क्या कारण है? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण तत्काल अन्यत्र करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

कोई नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

मौरांवा अस्पताल, उन्नाव में फर्जी कन्टीजेन्सी बिल भुगतान एवं अन्य अनियमितताओं की जांच

2--श्री हृदय नारायण दीक्षित--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के मौरांवां अस्पताल (राजा शंकर सहाय एलोपैथिक चिकित्सालय) में अप्रैल से अगस्त, 1984 तक के कन्टीजेन्सी बिलों के फर्जी भुगतान की शिकायत मिली है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्या इन बिल बाउचरों की जांच कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

इस शिकायत में लगाये गये आरोप जांच के बाद निराधार पाये गये। इसलिए किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

3--श्री हृदय नारायण दीक्षित--

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि विगत चार वर्षों से उक्त अस्पताल के मरीजों को डाइट, दूध आदि दिए जाने की व्यवस्था की जाती रही है? यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्च हुआ? क्या यह भी सही है कि विगत चार वर्षों में मरीजों पर एक भी पैसा इस सलसिले में खर्च नहीं किया गया? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करायेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

विगत चार वर्षों में इस मद में लगभग 25,366.00 रुपये का व्यय हुआ।

प्रश्न नहीं उठता है।

भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में कतिपय वस्तुओं के लाइसेन्स आवंटन में अनियमितता

4--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन के ऐसे निर्देश हैं कि भारत-नेपाल सीमा के कुछ किलोमीटर की दूरी पर मि0 ते0, चीनी और डीजल का लाइसेन्स नहीं दिया जा सकता? यदि हां, तो क्या यह सच है कि गोरखपुर जिले की महराजगंज/फरेन्दा तहसील में इस आदेश की अवहेलना कर लाइसेन्स दिए गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

5--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के निचलौल और नौतनवा विकास क्षेत्र में वर्ष 1984 में किन-किन लाइसेन्सियों को कितनी मात्रा में मि0 ते0/चीनी, डीजल का आवंटन हुआ है और आवंटन का आधार क्या है तथा कौन-कौन से लाइसेन्सी ऐसे हैं जो नेपाल सीमा से 15 कि0मी0 दूरी के अन्दर कार्य कर रहे हैं ? क्या मन्त्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गेहूं क्रय केन्द्र बेलहरा, बाराबंकी के निलम्बित हाट निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही

6--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने दिनांक 28-5-84 को गेहूं क्रय केन्द्र बेलहरा, जनपद बाराबंकी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण के समय हाट निरीक्षक केन्द्र से भाग गया था, फलस्वरूप उसे निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी ? यदि हां, तो उस हाट निरीक्षक के विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गयी है ?

श्री वासुदेव सिंह--

दिनांक 28-5-84 को तत्कालीन खाद्य मन्त्री द्वारा जनपद बाराबंकी के बेलहरा क्रय केन्द्र का निरीक्षण किया गया था । निरीक्षण के समय सम्बन्धित हाट निरीक्षक उपस्थित नहीं थे, परन्तु उनके केन्द्र से भाग जाने की पुष्टि नहीं हुई है । सम्बन्धित हाट निरीक्षक को गेहूं खरीद में पाई गई अनियमितताओं, स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने तथा अनधिकृत रूप से बिना पूर्व सूचना दिये अवकाश पर चले जाने के आरोप में निलम्बित किया गया तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई । विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप उन्हें निम्नलिखित दण्ड देकर पुनः सेवा में बहाल किया गया :--

(1) चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि ।

(2) निलम्बन काल में जो धन-राशि जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में दी गई, उसके अतिरिक्त उस अवधि में और कुछ नहीं देय ।

7--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित--

[मा0 सदस्यों ने वापस लिया ।]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीगंज, प्रतापगढ़ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं क्लर्क के विरुद्ध शिकायती-पत्र

8--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि डा0 जी0 के0 पाठक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं एच0 पी0 दास क्लर्क, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीगंज, प्रतापगढ़ के विरुद्ध श्री रियासत हुसैन भूतपूर्व विधायक द्वारा भेजे गये शिकायती-पत्र दिनांक 26 जुलाई, 1984 तथा 27 सितम्बर, 1984 प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

डा0 जी0 के0 पाठक, प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं श्री पी0 दास एकाउन्टेन्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीगंज, प्रतापगढ़ के विरुद्ध श्री रियासत हुसैन, भूतपूर्व विधायक द्वारा भेजे गये शिकायती-पत्र दिनांक 26-7-84 तथा 27-9-84 प्राप्त हुये थे । दिनांक 26-7-84 के शिकायती-पत्र पर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा जांच की

गई और उसमें लगाये गये आरोप निराधार पाये गये दिनांक 27-9-84 के शिकायती-पत्र की अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है ।

जनपद देवरिया में पांच हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों में जच्चा-बच्चा केन्द्र का निर्माण

9—श्री रणजीत—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के पांच हजार से अधिक आबादी वाले, किन-किन ग्रामों में जच्चा-बच्चा केन्द्र नहीं बनाये गये हैं और उनके निर्माण हेतु क्या आदेश दिये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद देवरिया में 5,000 से अधिक आबादी वाले 21 ग्रामों में से 20 ग्रामों में उपकेन्द्र, भवन सहित, स्थापित किये जा चुके हैं । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर कारबाना के अन्तर्गत ग्राम बरियारपुर में उपकेन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

ग्राम सभा रसूलपुर, जनपद सुल्तानपुर में जच्चा-बच्चा केन्द्र की स्थापना

10—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी, कि ग्राम सभा रसूलपुर विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर कई ग्रामों में बसा हुआ है, जहां पर जच्चा-बच्चा एवं परिवार कल्याण केन्द्र की अत्यन्त आवश्यकता है ? क्या इस ग्राम में यह केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ग्राम सभा रसूलपुर में वर्ष 1983-84 में जच्चा-बच्चा उपकेन्द्र स्थापित किया जा चुका है तथा उपकेन्द्र में एक ए0 एन0 एम0 भी कार्यरत है ।

11—श्री राम गोविन्द चौधरी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

प्रदेश में फसल जीवन बीमा योजना चालू करने की घोषणा

12—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि गत वर्षों में तत्कालीन कृषि मन्त्री जी ने प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना चालू करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो फसल बीमा योजना को अब तक शुरू न करने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

फसल बीमा योजना प्रदेश के मैदानी जनपदों की चयनित तहसीलों में वर्ष 1983-84 से खरीफ में धान की फसल तथा रबी में गेहूं की फसल पर लागू की जा चुकी है । यह योजना खरीफ 1983-84 में प्रदेश के 24 जनपदों की 50 तहसीलों में रबी 1983-84 में 181 तहसीलों में एवं खरीफ 1984-85 में 34 जिलों की 93 तहसीलों में और रबी 1984-85 में 50 जनपदों की 222 तहसीलों में चलाई गई है ।

अब 1985-86 में परिवर्तित योजना विचाराधीन है ।

सरकारी एवं गैर सरकारी कृषि फार्मों पर उत्पन्न बीजों के विक्रय मूल्य में अन्तर

13—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में कृषि बीज सरकारी संस्थानों को कृषि फार्म और गैर सरकारी कृषि फार्मों पर उत्पन्न होता है और क्या सरकारी कृषि फार्मों से उत्पन्न बीज का विक्रय मूल्य गैर सरकारी कृषि फार्मों पर उत्पन्न बीज से काफी कम तय किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

कृषि विभाग के फार्मों पर जो बीज उत्पन्न किया जाता है उनका विक्रय मूल्य बिना लाभ हानि के आधार पर तय किया जाता है ताकि कृषि उत्पादन में प्रमाणित बीजों से वृद्धि हो सके।

गैर सरकारी कृषि प्रक्षेत्रों पर अथवा शासकीय नियमों (राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय प्रक्षेत्र निगम तथा उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम) द्वारा जो बीज विक्रय किया जाता है उनके मूल्य का निर्धारण व्यवसायिक आधार पर किया जाता है जिसमें उक्त व्यावसायिक संस्था का प्रशासकीय व्यय, विधायन व्यय, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं का लाभांश शामिल होता है। जिससे उनका विक्रय मूल्य कृषि विभाग से अधिक है।

नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक कैम्पस के शिक्षकों के पद सृजन के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

14--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बृजमोहन लाल गौतम, संयुक्त सचिव, कृषि के अर्द्ध शासकीय पत्रांक 30-बी/12-8-400 (61)-84, दिनांक 5 अप्रैल, 1984 के सन्दर्भ में प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र दिनांक 21-3-84 नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक कैम्पस के स्कूल के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

कैम्पस स्कूल के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के प्रश्नगत पद दिनांक 29-9-81 के बाद शासन द्वारा नहीं, वरन् विश्वविद्यालय द्वारा पुराने वेतनमान में सृजित किये गये थे। विश्वविद्यालय में उक्त तिथि के बाद जिन पदों का सृजन पुराने वेतनमान में किया गया था उनका पुनरीक्षण विश्वविद्यालय के विचाराधीन चल रहा है जिसमें कैम्पस स्कूल के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के पद भी शामिल हैं।

15--श्री कल्याण सिंह तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद मथुरा में बरसाना में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण में विलम्ब

16--श्री लक्ष्मी नारायण--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरसाना, तहसील छाता, जिला मथुरा में सन् 1982 में एक उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उसके आज तक निर्मित न होने के क्या कारण हैं ? क्या शासन इस अस्पताल को अविलम्ब निर्मित करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों, यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

शासनादेश दिनांक 27 फरवरी, 1981 द्वारा उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरसाना, जिला मथुरा के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी। भूमि उपलब्ध न होने के कारण शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 द्वारा उपलब्ध भूमि वाले उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राल के भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी। दिनांक 28 मार्च, 1985 को बरसाना में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति पुनः दे दी गयी है।

उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र, मांट, जिला मथुरा में व्याप्त अव्यवस्था

17--श्री कुशलपाल सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1982 में उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र मांट, जिला मथुरा के उदघाटन के बाद से लेकर आज तक उसमें कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन अव्यवस्थित स्वास्थ्य केन्द्र को अविलम्ब व्यवस्थित करने की कृपा करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

माह नवम्बर, 1982 से दिनांक 14 जुलाई, 1985 तक उक्त अस्पताल में 54 मरीज भर्ती हुए। इसके अतिरिक्त 190 मरीज नेत्र उपचार के लिए भर्ती हुए। प्रत्येक माह परिवार कल्याण शिविर भी इसी अस्पताल में लगाया जाता है।

डाक्टरों की कमी के कारण उक्त अस्पताल में एक सर्जन तथा एक महिला चिकित्सक की तैनाती अभी नहीं हो पायी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 800 डाक्टरों के चयन की सूची प्राप्त हो गयी है, जिसमें से उक्त अस्पताल में उपर्युक्त रिक्तियों की पूर्ति किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

प्रशिक्षित पुरुष एवं महिला चिकित्सकों का नसबन्दी हेतु केस प्रेरित करने का लक्ष्य

18--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने पुरुष और महिला चिकित्सक ऐसे हैं जोकि नसबन्दी आपरेशन करने में प्रशिक्षित हैं तथा उन्हें प्रतिमाह नसबन्दी केस प्रेषित करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो पुरुष चिकित्सक तथा महिला चिकित्सक को प्रतिमाह कितने नसबन्दी के केसों को प्रेरित करना चाहिये और उन्होंने वर्ष 1984 तथा वर्ष 1985 में कितने केस प्रेरित किए ? क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि जिन शिक्षकों ने अपने लक्ष्य पूरे नहीं किये उनके प्रति क्या दण्डमूलक कार्यवाहियां की जायेंगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

नसबन्दी आपरेशन करने हेतु प्रदेश में कुल 1,697 चिकित्सक प्रशिक्षित हैं चिकित्सकों को नसबन्दी आपरेशन के लिए प्रेरित करने हेतु लक्ष्य आवंटित किये गये हैं तथा वर्ष 1985-86 के दौरान इन्हें निम्न लक्ष्य आवंटित किये गये हैं--

1--समस्त पुरुष चिकित्सकों (अधीक्षक एवं वरिष्ठ अधीक्षक को छोड़ कर) को एक केस प्रतिमाह।

2--जिला चिकित्सालयों व प्रसव कार्य करने वाले अन्य चिकित्सालयों की महिला चिकित्सकों को पांच केस प्रतिमाह।

3--शेष चिकित्सालयों जैसे स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरी की महिला चिकित्सकों को दो केस प्रतिमाह। जिनका परिवार कल्याण कार्य सन्तोषजनक नहीं है, उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा रही है।

जनपद बलिया के गंगा पार के कतिपय गांवों में चिकित्सालय खोलने की योजना

19--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के शिवपुर दियर एवं जबही दियर, जो गंगा के उस पार हैं, जिनकी आबादी लगभग 20

हजार है, के निवासियों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा हेतु चिकित्सालय खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो चिकित्सालय की स्थापना कब तक की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ग्राम शिवपुर दियर में एक होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित है । ग्राम जबही दियर में चिकित्सालय नहीं है । चिकित्सालय स्थापित करने का विषय जिला योजना के अन्तर्गत आता है और जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति ही इस पर विचार करती है ।

जनपद बलिया में आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं चिकित्सकों के रिक्त पद

20—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं तथा 1 जनवरी, 1984 से 30 अप्रैल, 1985 तक कितने चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं हैं ? यदि हां, तो कब तक इन चिकित्सालयों में चिकित्सक भेजने का विचार है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

बलिया जनपद में 41 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं जिनमें से 16 चिकित्सालयों में 1-1-84 से 30-4-85 तक चिकित्सक नहीं हैं । चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्ति किए जाने हेतु चयन चल रहा है जिसका परिणाम मिलने पर चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी जायेगी ।

अमर शहीद श्री मंगल पाण्डेय की जन्म भूमि में स्मारक के निर्माण पर विचार

21— श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतन्त्रता संग्राम के प्रथम शहीद श्री मंगल पाण्डेय का अब तक कोई स्मारक उनकी जन्मभूमि ग्राम नगवां, जनपद बलिया में न बनाए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त स्मारक बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजनैतिक पेंशन मन्त्री (श्री रघुवीर सिंह यादव) —

अमर शहीद श्री मंगल पाण्डेय की स्मृति में उनकी जन्म भूमि ग्राम नगवां, जनपद बलिया में शहीद स्मारक बनाये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

22—श्री राम गोविन्द चौधरी—

[स्पष्टीकरण हेतु रखा गया ।]

डा0 के0 एम0 सिंह, आर0डी0 एम0 ओ0, देवरिया द्वारा की गयी गड़बड़ियों की जांच एवं स्थानान्तरण

23—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1982 में डा0 के0 एम0 सिंह, आर0 डी0 एम0 ओ0, जिला अस्पताल, देवरिया का स्थानान्तरण गोरखपुर से मैनपुरी हुआ था, जिसे मन्त्री जी ने अपने हस्तक्षेप से फैजाबाद कर दिया ? क्या गोरखपुर में इनके कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप इनका स्थानान्तरण

गोरखपुर से किया गया था ? क्या यह सही है कि इनका स्थानान्तरण देवरिया जिला अस्पताल में जो0 डी0 एम0 ओ0 के पद पर किया गया था, परन्तु स्थान रिक्त न होने के कारण इन्हें आर0 डी0 एम0 ओ0 बनाया गया ? यदि हां, तो इन्हें पुनः जी0 डी0 एम0 बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

डा0 के0 एम0 सिंह का स्थानान्तरण गोरखपुर से पहले मैनपुरी फिर फैजाबाद के लिये प्रशासनिक कारणों से हुआ ।

प्रान्त के सतर्कता विभाग ने इनके विपरीत कोई जांच नहीं की ।

कुछ वर्षों बाद इनका स्थानान्तरण पुनः देवरिया के लिये जो0 डी0 एम0 ओ0 के पद पर हुआ । जी0 डी0 एम0 ओ0 का पद रिक्त न होने के कारण ये कुछ समय तक आर0 डी0 एम0 ओ0 रहे । डा0 सिंह इस समय जिला चिकित्सालय, देवरिया में जो0 डी0 एम0 ओ0 के पद पर कार्यरत हैं ।

जनपद देवरिया में सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन विषयक पत्र

24--श्री रणजीत--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में परगनाधिकारी (सदर), देवरिया व जिला पूर्ति अधिकारी, देवरिया के कार्यालय में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को निजी (व्यापारियों) दुकानदारों को आवंटित करने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? उनमें से किन-किन लोगों को दुकानें आवंटित की गयीं ?

श्री वासुदेव सिंह--

वर्ष 1984-85 में परगनाधिकारी (सदर), देवरिया व जिला पूर्ति अधिकारी, देवरिया के कार्यालय में क्रमशः 261 व 27 प्रार्थना-पत्र सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के आबंटन हेतु प्राप्त हुए थे । इनमें से परगनाधिकारी (सदर), देवरिया द्वारा 128 दुकानदारों को दुकान आबंटित की गयी । जिनकी सूची संलग्न† है । जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में किसी व्यक्ति को दुकानें आबंटित नहीं की गयी हैं ।

जनपद गोंडा में उतरौला में स्वीकृत अस्पताल का निर्माण

25--श्री फजलुलबारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में उतरौला तहसील मुख्यालय पर 30 बेड अस्पताल बनाए जाने की योजना मन्जूर हुई थी ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य अब तक प्रारम्भ न होने का क्या कारण है तथा कब तक उक्त अस्पताल निर्मित करा दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महिला चिकित्सालय, गोंडा में ज्येष्ठ अधीक्षिका के रिक्त पद पर नियुक्ति

26--श्री फजलुलबारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद के मुख्यालय पर महिला चिकित्सालय पर ज्येष्ठ अधीक्षिका की जगह पिछले तीन सालों से किन कारणों से रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त रिक्त स्थान जनता की परेशानी देखते

†छापी नहीं गई ।

हुए कब तक ज्येष्ठ अधीक्षिका की नियुक्ति करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

महिला अस्पताल, गोंडा में वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षिका के पद पर तत्समय कार्यरत डा0 (कु0) बी0 एल0 भोजवानी के अवकाश पर चले जाने एवं उसके बाद सेवा निवृत्त हो जाने के कारण प्रश्नगत पद दिनांक 5-10-83 से रिक्त रहा ।

वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षिका के कुछ पदों में अब अधिकारियों की प्रोन्नति हो रही है, तभी गोंडा में नियुक्ति की जायेगी ।

खाद्य एवं रसद विभाग को वित्तीय वर्ष 1984-85 में आवंटित एवं व्ययगत धनराशि

27—श्री कल्याण सिंह तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृप करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में खाद्य एवं रसद विभाग की किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई थी ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष के अन्त में किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि व्ययगत हो गयी ? व्ययगत होने के कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री वासुदेव सिंह—

वित्तीय वर्ष 1984-85 में खाद्य तथा रसद विभाग के विभिन्न लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत आवंटित धनराशियों अर्थात् अन्तिम आय-व्ययक व्यवस्था सम्बन्धी विवरण संलग्न† है ।

वर्ष के अन्त में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को सहायक अनुदान के रूप में आवंटित धनराशि में से 5.03 लाख रु0 की द्वितीय किश्त व्ययगत हो गई ।

स्टेट बैंक द्वारा प्रश्नगत धनराशि से सम्बन्धित बिल में गई गई तकनीकी आपत्ति का समयाभाव के कारण निराकरण न हो सकने के कारण आहरित नहीं की जा सकी । इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 में स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिए तत्था 'क' आगे पृष्ठ 115 पर ।)

वित्तीय वर्ष 1984-85 में स्वास्थ्य विभाग का आवंटित एवं व्ययगत धनराशि

28—श्री कल्याण सिंह तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को किस-किस मद में कितना-कितनी धनराशि आवंटित की गई ? वित्तीय वर्ष के अन्त में किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि व्ययगत हो गई ? व्ययगत होने के कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1984-85 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को अनुदान संख्या 19—चिकित्सा, 20—परिवार कल्याण तथा 21—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिए आवंटित धनराशि के विवरण परिशिष्ट 'क', 'ख' 'ग' में दिए गए हैं । जहां तक अनुदान संख्या 19—चिकित्सा तथा 21—सार्वजनिक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, विभागीय लेखों के अनुसार कोई धनराशि व्ययगत नहीं हुई । कतिपय मदों में जो बचत हुई उसे वित्त विभाग को पुनर्ग्रहण हेतु समय से समर्पित कर दिया गया था । बचतों का विवरण संलग्न† परिशिष्टों में दिया गया है । अनुदान संख्या 20—परिवार कल्याण में कुल 760.50 लाख रु0 की बचत हुई, इसमें से 63.63 लाख रु0 की धनराशि व्ययगत हुई शेष धनराशि समर्पित कर दी गई । बचत तथा व्ययगत के कारण परिशिष्ट 'ख' में दिए गए हैं । व्ययगत धनराशि के लिए विभागाध्यक्षों से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

†छापी नहीं गई ।

वित्तीय वर्ष 1984-85 में कृषि विभाग को आवंटित एवं व्ययगत धनराशि

2---श्री कल्यान सिंह तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी---

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में कृषि विभाग को किस-किस मद में कितना-कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा वर्ष के अन्त में किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि व्ययगत हो गई ? व्ययगत होने के कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

कृषि विभाग का सम्बन्ध कृषि भूमि संरक्षण उद्यान, कृषि विपणन, कृषि शोध एवं शिक्षा मदों से है । इन मदों में से उद्यान, कृषि विपणन तथा कृषि शोध एवं शिक्षा के अन्तर्गत कोई धनराशि व्ययगत नहीं हुई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :---

(धनराशि लाख रुपयों में)

मद	वर्ष 1984-85 में आवंटन		वर्ष 1984-85 में व्यय		वर्ष 1984-85 में व्ययगत धनराशि	
	आयोजना-गत	आयोज-नेतर	आयोजना-गत	आयोज-नेतर	आयोजना-गत	आयोज-नेतर
उद्यान	309.88	1111.24	309.75	1112.73	शून्य	शून्य
कृषि विपणन	707.13	94.48	707.13	94.48	शून्य	शून्य
कृषि शोध एवं शिक्षा	311.30	961.24	311.44	962.37	शून्य	शून्य

कृषि तथा भूमि सरक्षण मदों के अन्तर्गत ही धनराशि व्ययगत हुई है । आवंटन, व्यय तथा व्ययगत धनराशि के आंकड़े संलग्न† तालिका में दिये गये हैं :

व्ययगत धनराशि के कारणों के बारे में नियंत्रण अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर शासन द्वारा तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

†छापी नहीं गयी ।

जनपद बदायूं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वस्तुओं का वितरण

30--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में आवश्यक वस्तु वितरण हेतु जो सरकार द्वारा योजना बनाई गयी है उसके अन्तर्गत जनता को उतनी ही दुकानों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सहकारिता एवं निजी क्षेत्र की उचित दर की प्रत्येक दुकान से क्रमशः 4000 एवं 2000 यूनिट सम्बद्ध किये जाने की नीति के आधार पर बदायूं जनपद के शहरी क्षेत्र में 96 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 504 दुकानों के माध्यम से वितरण कार्य सम्पन्न होना है, जबकि वस्तुतः दोनों क्षेत्रों में क्रमशः 80 एवं 359 दुकानें कार्यरत हैं शेष दुकानें खोले जाने का कार्य प्रगति पर है तथा इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा ।

जनपद बदायूं में सहकारी समितियों की निष्क्रिय दुकानों के क्रियान्वयन की योजना

31--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सरकार के ज्ञात है कि जिला पूर्ति अधिकारी, बदायूं द्वारा जिला प्रशासन को हाल ही में उनके पत्र द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इस समय सहकारी समितियों की जनपद में 85 ऐसी दुकानें हैं जो आवश्यक वस्तुओं का वितरण पिछले कई माह से नहीं कर पा रही हैं ? यदि हां, तो सरकार की उन्हें योजना के जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां, बदायूं के जिला प्रशासन को सहकारिता क्षेत्र की 85 दुकानें उचित रूप से कार्यरत न होने की सूचना प्राप्त हुई थी, परन्तु वस्तुतः 24 दुकानें ही सहकारिता विभाग द्वारा पूर्णतः निष्क्रिय मानी गयीं, जिन्हें निरस्त कर वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है ।

32--श्री हफीज भारती--

[३१ सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 118 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत आर्टिस्ट कम-फोटोग्राफर के पद हेतु तीन वर्षीय डिप्लोमा

33--श्री हफीज भारती--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों के अनुसार चिकित्सा (परिवार कल्याण) विभाग के अन्तर्गत आर्टिस्ट कम-फोटोग्राफर के नए सीनियर वेतनमान (रु0 515-860) के लिए शासनादेश संख्या 6651/16-11-9 (261)/81, दिनांक 25-10-82 द्वारा हाई स्कूल के बाद तीन वर्षीय आर्ट डिप्लोमा/सर्टीफिकेट की आवश्यक अर्हता निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों द्वारा आर्ट (ड्राइंग) में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्रदान किया जाता है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां । तीन वर्षीय डिप्लोमा के सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सूचना मांगी गयी है । जो प्रतीक्षित है ।

परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कर्मचारी परिषद् के कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार

34--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या चिकित्सा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कर्मचारी परिषद्, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ माननीय मुख्य मन्त्री की दि0 10-6-83 को कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में बैठक हुई थी ? यदि हां, तो किन समस्याओं पर विचार किया गया और क्या निर्णय लिया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी से सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने सेवा नियमावली, अन्तिम वरिष्ठता सूची, तीन वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले समस्त कर्मचारियों के स्थाई किये जाने आदि मांगों के बारे में विचार विमर्श किया था ।

सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यरत हेल्थ एक्सटेंशन सोशल साइंस इंस्ट्रक्टर व प्रसार शिक्षक की सेवा नियमावली प्रख्यापित हो चुकी है । स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सूचना अधिकारी की सेवा नियमावली को अन्तिम रूप दिया जा चुका है व इसके प्रख्यापन की कार्यवाही सक्रिय रूप से की जा रही है । आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर तथा डेमीग्राफर की सेवा नियमावली नहीं बनायी जानी है । समाज वैज्ञानिक संख्याविद, अन्वेषक कम संगणक, चलचित्र चालक, पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी की नियमावली बनायी जा रही है ।

अधिकतर कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची भी प्रकाशित की जा चुकी है व कुछ के प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है ।

जिन कर्मचारियों ने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उनमें से अधिकतर कर्मचारियों को स्थाई किया जा चुका है । शेष के सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही की जा रही है ।

राजकीय स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण केन्द्र के टीचिंग स्टाफ को बोर्ड एवं यूनीफार्म भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है । पी0 एच0 एन0 को सवेतन प्रशिक्षण तथा मातृ एवं शिशु की समस्त महिला कर्मचारियों को पोशाक भत्ता देने की मांग के सम्बन्ध में विचार हो रहा है ।

जनपद बुलन्दशहर के होम्योपैथिक चिकित्सालय में दवाइयों के लिए अपर्याप्त बजट

35--श्री किरनपाल सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बुलन्दशहर के होम्योपैथिक चिकित्सालय को गत वर्ष दवाइयों का कितने रुपए का बजट था ? क्या यह सही है कि बजट प्रति दिन चिकित्सालय में निरीक्षण कराने वाले डेढ़ सौ मरीजों के लिए पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो बजट न बढ़ाए जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

बुलन्दशहर में जिला अस्पताल स्थित होम्योपैथिक चिकित्सालय में गत वित्तीय वर्ष 1984-85 में 2,350 रु0 का बजट दवाइयों के लिये आवंटित था ।

रोगियों की प्रतिदिन की संख्या को देखते हुए आवंटित धनराशि पर्याप्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

36--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली के

विरुद्ध प्रश्नकर्ता का रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र दिनांक 29-4-85 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां। जांच करायी गयी है। खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम सम्बन्धी कार्य में त्रुटियां पायी गयीं। सम्बन्धित लिपिक का स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने के लिये स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने आदेश पारित कर दिये हैं।

डफरिन चिकित्सालय, लखनऊ में पुरुष एवं महिला सदस्यों के लिए विश्राम व्यवस्था

37--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में स्थित बलरामपुर चिकित्सालय के निकट महिला चिकित्सालय (डफरिन हास्पिटल) में महिला मरीजों के परिवार से आए हुए पुरुष सदस्यों के उठने-बैठने व रात्रि में विश्राम करने के लिए कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

महिला चिकित्सालय, लखनऊ में महिला मरीजों के परिवार से आए पुरुष सदस्यों के उठने-बैठने व रात्रि में विश्राम करने हेतु चिकित्सालय परिसर के बाहर गेट के पास व्यवस्था है।

38--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दूर देहाती क्षेत्रों से आये महिला मरीजों के साथ आए परिवार के पुरुषों व महिला सदस्यों के विश्राम के लिए भवन निर्माण हेतु शासन ने वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 की अवधि में कितना धन प्रति वर्ष स्वीकृत हुआ और कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 की अवधि में विश्राम के लिये भवन निर्माण हेतु कोई धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत नहीं की गई।

डफरिन अस्पताल, लखनऊ में नवनिर्मित बिल्डिंग के लिए धन की स्वीकृति

39--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि डफरिन अस्पताल में कक्षों की मरम्मत एवं नवनिर्मित बिल्डिंग के लिए वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983-84 व 1984-85 की अवधि में अलग-अलग कितने धन की स्वीकृति शासन द्वारा की गयी और उक्त मदों में कितना धन व्यय किया गया तथा डफरिन अस्पताल में नई बिल्डिंग का निर्माण किस प्रयोजन से किया जा रहा है और कितने समय में, कितना धन व्यय होने पर तैयार होगा।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

डफरिन अस्पताल, लखनऊ में कक्षों की मरम्मत एवं नवनिर्मित बिल्डिंग के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्षवार धन का आबंटन एवं व्यय निम्न प्रकार किया गया।

मरम्मत हेतु--

वर्ष	आबंटन	व्यय
	रु0	रु0
1982-83	1,15,560	1,15,560
1983-84	2,93,395	2,93,395
1984-85	3,08,030	3,08,030
निर्माण हेतु--		
1982-83	4·80 लाख	13·018 लाख
1983-84	3·20 लाख	3·143 लाख
1984-85	1·00 लाख	1·020 लाख

(उक्त व्यय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है।)

उक्त नई बिल्डिंग का निर्माण निम्न-लिखित प्रयोजन हेतु किया जा रहा है—

1—बाह्य रोग विभाग

2—इमरजेन्सी विभाग

3—लेवर रूम कम्पलेक्स

4—एक्स-रे विभाग

5—पैथालोजी विभाग

6—डिस्पेन्सरी एवं स्टोर इत्यादि ।

उक्त निर्माण कार्य मार्च, 1986 तक पूर्ण होने की सम्भावना है व उक्त निर्माण पर कुल रु0 27.70 लाख व्यय होने की सम्भावना है ।

सिविल अस्पताल, महानगर, लखनऊ में मरीजों को उपलब्ध सुविधाएं

40—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल अस्पताल महानगर, लखनऊ में वर्ष 1984 में मरीजों की क्या संख्या थी, जो वाह्य रोगी के रूप में चिकित्सा कराने आए थे ? क्या यह सही है कि इस अस्पताल में वे सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जोकि सिविल अस्पताल बनारसी बाग, लखनऊ में उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो कब तक ये सुविधाएं महानगर के अस्पताल को उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सिविल अस्पताल महानगर, लखनऊ में वर्ष 1984 में वाह्य रोगियों की कुल संख्या 219980 थी । सिविल अस्पताल महानगर, लखनऊ की तुलना सिविल अस्पताल बनारसी बाग, लखनऊ से नहीं की जा सकती है । सिविल अस्पताल, बनारसी बाग, 250 शैय्यायुक्त अस्पताल नगर के विभिन्न क्षेत्रों एवं आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के रोगियों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु स्थापित किया गया है, जबकि 34 शैय्यायुक्त सिविल अस्पताल, महानगर केवल एक क्षेत्र के रोगियों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये स्थापित किया गया है । इस अस्पताल में आवश्यकताओं के अनुसार सभी आवश्यक और निम्न-लिखित विशिष्ट सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं :—

1—एक्स-रे

2—पैथोलौजी में स्टूल, यूरीन तथा ब्लड काउन्ट की जांच

3—परिवार कल्याण सम्बन्धी तथा साधारण अपरेशन

4—ई0 सी0 जी0 ।

5—डायथरमी ।

जिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में भौतिक एवं व्यावसायिक चिकित्सकों का स्थायीकरण एवं वेतन विसंगतियां

41—श्री सुखपाल पा०डे—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में कार्यरत भौतिक चिकित्सकों एवं व्यावसायिक चिकित्सकों के पदों को अभी तक अस्थायी रखे जाने के क्या कारण हैं ? इन पदों के स्थायी-करण सम्बन्धी शासनादेश क्या जारी किए जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

स्थायीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है ।

42—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में कार्यरत भौतिक चिकित्सकों एवं व्यावसायिक चिकित्सकों को अलग-अलग वेतनमान में रखा गया है ? यदि हां, तो इन चिकित्सकों की वेतन विसंगतियां कब तक दूर कर दी जायेंगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां। जिला चिकित्सालयों में कार्यरत भौतिक चिकित्सकों एवं व्यावसायिक चिकित्सकों को 1-7-79 के पूर्व उनके पुराने वेतनमान रु0 350-700 के समकक्ष सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान रु0 570-1100 और मेडिकल कालेजों में इन्हीं पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को रु0 625-1240 का पुनरीक्षित वेतनमान, वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया गया है। इस अन्तर का मुख्य कारण यह है कि मेडिकल कालेजों में इन पदों के पद धारकों को निरन्तर अपने तकनीकी ज्ञान में बढ़ोत्तरी करनी पड़ती है और वे तकनीकी विशेषज्ञों की सूक्ष्म देखरेख में काम करते हैं। वर्णित स्थिति में दोनों वर्ग के पदों के वेतनमान में विसंगति नहीं है और उसे दूर करने का प्रश्न नहीं उठता है।

भौतिक एवं व्यावसायिक चिकित्सकों का पुनः नामकरण

43--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक भौतिक एवं व्यावसायिक चिकित्सकों के संघ द्वारा अपने पूर्व नाम भौतिक चिकित्सक एवं व्यावसायिक चिकित्सक को क्रमशः भौतिक चिकित्साधिकारी एवं व्यावसायिक चिकित्साधिकारी नामकरण करने सम्बन्धी अब तक कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार ग्राम विकास एवं ग्राम विकास अधिकारियों की तरह इनके भी मामले पर पुनः नामकरण पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रश्नगत विषय पर दो पत्र प्राप्त हुये हैं। भौतिक चिकित्सकों एवं व्यावसायिक चिकित्सकों को क्रमशः भौतिक चिकित्सा अधिकारी एवं व्यावसायिक चिकित्सा अधिकारी के पद नाम से पुनः नामकरण करने का कोई विचार नहीं है।

भूतपूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायतें एवं जांच

44--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के भूतपूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी जो आजकल जनपद प्रतापगढ़ में तैनात हैं, के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच चल रही है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और अब तक की जांच से कौन-कौन सी शिकायतें सही पायी गयी हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद जो सम्प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ के पद पर तैनात हैं, के विरुद्ध उनके फैजाबाद के कार्यकाल से सम्बन्धित सतर्कता अधिष्ठान की खुली जांच प्रारम्भ की गयी है। जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है। अतः शिकायतों के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव नहीं है।

जनपद फर्रुखाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजेपुर के निर्माण में घोटाला

45--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजेपुर का निर्माण पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा हो जायेगा ? इस निर्माण में कुल कितनी लागत आई है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किस एजेन्सी द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है ? क्या इस निर्माण कार्य में घटिया सामान लगाकर लाखों रुपये के घोटाला होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा उसके मार्च, 1986 तक पूर्ण होने की आशा है। भवन निर्माण की सम्भावित लागत लगभग 12.5 लाख रु0 होगी। निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा कराया जा रहा है। निर्माण कार्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

स्वास्थ्य विभाग, उन्नाव के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विवाद की न्यायिक जांच रिपोर्ट

46—श्री त्रिलोक चन्द—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि स्वास्थ्य विभाग उन्नाव के अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच हुए विवाद की जो न्यायिक जांच मार्च, 1985 में कराई गयी, वह जांच पूरी हो गयी ? यदि हां, तो वह जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

स्वास्थ्य विभाग, उन्नाव के अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच हुये विवाद की मजिस्टीरियल जांच करायी गयी थी। जांच पूरी हो गयी है।

जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों ने 30-10-1984 को बांगरमऊ महिला कैम्प में अपने से उच्च अधिकारियों के विपरीत अशोभनीय, अनुशासनहीन व अभद्र व्यवहार किया। उन्नाव जनपद के स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी स्थानीय हैं वे चिकित्साधिकारियों पर हावी हैं।

जनपद आगरा में तिलहनी फसलों के रोग के उपचार हेतु दवाओं का प्रयोग

47—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में गत वर्ष रबी की फसल में लाहा व सरसों की फसल में कोई रोग लगा ? यदि हां, तो सरसों व लाहा की फसल को रोग से बचाने में कितने मूल्य की दवाओं का प्रयोग हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

सरसों एवं लाहा की फसल को रोग से बचाने में 7,69,550 रु0 मूल्य की दवाओं का प्रयोग हुआ।

जनपद सीतापुर में स्व0 श्री राम सेवक कनौजिया की पत्नी की सहायता विषयक पत्र

48—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री श्रीपाल पुष्कर, उप सचिव, कृषि अनुभाग 9 द्वारा प्रश्नकर्ता को लिखे गए पत्र संख्या एम0 एल0 ए0-61/12 (9)-84, दिनांक 7 अप्रैल, 1984 के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो कब तक सम्पन्न करा दी जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

तद्सन्दर्भ में जिला कृषि अधिकारी सीतापुर को यह निर्देश दिये गए कि वह स्व0 राम सेवक कनौजिया की पत्नी से अनुकम्पा कोष सहायता प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र प्राप्त करके अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराएं जो अभी तक अप्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विभिन्न अस्पतालों के लिए भवन निर्माण एवं डाक्टरों की व्यवस्था

49- श्री सुखपाल पान्डे—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में कितने एलोपैथिक,

आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अस्पताल किन-किन विकास क्षेत्रों में हैं ? कितने अस्पतालों में डाक्टर तथा भवन कितने दिनों से नहीं हैं ? क्या सरकार डाक्टरों की नियुक्ति व भवनों के निर्माण के लिए सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूची संलग्न है।

प्रदेश के सभी जिलों में बड़ी संख्या में धनाभाव के कारण चिकित्सालयों के भवन नहीं बन पाए ह। भवन निर्माण का विषय जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आता है इस पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति संस्तुति करती है।

डाक्टरों की भी प्रदेश में भारी रिक्तियां चल रही हैं एवं बस्ती जिले में भी इसी प्रकार पद रिक्त चल रहे हैं। लोक सेवा आयोग से 800 डाक्टरों के चयन की सूची प्राप्त हुई है एवं इसमें से बस्ती जिले की अधिक से अधिक रिक्तियां पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, पकहां, देवरिया में डाक्टरों की व्यवस्था

50—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के ग्राम पकहां में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की व्यवस्था है ? यदि हां तो उक्त चिकित्सा केन्द्र में प्रसूति गृह चिकित्सक की भी व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रसूति गृह में कितनी महिला डाक्टर कार्यरत हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

ग्राम पकहां में एक उप केन्द्र है जिसमें एक महिला कार्यकर्ता तथा एक अल्पकालिक दायी का पद स्वीकृत है जो कार्यरत भी है। महिला डाक्टर का पद स्वीकृत नहीं है।

जनपद देवरिया में ग्राम पकहां में विभिन्न प्रकार के चिकित्सालयों की व्यवस्था

51--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के ग्राम पकहां (पोस्ट पकहा) में आयुर्वेदिक/एलोपैथिक/होम्योपैथिक सभी प्रकार की चिकित्सालय की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

वर्तमान में व्यवस्था नहीं है। इन चिकित्सालयों की स्थापना का विषय जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आता है और इस पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति ही विचार करती है।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, पकहां देवरिया के लिए आबंटित धनराशि

52--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चिकित्सालय की मरम्मत तथा औषधियों के वितरण के लिए वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 में शासन ने कितनी धनराशि स्वीकृत किया और किस-किस मद में कितना धनराशि व्ययगत की गयी।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रत्येक उप केन्द्र हेतु रुपया दो हजार की धनराशि प्रति वर्ष दवाओं आदि के लिए स्वीकृत है।

+छापी नहीं गई।

जिला कारागार, बाराबंकी में कान्टींजेन्सी बिल के दुरुपयोग की जांच

53--कुंवर श्री रेवती रमण सिंह--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16-1-85 को जिला कारागार, बाराबंकी द्वारा बिल संख्या 12, जो कि कान्टीजेंसी बिल है, उसे पास होने हेतु ट्रेजरी बराबंकी को भेजा गया, जिसका भुगतान मु0 28,786 रुपया दिनांक 22-1-85 को स्टेट बैंक, बराबंकी द्वारा कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त रुपयों की इन्ट्री जिला जेल के कैश-बुक में न होकर सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों द्वारा हड़प लिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों को मुअत्तल कर न्याय के हित में जांच कराने के आदेश देगी ?

श्री रघुवीर सिंह यादव--

जी हां, किन्तु बिल की धनराशि रुपया 28,786 न होकर रुपया 28,780 थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कारागार, बाराबंकी में गायब कम्बलों सम्बन्धी विभागीय छानबीन

54--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कारागार बराबंकी में 125 रुपया प्रति कम्बल की कीमत के चालीस हजार रुपए के कम्बल इस समय गोदाम से गायब हैं, जिसकी छानबीन, विभाग द्वारा चल रही है ? यदि हां, तो अब तक हुई जांच से कौन-कौन से लोग दोषी पाए गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रघुवीर सिंह यादव--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

55--श्री जयदीप सिंह बरार--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

ज्ञानसू उत्तरकाशी के सरकारी गेहूं एवं चावल की अवैध बिक्री की जांच

56--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री को जानकारी है कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत ज्ञानसू उत्तरकाशी का सरकारी गेहूं जनपद देहरादून में बेचा गया ? क्या यह भी सही है कि उक्त गोदाम का चावल दिनांक 14-2-85 से 16-2-85 के बीच देहरादून में काले बाजार में ऊंचे भाव में बेचते हुए कोई ट्रक पकड़ा गया ? यदि हां, तो इसकी जांच कब और किस अधिकारी ने की ? कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए गये और उनको क्या-क्या दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह--

जी नहीं ।

उत्तरकाशी जनपद के ज्ञानसू गोदाम का सरकारी गेहूं तथा प्रश्नगत अवधि में उक्त गोदाम का सरकारी चावल काले बाजार में ऊंचे भाव में देहरादून में बिकते हुए नहीं पकड़ा गया है । अतः इस सम्बन्ध में जांच आदि की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद में कतिपय ग्रामों में मण्डी समितियों हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

57--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम सीतनपुर व नारायनपुर में निर्माणाधीन मण्डी समिति हेतु श्री दिनेश कुमार टंडन वगैरह की भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? यदि हां, तो कितनी भूमि है और उक्त भूमि का मुआवजा देने की सूचना भूमि स्वामियों को दी जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी मुआवजा पाने वाले व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति फर्रुखाबाद के मण्डी स्थल निर्माण के लिए निम्नवत् भूमि अधिग्रहीत की गयी है :—

ग्राम का नाम	भू-स्वामी का नाम		अध्याप्ति भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
नारायनपुर	श्रीमती कमला रानी विधवा श्री विशम्भर नाथ ।		5.34
	श्री दिनेश कुमार		3.31
	श्री मुकुल कुमार		3.22
	श्री राकेश कुमार		3.31
	श्री सुरेन्द्र नाथ		3.32
		योग ..	18.50
सातनपुर	श्री वीरेन्द्र नाथ		9.44
	श्रीमती कमला रानी		4.60
		योग ..	14.04
		महायोग ..	32.54

अधिगृहीत भूमि पर दिनांक 10·7-·84 को कब्जा लिया गया है । भूमि अध्याप्ति हेतु रु0 4,00,217.61 की धनराशि कोषागार में जमा की गयी थी । अवशेष रु0 10.61 लाख की धनराशि और मांगी गयी है जिसे तुरन्त जमा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं । इसी कारणवश भूमि का मुआवजा देने की सूचना भूमि स्वामियों को अभी नहीं दी गई है ।

श्री दुर्गा होम्यो0 मेडिकल कालेज, चण्डेश्वर के प्राचार्य द्वारा हरिजन छात्रवृत्ति का गबन

58--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि तत्कालीन प्राचार्य डा0 राम सूरत चौबे, श्री दुर्गा होम्यो0 मेडिकल कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़ द्वारा हरिजन छात्रवृत्ति में गबन का मामला प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी हां ।

चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतः समप्रति कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

फर्जी प्रमाण-पत्र लगाने के सम्बन्ध में मेडिकल कालेज, फैजाबाद के प्राचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र

59--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि प्राचार्य डा0 गिरजाशंकर लाल श्रीवास्तव, डा0 बी0 के0 एच0 मेडिकल कालेज, फैजाबाद द्वारा फर्जी हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र लगाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश होम्यो0 चिकित्सक समिति के महामन्त्री डा0 एम0 बी0 सिंह द्वारा पत्र सं0 हो0 चि0 स0 55। 84, हो0 चि0 स0 65। 85, दिनांक 31-3-85 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

जांच में कथित आरोप निराधार पाये गये ।

डा0 सुरेश प्रताप सिंह, रा0 मोहन होम्यो0 मेडिकल कालेज की पुनर्नियुक्ति एवं वेतन भुगतान

60--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 सुरेश प्रताप सिंह, आवासीय चिकित्साधिकारी, रा0 मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ की नियुक्ति 250 रु0 नियत वेतनमान पर हुई थी ? यदि हां, तो क्या सुचारु रूप से कार्य न करने के कारण उनकी सेवा समाप्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो पुनः सेवा में लेने का औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि डा0 सिंह से वरिष्ठतम दो आवासीय चिकित्साधिकारियों का वेतन रोककर डा0 सिंह का पूर्ण वेतन लगभग 30,000 रु0 का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सक समिति का शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

61--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सक समिति का पत्र संख्या एच0 सी0 एस0-14, दिनांक 2 फरवरी, 1984 तथा हो0 चि0 सं0 72/85, दिनांक 17-5-85 का प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं तथा शासन द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रश्नगत पत्रों की प्राप्ति की पुष्टि नहीं होती है ।

जनपद आगरा में ग्राम सहनपुर में अधूरी बन्धी का निर्माण

62--श्री बदन सिंह--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी में ग्राम सहनपुर में सन् 1982-83 में शुरु की गयी बन्धी अधूरी बनी पड़ी है ? यदि हां, तो इस बन्धी को कब तक शासन पूरी करवा देगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के ग्राम सहनपुर में सन् 1982-83 में कोई बन्धी के निर्माण का कार्य नहीं शुरु किया गया था । अतः बन्धी अधूरी बनी पड़ी रहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राम बृक्ष राम पी० ओ० कृषि गोरखपुर की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि विषयक पत्र की जांच

63--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम वृक्ष राम पी० ओ० कृषि गोरखपुर जब जिला कृषि अधिकारी जौनपुर में थे तब उप निदेशक कृषि वाराणसी मण्डल (श्री एस० पी० सिंह) ने उनकी चरित्र पंजिका खराब कर दी ? क्या यह सत्य है कि रामवृक्ष राम ने उप निदेशक एस० पी० सिंह के खिलाफ निदेशक, कृषि उत्तर प्रदेश को प्रार्थना-पत्र दिया था ? जिसकी जांच श्री भटनागर, संयुक्त निदेशक ने 17-3-85 को वाराणसी में जाकर किया है और रामवृक्ष राम को बुलाकर बयान भी लिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि श्री भटनागर ने निदेशक कृषि को क्या रिपोर्ट दी और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

श्री रामवृक्ष राम की चरित्र-पंजिका में श्री एस० पी० सिंह, उप कृषि निदेशक, वाराणसी मंडल द्वारा वर्ष 1983-84 के कार्यों से सम्बन्धित प्रतिकूल प्रविष्टि प्रतिवेदक अधिकारी की हैसियत से अंकित की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में कतिपय कृषि उत्पादन मन्डी समितियों के भवनों का निर्माण

64--श्री चन्द्रभान मौर्य--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टून्डला कृषि उत्पादन मन्डी समिति जनपद आगरा के स्थल का चयन कर लिया गया है ? यदि हां, तो मन्डी भवन का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? क्या बरहन एत्मादपुर कृषि उत्पादन मन्डी समिति को बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के अन्तर्गत भूमि पर कब्जा मिलने के पश्चात् निर्माण कार्य हो सकेगा । बरहन एत्मादपुर कृषि उत्पादन मन्डी समिति बनाये जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण इसका प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

जनपद बरेली में कतिपय सहकारी समितियों द्वारा कोटा न उठाने के विरुद्ध कार्यवाही

65--श्री जयदीप सिंह बरार--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे गुरुवार दिनांक 15-3-85 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर के संदर्भ में क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह क्या कारण है कि उत्तर में क्रय

संख्या 71 से 78, 80, 82 से 86, 88 से 113, 115, 116, 118, 126, व 129, 130 पर दी गई समितियों ने उन्हीं परिस्थितियों, जैसे कि ऋण वसूली आदि में व्यस्तता, मिट्टी के तेल का अपना पूरा अथवा लगभग पूरा कोटा लगभग प्रत्येक माह उठा लिया और उन्हीं परिस्थितियों में अन्य समितियों ने 3 माह से लेकर सारा-सारा साल का कोटा नहीं उठाया ? क्या मंत्री जी उन समितियों के सचिवों जिन्होंने मिट्टी के तेल का कोटा नहीं उठाया, के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने और भविष्य में कोटा उठाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जनपद में प्रश्नगत अन्य सहकारी समितियों द्वारा नियम कारणों से सम्बन्धित अवधि में आवंटित मिट्टी तेल का कोटा नहीं उठाया जा सका :

1--डम्प डीलरों द्वारा समय से सहकारी समितियों को आवंटित तेल न देना ।

2--मांग के अभाव में समितियों में स्टाक बना रहना ।

3--समितियों के कर्मचारियों द्वारा आवंटित स्टाक उठाने में लापरवाही बरतना ।

4--वित्तीय अनियमितताओं के कारण बैंक द्वारा ऋण सीमा पर रोक लगाना ।

सम्बन्धित मामले में दोषी समितियों के सचिवों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही कर दी गयी है । इस कार्यवाही के अन्तर्गत दोष के अनुसार कठोर चेतावनी, स्थानान्तरण, निलम्बन एवं सेवा समाप्ति के दंड दिये गये हैं।

अब मिट्टी तेल थोक बिक्रेताओं की टैंक लारी निश्चित दिनांक को निश्चित स्थान पर फुटकर बिक्रेताओं को तेल उपलब्ध कराने आती है और बैंक से वित्तीय व्यवस्था भी करा दी गयी है।

प्रश्न के अंतिम अंश के उत्तर का सवाल नहीं उठता ।

भूतपूर्व सदस्य श्री जितेन्द्र पाल सिंह तथा श्री प्रताप सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)---

मान्यवर, बड़े दुख के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि भूतपूर्व सदस्य श्री जितेन्द्र पाल सिंह का निधन विगत 6 जुलाई, 1985 को 43 वर्ष की अल्प आयु में हो गया । वह 2 बार इस विधान सभा के सदस्य रहे । 1969 के मध्यावधि चुनाव में और फिर 1980 में कांग्रेस (अ ई0) पार्टी के टिकट पर चुने गये थे । वह निर्बल वर्ग की सेवा म रत रहते थे और उन्होंने मुरादाबाद जनपद के विकास के लिए बड़ी दिलचस्पी ली । दुख है कि 43 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया । मैं आग्रह करता हूं कि सदन की ओर से और हम सब की ओर से दिवंगत साथी के शोक संतप्त परिवार को संवेदना का संदेश कृपया भेजने का कष्ट करें ।

श्रीमन्, मुझे यह सूचित करते हुए भी दुख होता है कि भूतपूर्व सदस्य श्री प्रताप सिंह का निधन 22 जून, 1985 को हो गया जो बुलन्दशहर को सिकन्दराबाद तहसील के ग्राम हिरनौटी के रहने वाले थे । 1977 में प्रथम बार सिकन्दराबाद से जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर आये थे । श्री प्रताप सिंह जी न्याय पंचायत महेषा, जिला बुलन्दशहर के दो बार सरपंच रहे तथा बाद में प्रमुख रहे । आपने बुलन्दशहर जनपद की बड़ी सेवा की है । उनके निधन से हमें काफी शोक है । कृपया हमारी ओर से शोक संवेदनाये उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय नेता सदन ने जो संवेदनायें व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री जितेन्द्र पाल सिंह, मुरादाबाद के निवासी थे। यह बड़े कर्मठ कार्यकर्त्ता थे और उनकी विशेष रुचि कृषि और बागबानी में थी। यह 1969 के मध्यावधि चुनाव में भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर चुनाव जीते थे और 1980 में कांग्रेस (आई) के टिकट पर चुनकर आये थे। यह एक अच्छे कार्यकर्त्ता ही नहीं बल्कि नेता भी थे। उनके निधन से हम सभी को दुख है और हमारी ओर से तथा हमारे दल की ओर से शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। दूसरे स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह के निधन से हम सभी को दुख पहुंचा है। वह 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत कर इस विधान सभा में आये थे और आजकल लोकदल के मंत्रिमंत्री थे। इससे हमारे दल को गहरा आघात पहुंचा है। गरीबों और मजदूरों की सेवा करने में वह व्यस्त रहते थे और उसमें उनकी रुचि थी। उनके निधन से हम सभी दुखी हैं। हमारी ओर से आप उनके परिवार तक हमारी शोक संवेदनायें भेजने का कष्ट करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, श्री जितेन्द्र पाल सिंह का निधन 43 वर्ष की आयु में हो गया और उससे हम लोगों को हार्दिक क्लेश है। वह बी0 ए0, एल-एल0 बी0 थे। वह 1969 में प्रथम बार चुनाव जीत कर आये थे। उनका मुरादाबाद से गहरा सम्बन्ध था। किसानों की समस्याओं को लेकर कई बार आन्दोलन किया और जेल गये। 1980 में दुबारा कांग्रेस (आई0) के टिकट पर निर्वाचित हुये। मान्यवर, उनके व्यवहार से हम सभी लोग परिचित हैं। उनकी अचानक मृत्यु से हमारी पार्टी और मैं स्वयं बहुत दुखी हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप हमारी इन भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, श्री प्रताप सिंह जी जिनका निधन 22 जून, 1985 को हुआ। वे 59 वर्ष के थे। वे अपने पीछे बहुत बड़ा परिवार छोड़ गये हैं। श्री प्रताप सिंह बुलन्दशहर के रहने वाले थे और उन्होंने शिक्षा तो कम पायी थी। लेकिन काय करने की प्रणाली उनकी बहुत अच्छी थी। वे पहली बार सन् 1977 में सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) से निर्वाचित होकर आये थे और जनता पार्टी के टिकट पर चुने जाने के बाद उन्होंने इस सदन में योगदान दिया। यह सदन उनको हमेशा याद रखेगा। उनके मृत्यु से जो स्थान रिक्त हुआ है उससे हम सभी को बहुत दुख है। मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी ये संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

***श्री राजेन्द्र गुप्त—**

माननीय अधिष्ठाता जी जिन माननीय दोनों सदस्यों के दिवंगत हो जाने के सम्बन्ध में शोकोदगार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, नेता जनता पार्टी ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मुझे दोनों माननीय सदस्यों के साथ इस सदन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनका व्यवहार सदन में जागरूकता और समस्याओं को उठाने की शैली आज मुझे याद आ रही है। उनके हमारे बीच में न रहने से वास्तव में उनके क्षेत्र में यह रिक्तता हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह इस महान दुख को सहन करने की ताकत दे साथ ही इन महान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभूतियों के प्रति अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप हमारी ये संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

माननीय, श्री जितेन्द्र पाल सिंह तथा प्रताप सिंह के निधन से मुझे और मेरे दल को अत्यन्त दुख है । इस सम्बन्ध मे जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं और मेरा दल अपने को पूरी तरह से सम्बद्ध करता है और हम आपसे अनुरोध करते है कि आप शोक संतप्त परिवारों तक हमारी शोक संवेदना भेजने की कृपा करें ।

*श्री कौशिक रमा शंकर—

माननीय, श्री जितेन्द्र पाल सिंह तथा श्री प्रताप सिंह की मृत्यु पर जो भावनायें माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल माननीय नेता जनता पार्टी, नेता भारतीय जनता पार्टी और माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । माननीय, जितेन्द्र पाल सिंह मेरे जनपद के थे और हमारी ही तहसील के रहने वाले थे, उनसे हमारे बड़ा निकट का सम्बन्ध था । वे बहुत ही सुसंस्कृत एवं मृदु भाषी थे । उनके निधन से मुरादाबाद जनपद को अपार क्षति उठानी पड़ेगी माननीय, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप हमारी यह संवेदनायें शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री जितेन्द्र पाल सिंह और श्री प्रताप सिंह के सम्बन्ध में जो शोक का प्रस्ताव रखा गया है और उनके सम्बन्ध में माननीय नेता सदन और हमारे विरोधी दलों नेताओं ने विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं और आपके माध्यम से उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी इस संवेदना को भेजने के लिए अनुरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल, माननीय उप नेता भा0 ज0 पा0 और अन्य नेतागणों ने माननीय जितेन्द्र पाल जी और माननीय प्रताप सिंह जी जो इस सदन के सदस्य रह चुके हैं, के निधन पर जिन गहरे जजबात और दुख भरे ख्यालात का इजहार किया है, मैं अपने आपको उनसे सम्बद्ध करता हूं । और जैसा नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने संवेदना की बातें कहीं हैं मैं उनके परिवारों तक उन संवेदनाओं को पहुंचाऊंगा । मैं इसके साथ ही आपसे निवेदन करूंगा कि दो एक मिन्ट उनके सम्मान में खड़े होकर मौन ग्रहण करें ।

(सभी सदस्य दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट मौन खड़े हुए ।

आगरा नगर महापालिका क्षेत्र में जलभराव से हजारों मकानों की क्षति के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता—

आज मुझे नियम 301 में कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुई । मैंने 15 सूचनायें पढ़ने की अनुमति दी है जिनके नाम मैं पढ़ रहा हूं । एक-एक करके बुलाऊंगा । श्री बदन सिंह, श्री मनोहर लाल, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ एवं श्री माता प्रसाद पान्डेय, श्री अचल सिंह, श्री दीप चन्द्र सोनकर, श्री कलक सिंह, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री अवधेश प्रसाद, श्री काशी सिंह ऐरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री बाबू राम यादव एवं श्री विक्रमादित्य पाण्डेय ।

*श्री बदन सिंह--

हाल ही में होने वाली वर्षा के जल भराव से आगरा महानगर पालिका क्षेत्र के मोहल्लों और बस्तियों से हजारों मकान ढह गये हैं और हरीश, निर्मला, तपन कुमार की मृत्यु हो गयी है और बनवारी लाल, किशन लाल, चन्द्रावती आदि दर्जनों घायल हो गये हैं । नगर महापालिका आगरा के विभिन्न क्षेत्रों में जल निकास की उचित व्यवस्था न होने से तथा वर्षा से पूर्व नालों की सफाई न होने से इस उत्पन्न वीभत्स दशा पर जनता में भारी रोष व आक्रोश व्याप्त है । वहां पर जन आंदोलन हो रहे हैं । जनता विरोध स्वरूप रास्ते जाम कर रही है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन और सदन के संज्ञान में लाकर आगरा नगर महापालिका क्षेत्र जल निकास की उचित व्यवस्था करने तथा दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर द्वारा कच्चे माल के आवंटन में अनियमितता एवं घूसखोरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री मनोहर लाल--

महोदय, विगत एक वर्ष से लघु उद्योग विभाग के सामान्य प्रबंधक निर्धारित नीतियों व नियमों को तिलांजलि देकर अधिकांश फर्जी तथा कागजी इकाइयों एवं अपने परिचित लोगों को कच्चे माल का आवंटन कर रहें हैं । अधिकांशतः ये फर्जी इकाइयां हैं । सामान्य प्रबन्धक इनके संपर्क में न आने वाली इकाइयों के आवेदन-पत्रों को या तो हटा देते हैं या ऐसा कच्चा माल दे देते हैं जिसे वह इकाई मांगती नहीं है ।

निगम हजारों टन लोहा व इस्पात लम्बे समय से अपने भंडार में रखे हैं जिससे निगम को भारी मात्रा में ब्याज की अदायगी करनी पड़ती है । सामान्य प्रबंधक बिचौलियों के माध्यम से इटावा, लखीमपुर तथा कानपुर की लगभग डेढ़ सौ फर्जी व बन्द इकाइयों को माल आवंटित कर रहे हैं । जिससे सही इकाइयां बंद हो रही हैं । इस निगम में एक माफिया गिरोह उच्च अधिकारियों के संरक्षण में कार्य कर रहा है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए विगत एक साल के अंदर आवंटित किये गये कच्चे माल लोहा व इस्पात की व्यापक जांच कराने की मांग के साथ-साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की भी मांग करता हूं ।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डुमरियागंज, बस्ती में बाढ़ पीड़ितों को दी गयी सहायता में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान बाढ़ पीड़ित क्षेत्र डुमरियागंज की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं वर्ष 1984-85 के भीषण बाढ़ में डुमरियागंज तहसील का लगभग 495 गांव तहसील सूची के अनुसार मयरुन्ड घोषित किया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन तहसील के कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही, उदासीनता और भ्रष्टाचार के कारण गृह अनुदान की सहायता 253 गांवों के लोगों को दी गयी। सबसे भारी गड़बड़ी यह की गयी कि राप्ती नदी और बूढ़ी राप्ती नदी के पेट में बसे हुए गांवों को जो सबसे ज्यादा मुसीबत में थे, गृह अनुदान से वंचित कर दिया गया और मिसाल पिछले किसी भी बाढ़ में नहीं आयी कि गांव मयरुन्ड रहा हो और उसके प्रभावित लोगों और क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों को गृह अनुदान न दिया जाये। इससे पूरी डुमरियागंज तहसील के लोगों में रोष और दुख व्याप्त है।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि 253 गांव के अतिरिक्त मयरुन्ड गांव में जो गांव बचे हों उनके एक सप्ताह के अंदर गृह अनुदान उपलब्ध कराया जाय और इस बात की जांच कराई जाय ऐसी अनियमितता क्यों की गयी।

ग्राम तोरा, उन्नाव के ड्रेन की सफाई न होने से संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अचल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि कई दिनों से लगातार भारी वर्षा के कारण ग्राम तौरा विकास खंड बिछिया जनपद उन्नाव में पानी-भराव से एक टापू बनकर रह गया है। सिंचाई विभाग की कई वर्षों की लापरवाही एवं अकर्मण्यता के कारण गांव में बनी ड्रेन की सफाई न होने से पानी नहीं निकल पा रहा है, गत वर्ष में वर्षा के पानी का निकास मंद गति से हो रहा था जिसके कारण गरीबों के कच्चे मकान गिर गये थे। और इस बार भी उन गरीबों के मकान गिरने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अनेकों बार ड्रेन की सफाई के लिए कहा गया लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उक्त पूरा गांव जलमग्न हो गया है और इसके साथ ही ग्राम नौगांव भी इसी प्रकार प्रभावित हुआ है। पानी न निकलने से गांव में बसे किनारे के सैकड़ों लोगों का जीवन दूभर हो गया है। तमाम प्रकार के जहरीले कीड़े उनके घरों में जाकर छिप रहे हैं जिससे उनको तथा उनके परिवार के लोगों की नींद हराम हो गयी है। काफी बेचैनी फैल चुकी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब पानी निकासी की व्यवस्था करायें।

रत्ना शुगर मिल शाहगंज, जौनपुर के श्रमिकों के बकाये वेतन से क्रमिक अनशन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपचन्द्र सोनकर—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से रत्ना शुगर मिल शाहगंज जौनपुर में कार्यरत श्रमिकों के पिछले छः मास से वेतन न मिलने के कारण 250 श्रमिक परिवारों में फैली भुखमरी पर सदन में शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रत्ना शुगर मिल में श्रमिकों को पिछले छः माह से वेतन नहीं मिला है उनके बोनस व अनेक दूसरे बकायों का भुगतान नहीं किया गया है जो लगभग 55 लाख रुपया होता है। इस भुगतान के न होने से मिल में कार्यरत 250 श्रमिकों के परिवार के छोटे-छोटे बच्चे दाने-दाने के लिए मोहताज होकर भुखमरी के कगार पर खड़े हैं और यहां के श्रमिक 10 जून, 1985 से मिल के गेट पर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर के किसानों का गन्ने का चालीस लाख रुपये का बकाया भुगतान नहीं हो पाया है जिसका किसी भी स्तर

पर भुगतान की व्यवस्था नहीं कराया जा रहा है ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि श्रमिकों व किसानों के मिल से सारे भुगतान अविलम्ब कराने का कष्ट करें ।

गाजियाबाद में पाइरिला रोग के उपचार हेतु वितरित की गई दूषित दवा के मूल्य माफ किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कनक सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से गन्ना मंत्री जी का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरफ दिलाना चाहता हूं ।

दिनांक 1-7-1985 को गाजियाबाद में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग में आबकारी मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह) के समक्ष विधायकों द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कि जो दवा पाइरिला छिड़की गयी है वह प्रभावहीन व एक्सपायरी डेट की थी । जिसको जिला गन्नाधिकारी, गाजियाबाद एवं जिलाधिकारी, गाजियाबाद ने भी माननीय मंत्री जी के सामने स्वीकार किया । विधायकों ने मांग की थी इसका जो पैसा कृषकों पर थोपा गया है, उसे माफ किया जाय, इसे मीटिंग में माननीय मन्त्री ने स्वीकार किया तथा घोषणा की कि इस पैसे को कृषकों से नहीं वसूला जायेगा ।

अतः मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि जिला गाजियाबाद के समस्त कृषकों के पाइरिला दवा का देय धन न वसूलने के आदेश दिये जायं ।

देवरिया जनपद के आबकारी अधिकारियों के साजिश से शीरे की तस्करी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

अधिष्ठाता महोदय, देवरिया जनपद के कप्तानगंज, रामकोला, छितौनी आदि चीनी मिलों तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों की सांठ-गांठ से शीरे की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है, हर सप्ताह हजारों रुपये की बनी शीरा बिहार व आसाम के रास्ते नेपाल तथा बंगला देश ट्रकों, लारियों तथा टिन के डिब्बों में भेजा जा रहा है । वहां तस्कर 10 गुने दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं । इस शीरे से डिस्टिलिरियों द्वारा शराब बनाया जाता है । इस तस्करी से प्रदेश सरकार के राजस्व के लाखों रुपये की क्षति हो रही है । समूचा प्रशासन तन्त्र गन्ने के इस उत्पाद के तस्करी से वाकिफ होने के बाद भी कोई कदम नहीं उठा रहा है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन से अनुरोध है कि वे तत्काल प्रभावी कार्यवाही करें, जिससे शीरे के तस्करी से हो रहे राजस्व के क्षति को बचाया जा सके ।

सीतापुर में सरायन नदी पर बांध बनाने तथा नदी के किनारों को ऊंचा करने की योजना में विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

अधिष्ठाता महोदय, सीतापुर को तीन ओर से घेर कर बहने वाली

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरायन नदी की बाढ़ से प्रतिवर्ष सीतापुर नगर बर्बाद हो जाता है, विनाश लीला से बचाने हेतु नदी पर एक बांध बनाने तथा निचले इलाके में जहां जलभराव होता है ऊंचा करने की योजना स्वीकृत हुई । चार वर्ष पूर्व स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के लिए 28 नवम्बर, 84 को शारदा नहर के तकनीकी सेल से लगभग 4 करोड़ रुपया भी मिला, परन्तु अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया गया । विधान सभा चुनाव के समय सत्तारूढ़ दल ने उद्घाटन का नाटक रचा परन्तु न जाने क्यों मामला खटाई में पड़ा है, वर्षा आ गई, बाढ़ की आशंका से नागरिक सिहर रहे हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष वह बाढ़ के तांडव से त्रस्त है । मान्यवर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां से प्रतिपक्ष का विधायक होने के नाते स्वीकृत योजना पर कार्य प्रारम्भ न कराकर जनता से कांग्रेस को हराने का बदला लिया जा रहा है ।

अतएव, लोकमहत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न को आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि बाढ़ नियन्त्रण हेतु बांध बनाने का कार्य तुरन्त शुरू किया जाय ।

मझौआकला, थाना क्षेत्र रुदौली, बस्ती में पुलिस द्वारा हरिजनों को सताये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, बस्ती जनपद में थाना रुदौली के अन्तर्गत ग्राम मझौआकला है, जहां पर हरिजनों की आबादी है विगत 11/12 जुलाई, 1985 की रात के 12 बजे डकैतों के गिरोह ने 7 हरिजनों के घरों में डकैती डाली । हरिजनों के समस्त जेवरात, कपड़ा, बर्तन और नगदी लूट ले गए । डकैतों ने सामूहिक रूप से हरिजनों की औरतों को बेइज्जत किया, उन्हें मारा-पीटा, जिससे 5 लोगों को गम्भीर चोटें आयी हैं । जिनकी हालत चिन्ताजनक है । ग्रामवासियों ने एक डकैत को मौके पर पकड़ लिया, जिसके पास 15 सौ रुपये धारदार औजार तथा आग्नेय अस्त्र बरामद हुआ । उससे पूंछ-तांछ पर दर्जनों शातिर बदमाशों का नाम डकैती में बताया । थाना रुदौली की पुलिस ने पकड़े हुए डकैतों को छोड़ दिया और पुलिस डकैतों के गिरोह से मिल चुकी है । उल्टे हरिजनों को डराया व धमकाया जा रहा है ।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल कड़ी और सुरक्षात्मक कार्यवाही की जाय ।

उत्तराखण्ड के जनपदों में अभूतपूर्व वर्षा से धन-जन की क्षति होने और उसके मुआवजे की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी सिंह ऐरी--

आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोकमहत्व की निम्न सूचना रखना चाहता हूं--

सम्पूर्ण उत्तराखंड विशेषकर सीमान्त जनपदों में विगत दो वर्षों के प्रचण्ड सूखे के बाद विगत सप्ताह से लगातार मूसलाधार वर्षा के कारण वहां मोटर मार्गों में भूस्खलन से यातायात बिलकुल ठप्प हो गया है । काठगोदाम नदी में 12 व्यक्तियों के बहने के अलावा अनेक स्थानों में जनधन व मवेशियों की व्यापक हानि हुई है । हजारों एकड़ जमीनें कट गयी हैं । यातायात टूटने के कारण खाद्य व आवश्यक वस्तुएं वहां नहीं पहुंच पा रही हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय सदन के सम्मुख इस अत्यन्त लोकमहत्व के विषय को रखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यातायात खोलने के लिए युद्धस्तर पर कार्य प्रारम्भ किया जाय। उत्तराखंड में बाढ़ से हुई जन-धन, मवेशियों के हानि का आकलन कर समुचित मुआवजा दिया जाए तथा उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र में खाद्यान्न व आवश्यक वस्तु पहुंचाने का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय।

उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन संस्थान की नियुक्तियों में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन संस्थान जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी, आज अत्यन्त दयनीय स्थिति में पहुंच गया है और पूर्णतयः निष्क्रिय हो गया है। इस संस्थान से अपेक्षा की गई थी कि वह हमारी योजनाओं को बनायेगा और मूल्यांकन करेगा। यह काम तो दूर, यह संस्थान शासनादेशों की अवहेलना एवं नौकरशाही का मात्र एक केन्द्र बन गया है।

सभी शासनादेशों को ताक पर रखकर कुछ समय पूर्व संस्थान के नवीन प्रभाग में वरिष्ठ प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को, जो अवकाश प्राप्त कर चुके थे पुनः नियुक्ति, दो शोध अधिकारियों की बिना विज्ञापन एवं साक्षात्कार के नियुक्ति एवं एक दर्जन शोध सहायकों को स्पष्ट शासनादेशों के बावजूद सेवा में नियमित न करना, लगभग 20 पदों पर एक लम्बे अर्से से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से टाइपिस्ट एवं आशुलिपिक का काम कराना, कर्मचारियों के बीच भवन निर्माण हेतु ऋण वितरण आदि में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि से ऐसी बातें हैं, जिससे नियोजन संस्थान का कार्य ठप्प सा हो गया है और अब यह संस्थान प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था पर बोझ बन गया है।

अस्तु मैं नियोजन संस्थान में बरती जा रही अनियमितताओं को दूर करने हेतु शासन से प्रभावी कदम उठाने की मांग करता हूं।

दादरी, गाजियाबाद तथा सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर में यमुना एवं हिंडन नदियों के तटबन्ध कार्य अपूर्ण होने से संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र सिंह भाटी--

माध्यवर, जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी में बुलन्दशहर जनपद की तहसील सिकन्दराबाद में यमुना नदी एवं हिंडन नदी साथ-साथ लगभग 3 कि0 मी0 की दूरी पर बहती है। दोनों ही नदियों पर सिंचाई विभाग के तटबंध लगभग 17 कि0 मी0, बंधवाये हैं। नौएडा दादरी मार्ग पर स्थित ग्राम कुलेसरा से हिंडन और यमुना नदियों के बीच 9 गांव पड़ते हैं, जिनके नाम शहदरा, मगरौली, छपरौली, नलगढ़ा, मोहियापुर, गुलावली, झट्ठा, कोन्डली और बादौली हैं। तटबंध गुलावली और झट्ठा के बीच 246 मीटर एवं कुलेसरा एवं नालगढ़ा के बीच लगभग एक किलोमीटर नहीं बना है। बाढ़ की स्थिति में उपरोक्त तमाम गांव पानी में डूब जायेंगे और फसल गांव एवं जन-धन की अपार हानि होने की पूर्ण आशंका है। सारे गांव गुलावली वाले अपूर्ण तटबंध के कारण भयातुर हैं, उनके बचाव की कोई स्थिति नहीं है।

अतः इस सम्मानित सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन दोनों तटबंधों पर निर्माण कार्य तुरन्त पूर्ण कराया जाय अन्यथा तमाम गांव समूल नष्ट हो जायेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

इलाहाबादी अमरूद उद्यानों को विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद से हटा कर फल पट्टी घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

मान्यवर, आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इलाहाबाद शहर में विश्वविख्यात अमरूद के मूल एवं मुख्य स्थान उमर-पुरनिवां व हरवारा के उद्यानों को 13-9-84 को विधान सभा में उक्त बाग भूमि को विकास प्राधिकरण से मुक्त कराने की मांग किया था, समस्त जांच कार्यवाही के बाद तत्कालीन नगर विकास मन्त्री श्री विद्याभूषण ने लिखित आश्वासन दिया था कि महायोजना में परिवर्तन करके उक्त अमरूद बाहुल्य क्षेत्र को फल पट्टी घोषित कर दिया जायेगा, उक्त सारी कार्यवाही सरकार के विचाराधीन पड़ी है ।

अतः उपरोक्त समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करते हुए इसी सत्र में विश्व-विख्यात अमरूद के मूल एवं मुख्य स्थान उमरपुर नीवा में हरवारा के बागों को अविलम्ब फल पट्टी (फल बेल्ट) घोषित करने हेतु कृषि मन्त्री एवं सरकार से मांग करता हूं ।

मदनपुर, करहल, मैनपुरी के बीहड़ ग्रामों में नील गायों द्वारा फसलों की बर्बादी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू राम यादव--

महोदय, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र करहल मैनपुरी के ब्लाक मदनपुर के बीहड़ के ग्रामों, गारऊ, परियर, कोटर, बड़ीरा, मड़ई, स्वपपुर, नगला, दानी, मई आदि में नील गायों के प्रकोप से रबी की पूरी फसल कृषकों के हाथ से चली गयी । इन ग्रामों के किसान भूखों मर रहे हैं । क्योंकि पूरी फसल उक्त नीलगायें साफ कर गयी । अब पुनः खरीफ की फसल लग आयी है और उगते ही यह जंगली जानवर जो सैकड़ों के झुण्डों में बीहड़ में रहते हैं फसल को बर्बाद कर रहे हैं । समय रहते यदि जानवरों पर काबू न पाया गया तो हजारों कृषक बर्बाद हो जायेंगे और भूखों मरने पर मजबूर होंगे ।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि समय रहते इन नीलगायों को बीहड़ से हटाने की व्यवस्था करें ताकि खरीफ की फसल बचाया जा सके ।

नगरपालिका बलिया क्षेत्र में जल भराव एवं गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में नगर पालिका, बलिया में गन्दे एवं वर्षा के पानी के निकासी के नाला न होने एवं "सीवेज" के न बनने से गत चार दिनों में हुई भीषण वर्षा से शहर में जल भराव हो गया है । नालियां, उफन कर घर में भर गयी । सड़क, गली जल प्लावित आवागमन अवरुद्ध है । सड़ान्ध, मले का भराव घरों में रोटी बन्द कर दिया है जिससे बलिया शहर का समूचा जनमानस हिल उठा है । सरकार के प्रति असन्तोष की ज्वाला भड़क उठी है ।

मान्यवर, स्थिति का भयानकता और जनमानस में व्याप्त असन्तोष ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आन्दोलन का रूप ले लिया है, सैकड़ों लोग नर-नारी एवं मासूम बच्चे अनशन पर बैठे हैं। अतः सम्वेदनशील एवं लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि बलिया नगरपालिका में नाला एवं सीवेज बनाने का निर्देश दें ताकि जन-जीवन की रक्षा हो सके।

सहारनपुर में हुये दंगे के विषय में मुख्य मन्त्री से वक्तव्य की मांग

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैं एक निवेदन करना चाहता था। मान्यवर, जब इस आदरणीय सदन में सहारनपुर के मामले पर चर्चा हुई, तो उस समय आपके संज्ञान में बात आई कि माननीय मुख्य मन्त्री जो यहां से चले गये हैं। जब मैंने चिन्ता प्रकट की थी, तो माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने कहा कि मुख्य मन्त्री जी स्वयं चिन्तित हैं और वह सहारनपुर चले गये हैं। आज वह हमारे बीच में आ गये हैं, इससे ज्यादा हमारी और पूरे सदन की चिन्ता नहीं हो सकती। माननीय मुख्य मन्त्री जी आ गये हैं, वह वहां की लेटेस्ट स्थिति के बारे में वह लोगों को जानकारी करायें, ताकि उस जानकारी के आधार पर हम लोग स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने यह कहा था कि पूरी स्थिति का जायजा लेने के बाद माननीय मुख्य मन्त्री जी जब इसको शीघ्रातिशीघ्र समझें कि यह वक्तव्य देकर बात की जाय, तो वक्तव्य दे दें। अब माननीय मुख्य मन्त्री जी आ गये हैं, वह वक्तव्य का समय निश्चित करेंगे और वक्तव्य अपने समय के अनुसार देंगे। एक वक्तव्य के लिए लगा दिया है, वह इसमें आ जायेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय सदन चल रहा है और पूरे प्रदेश के विधायक उसमें भाग लेने के लिए यहां पर मौजूद हैं। मान्यवर, जो विधायक निवासों की इस समय स्थिति है, उसकी जितनी तारीफ की जाय, उतनी कम है। आज सुबह 5 बजे से लेकर....

श्री अधिष्ठाता--

यह किस नियम में उठा रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

यह नियम 110 के अन्तर्गत उठा रहा हूं।

(व्यवधान)

मान्यवर, अगर हमारे आवास में सुविधायें नहीं प्रदान की जाती हैं, तो हमारे कार्य में व्यवधान पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता--

आपने नियम तो लिखा ही नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

तो मान्यवर, बेनियम ही समझ लीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

इस समय आपको इजाजत नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, नियम लिखने से रह गया। अब आप आज्ञा देंगे, तभी बोलूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

यह अलग से व्यवस्था उठाने के लिए हम आपको इजाजत देने पर विचार कर सकते हैं। इस समय आपको इजाजत नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर यह सभी माननीय सदस्यों की कठिनाई है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राम आसरे वर्मा जी, आप तो हमसे भी पुराने मेम्बर हैं । आप कृपया बैठें । आपको इस समय इजाजत नहीं है ।

उत्तर प्रदेश के हिमालय पर्वत सीमान्त क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से तस्करी तथा जासूसी होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न आपकी सेवा में पेश किया है ।

श्री अधिष्ठाता--

जब तक इस पर निर्णय न हो जाए इस पर न बोलें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जब तक आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, ग्रह्यता पर नहीं सुनेंगे...

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में अपनी बात कहिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं आपसे निवेदन है कि आप जिस सीट पर बैठे हैं उसकी गरिमा को ध्यान में रखकर जो भी निर्णय देंगे वह हमें शिरोधार्य होगा ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं इजाजत दे रहा हूं एक मिनट में बोलें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

हमारी आप पर पूरी आस्था है । मान्यवर, मैं 24 अक्तूबर, 1962 को इस माननीय सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया था उसकी जीवन्तता और निरन्तरता के संदर्भ में औचित्य का प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया है । उस प्रस्ताव के अंश मैं नहीं पढ़ूंगा । मान्यवर, मेरी निजी जानकारी है कि जो उत्तर प्रदेश और देश की सीमा के इलाके हैं खासकर जो हिमालय की सीमा से लगे हुये इलाके हैं । वहां असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई है । वहां तैनात सुरक्षा के सिपाही लापरवाही बरत रहे हैं, मेरी निजी जानकारी है कि विदेशी व्यक्ति वहां जासूसी का कार्य कर रहे हैं । मान्यवर, वहां एक मुंशियारी जगह है मुंशियारी चेक पोस्ट साढ़े 12 हजार फिट की ऊंचाई पर है वहां से चीनी लोग आते जाते दिखाई देते हैं । मान्यवर, वहां जो इन्सपेक्टर तैनात किया गया है वह पिछले 6 महीनों से छुट्टी पर चल रहा है । जबकि वहां पर साल में छः महीने बर्फ पड़ती है । मान्यवर, माना एक गांव है जो साढ़े 10 हजार फिट की ऊंचाई पर है, जो बद्रीनाथ से एक डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है । यह उत्तर प्रदेश का आखिरी गांव है । वहां पर व्यापक पैमाने पर कच्ची शराब पिलाई जा रही है और बनाई जा रही है। वहां जो इन्टैलीजेन्स ब्यूरो का एक अधिकारी नियुक्त है वहां भारत के उप राष्ट्रपति 7 जून को जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने वहां एलान कर दिया कि 6 जून को जायेंगे, सारी तैयारियां हो गयीं बद्रीनाथ के दरवाजे बन्द हो गये । बाद में पता लगा कि गलती से ऐसा हो गया है ।

इसी प्रकार जोशीमठ में सेना के एक अधिकारी के पास एक ऐसा आदमी पकड़ा गया है जिसके पास पुलों की और सड़कों की तस्वीरें पाई गई थीं । इसी तरह से इन्टैलीजेन्स ब्यूरो का एक ट्रेण्ड अधिकारी जनपद देहरादून रह कर विदेशों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को जानकारी भेज रहा हूं और सिविल प्रशासन के पास ऐसे साधन नहीं हैं कि वह जानकारी करके बरेली या उत्तर प्रदेश सरकार को दे सकें ।

श्री अधिष्ठाता--

अब खत्म करें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

एक बात और कहना चाहता हूं इस प्रस्ताव का निरन्तरता से सम्बन्ध है । मैंने इस आशय से यह बात कही है क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं । और यह सरकार केन्द्र सरकार को लिखे जिससे वह ऐसी हरकतें रोकने के लिये कदम उठाये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं किसी को आज्ञा नहीं दूंगा । आप सब बैठें ।

(व्यवधान)

मैंने औचित्य के प्रश्नों को देख लिया है । माननीय रघुवर दयाल जी, माननीय वर्मा जी बैठें । मैं निवेदन कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव --

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो मामला उठाया है, वह बहुत गम्भीर है । इसी प्रकार जब चीन का हमला हुआ था, तो इसकी सूचना स्वर्गीय डा0 लोहिया ने दी थी । इसी प्रकार आज जो सूचना दी गई है, हमारी सीमाओं को गम्भीर खतरा हो सकता है । यह केवल चीन से सम्बन्धित नहीं है । जैसा माता प्रसाद जी ने कहा नेपाल की सीमा पर भी घुसपैठ हो रही है । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से चाहूंगा कि इसको गम्भीरता से लें और केन्द्रीय सरकार को लिखें । एक इन्सपेक्टर 6 महीने से छुट्टी पर है, इस पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

नेता विरोधी दल को सुनने के बाद....

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)--

माननीय नेता विरोधी दल ने जो चिन्ता व्यक्त की है, जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है, हम सभी अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव चिन्तनशील रहते हैं । इस दृष्टि से कोई मामला है, तो उसमें मतभेद की बात नहीं है । जो प्रश्न उठाया गया, यह सब जितने विभाग हैं, आई0बी0 या स्पेशल ब्रांच यह सब केन्द्र सरकार के हैं । जो मुन्शियारी की बात है वह लास्ट चेकपोस्ट नहीं है । मुन्सियारी काफी आबाद एरिया है । उसके काफी आगे मिलम ग्लैसियर के समीप पंजाचौकी है । मुन्सियारी आखिरी चेकपोस्ट नहीं है । जो भावना है, उसको मैं समझ रहा हूं, लेकिन जो सूचना माननीय सदस्य को दी गई है वह इतनी सही नहीं है । जो मानाग्राम की बात कही गई । मानाग्राम भोटियों का है । भोटिया आदिवासी चांग नाम के पेय का प्रयोग बहुत पहले से पहाड़ की ठंडक में रहने के कारण करते हैं । जो वहां के पुराने रस्म-रिवाज हैं, उनका हम सबको आदर करना चाहिये । मैं नहीं कह सकता हूं कि वह कच्ची शराब है । भोटिया लोग अपने घरों में चांग बनाते हैं । जहां तक सीमा की सुरक्षा की बात कही गई मैं केन्द्रीय गृह मन्त्री के पास इसको भेज दूंगा ताकि कोई चीज हो, तो देख सकें । वैसे मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि जहां हमें सतर्क रहना चाहिये, वहीं बहुत ज्यादा शक की होना उचित नहीं है । यह मैं अपने लिए भी कह रहा हूं और आपके लिए भी कह रहा हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

इसकी की बात नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सहारनपुर में हुए दंगे के विषय में मुख्य मन्त्री से वक्तव्य की मांग (क्रमागत)

*श्री फजलुलबारी:-

नियम 110 (2) में मैं कहना चाहता हूं कि सबसे गम्भीर मसला सहारनपुर का है। कर्फ्यू लगा है। हम सब जानते हैं कि कर्फ्यू में पुलिस किस तरह की जुल्म और ज्यादती करती है, घरों को लूटती है, बेइज्जती करती है। मेरी जानकारी है कि वहां के लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। वहां की सही सूरतहाल क्या है? इसको जानने के लिए रामसरन जी ने एक पत्र लिखा था, जिसमें यह कहा था।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने सुन लिया है आपने जो बात कही है। अब आप बैठ जायें।

श्री फजलुलबारी--

मान्यवर, वहां की जनता तकलीफ में है। आप इसको पढ़ लीजिए। आप उनकी तकलीफों को महसूस नहीं कर रहे हैं। इस पर माननीय मुख्य मन्त्री बता दें।

पंजाब समस्या पर प्रधान मन्त्री तथा अकाली दल के अध्यक्ष के बीच हुए समझौते पर मुख्य मन्त्री द्वारा सदन में बधाई प्रस्ताव लाने की मांग

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, कल राष्ट्रीय महत्व की एक घटना हुई है। पंजाब के मामले में हमारे माननीय प्रधान मन्त्री और अकाली दल के अध्यक्ष लोगोवाल के बीच एक समझौता हुआ। माननीय नेता सदन इस सदन की ओर से एक धन्यवाद का प्रस्ताव लायें ताकि जो एक राष्ट्रीय सहमति का वातावरण बना हुआ है, इनमें और प्रगति हो और इसकी उत्तर प्रदेश अगुवाई करे।

श्री राम सरन--

मान्यवर, मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

इस प्रदेश के अन्दर शान्ति व्यवस्था बनी रहे, हम सारे लोग इसके समर्थक हैं। आपने समय दिया है तो सुन लें। जो अकाली दल के अध्यक्ष श्री लोगोवाल और प्रधान मन्त्री में वार्ता हुई है, उस वार्ता के अन्दर आप उस पर न वार्ता करायें और न प्रस्ताव पास करायें। क्योंकि हो सकता है कि जनतांत्रिक परिवेश के अन्दर इस प्रदेश के अन्दर कोई असहमति हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप लाना चाहते हैं तो कल ले आयें।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है इस सम्बन्ध में एक परम्परा रही है। इस तरह का प्रस्ताव सर्वसम्मति से होना चाहिए। इसलिए इस प्रस्ताव के आने से पहले नेता सदन और प्रतिपक्ष के नेता विचार विमर्श कर लें। इसलिए मैं उसकी मेरिट में नहीं जाता। उसका वार्ता करनी है या यह प्रस्ताव लाना है तो प्रतिपक्ष के नेताओं की आम सहमति बन जाय। ऐसा न हो कि बिना सहमति के प्रस्ताव यहां लाने से उसमें किसी को असहमति या मतभेद होने लगे। क्योंकि पंजाब की समस्या बहुत नाजुक है। देश की एकता, अखंडता अक्षुण्य रहे, यह हम सबकी सदस्यता है। यदि प्रस्ताव पर मतभेद प्रकट हो गया तो वह स्थिति शायद शोभनीय नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि नेता सदन इस प्रस्ताव पर एक प्रारूप तय कर लें। और सभी नेताओं से विचार विमर्श हो जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मनेजर सिंह--

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं बधाई देन चाहता हूं सत्तारूढ़ को कि उन्होंने आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को सही माना, देश की अखन्डता को सही माना ।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)--

मान्यवर, माननीय सदस्य फैजाबाद जनपद ने जो बात कही, श्रीमन्, हमें तो बड़ी प्रसन्नता होगी यदि यह सदन सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित कर दे ।

(व्यवधान)

क्योंकि जहां तक हमारा प्रश्न है हमारे दल का प्रश्न है, मैंने कल रात्रि भी ही वक्तव्य प्रसारित किया था अपने दल की भावनाओं को देखते हुए लेकिन जब मैंने अनौपचारिक रूप से नेता विरोधी दल से परामर्श किया तो उन्होंने कहा ठीक ही है । जैसे हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रस्ताव तो पारित हो जाय हर एक के दिल में है ही क्योंकि यह प्रश्न देश की एकता और अखन्डता का है । उसमें धार्मिक समन्वय है जो राजनीति से भी ऊपर है । हम चाहते हैं कि देश में धार्मिक एकता और बंधुत्व बना रहे । यह सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बन्धुत्व बना रहे । इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि वह मनोवैज्ञानिक खाई है, जिसे पाटने के लिए भगीरथ प्रयत्न किया गया । यह प्रयत्न स्तुत्य है । उनके इस निर्णय के लिए आदर सभी माननीय सदस्यों के मन में है, हां इस आदर को कैसे कहें, उस उक्ति के कहने में भिन्नता हो सकती है । जो वातावरण इस समय बना हुआ है, उसे खा-म-खा दोषी बना देना ठीक नहीं है । जो वातावरण बना है, बना रहे, यही ठीक है, ताकि कोई यह न कह सके कि यू0 पी0 में यह कहा गया । इसलिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव बने, यह ठीक है । मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य, फैजाबाद और उनके साथीगण स्वयं एक प्रस्ताव बनाकर ले आएं । यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होना चाहिये ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो कहा है, इस सम्बन्ध में संसदीय कार्य-मन्त्री जी ने मुझसे बात की थी । तो मान्यवर, जब एक परम्परा है कि इस प्रकार का कोई बधाई प्रस्ताव आता है तो सर्वसम्मति से पास होता है । इसमें कोई एक सदस्य भी विरोध कर दे तो पास नहीं होता । मैंने यही कहा था कि हम विभिन्न पार्टियों के नेताओं से बात कर लें । इन्होंने कहा था कि ठीक है ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

औचित्य के चार प्रश्न मेरे पास आए थे । मैंने चारों खारिज कर दिए, लेकिन शतरुद्र प्रकाश जी का जो प्रस्ताव था, वह दायरे में तो नहीं आता, लेकिन इसको मुख्य मन्त्री जी को संदर्भित कर रहा हूं ताकि इसकी जांच करा कर केन्द्रीय सरकार को जो भी मुनासिब समझें, भेज दें ।

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

माननीय अधिष्ठाता, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त--

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 जुलाई, 1985 की बैठक में यह सिफारिश की है कि विधान सभा का दिनांक 26 जुलाई, 1985 से 11 अगस्त, 1985 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय—

26 जुलाई, 1985, शुक्रवार को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :--

(क) उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985—एक घंटा

(ख) उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985--आधा घंटा

(ग) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ—

एक घंटा

(घ) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ—

एक घंटा

27 जुलाई, 1985 शनिवार तथा 28 जुलाई, 1985, रविवार को बैठक नहीं होगी ।

29 जुलाई, 1985, सोमवार को (1) विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांग पर मतदान (आधा दिन) (2) संस्थागत वित्त विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर मतदान (आधा दिन)

30 जुलाई, 1985, मंगलवार को (1) ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांग पर मतदान, (2) प्रदेश में बिजली आपूर्ति में भीषण अव्यवस्था तथा घोषित एवं अघोषित कटौती के कारण उद्योग, व्यापार तथा कृषि इत्यादि के प्रभावित होने एवं जल संकट पैदा होने एवं भीषण गर्मी में विद्युत् उपभोक्ताओं में व्याप्त असंतोष के विषय पर श्री राजेन्द्र गुप्त के प्रस्ताव पर नियम 103 के अन्तर्गत एक घंटे की चर्चा ।

31 जुलाई, 1985, बुधवार--(1) वन विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांग पर मतदान (आधा दिन)

(2) पर्यटन विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांग पर मतदान (आधा दिन) ।

1 अगस्त, 1985, गुरुवार हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर मतदान ।

2 अगस्त, 1985, शुक्रवार (1) श्रम विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर मतदान (आधा दिन) ।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण--

(क) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

(ख) उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानि-प्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

3 अगस्त, 1985, शनिवार तथा 4 अगस्त, 1985, रविवार--बैठक नहीं होगी ।

5 अगस्त, 1985, सोमवार--सहकारिता विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांग पर मतदान ।

6 अगस्त, 1985, मंगलवार--(1) सूचना विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांग पर मतदान (आधा दिन) ।

(2) आबकारी विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांग पर मतदान (आधा दिन) ।

7 अगस्त, 1985, बुधवार--(1) पशुधन विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर मतदान (आधा दिन) ।

(2) जेल एवं राजनैतिक पेंशन विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर मतदान (आधा दिन) ।

8 अगस्त, 1985, गुरुवार--(1) सिंचाई विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर मतदान ।

(2) प्रदेश में घाघरा, सरयू, गोमती तथा उनकी सहायक नदियों एवं उनमें मिलने वाले नालों से हर वर्ष उत्पन्न होने वाली बाढ़ की विषम स्थिति का स्थायी हल निकालने के लिये आयोग गठित करने के विषय में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के प्रस्ताव पर नियम 103 के अन्तर्गत एक घंटे की चर्चा ।

9 अगस्त, 1985, शुक्रवार, 10 अगस्त, 1985, शनिवार तथा 11 अगस्त, 1985, रविवार--बैठक नहीं होगी ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अधिष्ठाता द्वारा अभी सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना अधिष्ठाता द्वारा अभी सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

सहारनपुर में हुए दंगे के विषय में मुख्य मंत्री से वक्तव्य की मांग

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, इस एजेन्डे का मद संख्या 8 देखने का कष्ट करें । इसमें है मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों ।

मान्यवर, सहारनपुर वाले विषय पर हम सबको चिन्ता है । माननीय मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य दे देना चाहिये मद 8 का आदर करते हुए । अगर वे वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि सहारनपुर में जो हो रहा है, तथ्यों को सरकार छिपा रही है । मान्यवर, जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार अभी भी पुलिस का तांडव नृत्य कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में हो रहा है । पुलिस अत्याचार अभी भी वहां बरकरार है ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने कल इस पर निर्णय दे दिया था कि इस पर वक्तव्य होगा । अब इसमें क्या बात है ?

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपका निर्णय नियम 56 के अन्तर्गत था, उसमें आपने व्यवस्था दे दी । कल नियम 56 पर जब चर्चा हो रही थी, मुख्य मंत्री उस समय सदन छोड़कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सहारनपुर चले गये थे । वहां उन्होंने कुछ स्थिति देखी होगी, उनके वहां से जाने से कुछ सामान्य स्थिति बनी होगी। पुलिस जुल्म की बाबत भी लोगों ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया होगा । वहां की सारी स्थिति उन्होंने देखी होगी । इसकी जानकारी सदन को दी जानी चाहिए । सदन के प्रति यह मंत्री परिषद् जवाबदेह है । इसकी आलोचना भी हो सकती है, अगर उन्होंने वहां पर गलत काम कराया होगा । मान्यवर, आप हमें संरक्षण प्रदान करें । अगर ये सहारनपुर गये हैं, तो उन्हें ताजा स्थिति के बारे में जानकारी देनी चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने और श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने इस मामले में जो अपनी भावना व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि वह पूरे सदन की भावना है और उनकी इस विषय पर चिन्ता करना भी स्वाभाविक है । इस घटना की अभिव्यक्ति क्या है, यह घटना कैसे हुई, इसका सारा विवरण माननीय सदस्य माननीय मुख्य मंत्री जी के मुंह से सुनना चाहते हैं क्योंकि वह वहां होकर आ गये हैं । यदि इसमें कोई सहयोग की बात होगी तो हम लोग भी सहयोग देने के लिए तैयार हैं ।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

मैं तो मान्यवर, उस समय भी आपकी अनुज्ञा चाहता था, जिस समय सबसे पहले माननीय सदस्य, सीतापुर ने इस सम्बन्ध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की । मैं स्वयं अपना कर्तव्य समझता था कि मैं इस पर कुछ कहूं । मुझे मालूम हुआ कि इस सम्बन्ध में यहां पर कल जो विवाद हुआ था, मैं समझता हूं कि वह भी नहीं होना चाहिए था । जब एक बार सूचना हो गई थी कि इस सदन का एक सेक्रक इस सम्बन्ध में वहां गया हुआ है ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

आपके जाने के बाद हमें पता चला।

श्री नारायन दत्त--

मैंने आपकी बात मान ली ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

जब मैंने आपकी भर्त्सना की, तब आपके संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमें बताया कि आप सहारनपुर चले गये हैं ।

श्री नारायन दत्त--

मान्यवर, आप तो जानते ही हैं कि यात्रा जलवायु पर निर्भर करती है । वैसे भी आप जानते हैं कि मानसून का सीजन चल रहा है । मैं यह कह गया था कि जब यह विषय आयेगा तो बता दीजियेगा कि मैं इस मामले में सहारनपुर जा रहा हूं । आत्म प्रचार के लिए मैं बीच में खड़ा होकर कहता कि मैं सहारनपुर जा रहा हूं, इसलिए मैं बता गया था । वैसे भी आत्म प्रचार की एक सीमा होती है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है, इसलिए मैं स्पष्टीकरण दे दूं । मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह एक संवेदनशील व अहम् मामला है । मैंने बड़े सम्मान के साथ कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां से चले गये । यदि मुझे पहले से मालूम होता तो मैं कतई नहीं कहता । मुझे बाद में बताया गया आपके संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा कि आप सहारनपुर गये हुए हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी को इसकी सूचना संसदीय कार्य मंत्री या आपके माध्यम से इस सदन में दी जानी चाहिए थी, इसलिए मैं अपनी बात पर पुनः बल देता हूं ।

श्री नारायन दत्त--

मैंने कोई शिकायत तो नहीं की कि कल यहां पर क्या हुआ ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

इसमें आपके संसदीय कार्य मंत्री की गलती है ।

श्री नारायन दत्त--

मान्यवर, आपने 1 अगस्त, 1985 को इस पर वक्तव्य देने के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निर्धारित कर दिया था। खैर, वह भी नहीं हुआ। मैं तो इस पर अपनी बात कहने के लिए आज भी तैयार हूं। इस पर चिन्ता करना स्वाभाविक है। श्रीमन्, यह सब चाहेंगे कि यहां पर कोई ऐसी बात न कही जाय जिससे स्थिति किसी प्रकार से सुलझने के बजाय उलझ जाय। जब कल मैं वहां गया तो मैंने प्रयास किया कि सभी दलों के नेताओं से, कार्यकर्त्ताओं से वार्ता हो सके। जितना भी सम्भव था, सभी दलों के नेताओं, प्रतिनिधियों से, संगठनों से, जो भी वहां उपलब्ध थे, मैं तो कृतज्ञ हूं उन सब का, उनसे वार्तालाप किया, और उन्होंने इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और चाहा कि सहारनपुर जनपद की जो मर्यादा है वह कायम रहे। पांच थाने हैं, 3 में कर्फ्यू लगा हुआ है, दो में नहीं। सभी सम्प्रदायों के लोग आपस में मिल रहे थे, शहर के उस भाग में जहां कर्फ्यू नहीं है, इसका कोई असर वहां नहीं पहुंचा, सामान्य जनता इससे अप्रभावित रही। इसका भी मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यथा-स्थान भी मैं गया, बड़ा दुख हुआ, वहां पर जो घटना हुई उसका एक पुराना इतिहास बताया गया, मैं उसे कहना नहीं चाहता, भिन्न-भिन्न लोगों ने भिन्न-भिन्न कहानी बतायी और दोनों पक्ष में यह होता कि हम ही सही हैं। वहां इतनी बात अवश्य लगा कि जो घटना क्रम हुआ, उसमें जो पुलिस फोर्स थी, जितनी आवश्यकता थी, उसके अनुरूप व्यवस्था नहीं हो पायी क्योंकि वह घटना अचानक घटी और यह कहा गया कि दोनों सम्प्रदायों के जो प्रतिनिधि थे, एक मुतवल्ली हैं और दूसरे हैं सनातन धर्म के, दोनों में यह फैसला हो गया था कि दीवाल इतनी ऊंची उठा दें कि दूसरी तरफ यह न दिखे कि क्या हो रहा है, क्या होता है एक तिकोनी दीवाल, मुंडेर, और जो मस्जिद है छोटी सी, उसमें 25 से 40 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने खबर नहीं दी और दीवाल बनाना शुरू कर दिया। जब दीवाल ऊंची करने के लिए कार्य शुरू हुआ तो यह अफवाह फैल गई कि, मस्जिद तोड़ी जा रही है, भीड़ इकट्ठी हो गई, दोनों तरफ से लोग इकट्ठे हो गये और जैसा कि आप जानते हैं, 5 आदमी की मृत्यु हो गई, 4 की स्टैबिंग से और एक की फायरिंग से, वह भी पुलिस की नहीं बल्कि कट्टे से। घायल जो हुए हैं, चण्डीगढ़ ले जाया गया है। फिर फोर्स, पी० ए० सी० आयी और कर्फ्यू भी लगा हुआ है।

एक अन्य जगह नगर में किन्हीं लोगों ने कोशिश की कि आग लग जाय, वहां भी मैं गया था, लेकिन वहां पर आज के सुबह चार बजे स्कूटर पर कोई गया और छोटी सी कोई चीज आग लगने वाली रख दी। अब स्थिति नियंत्रण में है। कर्फ्यू लगा हुआ है तीन थानों में। अब सब लोगों ने कहा है कि कर्फ्यू रिलेक्स होना चाहिए, भोजन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, सप्लाई का पूरा प्रबन्ध हो गया है, सारे लोगों से बात-चीत कर के कर्फ्यू में ढील किस समय और कितनी दी जाय, यह बात-चीत हो रही है। इसलिए मैं कृतज्ञ हूं और अगर सामान्य स्थिति होती है वहां तो पूरा विश्वास है कर्फ्यू में ढिलाई, जिला प्रशासन है, डी० आई० जी० आज पहुंचे हैं, कमिश्नर हैं, उस पर विचार करेंगे। जहां तक इन्क्वायरी की बात है, मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो रही है लेकिन जब स्थिति पूरी तरह से संतोषप्रद हो हम जुडिशियल इन्क्वायरी पर भी पूरी तरह से विचार कर सकते हैं। लेकिन अभी वह अवसर नहीं आया है। उसकी घोषणा आज करने से स्थिति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, अन्दाज लगाना मुश्किल है। कुछ कह रहे थे जूडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये, कुछ इसके विरोध में थे। मैं इस सम्बन्ध में परामर्श कर लूंगा। जैसी कल बात आयी कि क्या तथ्य हैं, तो इसमें यह होगा कि किसके ऊपर जिम्मेदारी है, कुछ लोग चाहते थे कि इसके ऊपर विचार कर लिया जाय।

मैं समझता हूं कि दो-तीन दिन में स्थिति को नियंत्रित होने दिया जाय। वह इतना नाजुक मसला है कि इसमें धीरता से गम्भीरता से विचार करना है। मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा ठंडे दिमाग के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। इसको इस तरह देखना है कि सख्ती भी अगर बरतनी है तो बरती जाय लेकिन दूसरी तरफ ऐसी सख्ती भी नहीं करनी है कि अन्याय हो जाय। मुझे आशा है कि शीघ्र ही स्थिति सामान्य हो जायगी और सहारनपुर के इतिहास के अनुरूप शान्ति व्यवस्था और सद्भाव का वातावरण उत्पन्न हो जायगा। फिर जो निर्णय लेना होगा, ले लिया जायगा।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

जो लोग मारे गये हैं, उनके लिये क्या होगा ?

श्री नारायण दत्त--

जो लोग मारे गये हैं उनको 20 हजार रुपया प्रति व्यक्ति तथा जो लोग घायल हुए हैं, उनको 5 हजार रुपया प्रति व्यक्ति दिया जायगा। जो दुकानें जली हैं, उनका भी एसेसमेन्ट किया जा रहा है और रुपया दिया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

वहां के हिन्दू और मुसलमान बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने साम्प्रदायिक सौहार्द्र को कायम किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी के बयान से एक झलक और पता चली है, माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि जब कंगूरे पर विवाद हो गया तो इसकी खबर वहां पहुंची और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल वहां नहीं पहुंच सका। क्या इन तथ्यों की भी जानकारी देंगे कि पुलिस बल वहां क्यों नहीं पहुंच सका ? अगर टाइम पर नहीं पहुंचे और नियंत्रित नहीं कर पाये, तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस का जो हाइएस्ट आफिसर है, उसकी है ? दूसरी बात इसकी मैजिस्टेरियल इन्क्वायरी एस0डी0 एम0 कर रहे होंगे। मैंने कल एक प्रश्न में भी इस मामले को उठाया था कि यह इन्क्वायरी कम से कम एक स्लैब ऊपर के व्यक्ति से करानी चाहिये थी। प्राइमाफेसी भी अगर इन्क्वायरी करानी है तब भी एक स्लैब ऊपर के व्यक्ति से करायें। क्या पुलिस की शिथिलता के बारे में भी जांच की ? यदि हां, तो क्या तथ्य है ? एक और बात, कल एक सुझाव दिया गया था कि सब नेता अगर वहां चलें और सौहार्द्र के वातावरण में स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करें, इस सम्बन्ध में क्या कहना है ?

श्री नारायन दत्त--

मैंने बहुत ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहा। जब इस घटना की सूचना मिली तो थानाध्यक्ष ने वहां जाकर समझौता कराना चाहा। थानाध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर समझौता नहीं चाहते हैं तो दीवाल जैसी भी है, वैसी ही बना दी जाय, लेकिन इसी बीच में वहां किसी ने अफवाह फैला दी कि तोड़ा जा रहा है, तमाम लोग वहां पहुंच गये। तीन पुलिस की जीपें और एक पी0 ए0 सी0 का ट्रक भी क्षतिग्रस्त हुआ। 22 तारीख की रात को घटना हुई, 24 तारीख को दोपहर बाद 4 बज मैं पहुंच गया। इस डेढ़ दिन के बीच में, मैंने वहां पहुंच कर देखा कि वहां पुलिस लगी हुई है। प्रशासनिक रूप से एक दम से ऐसी बात कहूं कि जो पुलिस वहां पर काम में लगी हुई है, उसकी जांच शुरु हो जाय। अभी ऐसा करने से जो काम हो रहा है, उसमें व्यवधान पड़ने की आशंका है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जो 5 लोग मरे हैं, पुलिस फोर्स के पहुंचने के पहले उनकी मृत्यु हुई थी या पुलिस फोर्स के पहुंचने के बाद में ?

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

नियम 56 के अन्तर्गत 23 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैं सर्वश्री हर्ष वर्धन, गौरी शंकर भैइया, राम आसरे वर्मा, शतरुद्र प्रकाश, राजेन्द्र गुप्त, सूर्य प्रताप शाही, मनोहर लाल तथा माता प्रसाद पाण्डेय की सूचनाओं को एक-एक मिनट में अपनी बात कहने के लिये आज्ञा देता हूं ।

(श्री विजय सिंह राणा ने सदन में एक शीशी दिखाई)

*श्री हर्ष वर्धन--

मान्यवर, लखनऊ विकास प्राधिकरण में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है । यह सरकार के माथे का कलंक है । यहां सचिवालय के मुख्यालय से एक किलोमीटर की दूरी पर मल्टी स्टोरी भवन का निर्माण हो रहा है जिसमें वहां का उपाध्यक्ष करोड़ों रुपए लूट रहा है । मान्यवर, लखनऊ विकास प्राधिकरण बिना नक्शा पास कराये इमारतों का निर्माण करा रहा है रामतीर्थ मार्ग पर भवन का निर्माण कराया जा रहा है उसका नक्शा नहीं पास कराया गया है और इमारत बनाने का काम शुरू कर दिया गया है । लाखों रुपया घूस के रूप में लिये जाते हैं । इसी तरह से गोपाल एपार्टमेन्ट में सीवर वालों ने लिखा परन्तु सीवर और पानी का वहां कनेक्शन नहीं दिया । लखनऊ विकास प्राधिकरण में टाऊन प्लानर हैं जो कि नक्शे को पास करने का काम करते हैं । उनके नक्शा बिना पास कराये वहां के उपाध्यक्ष ने भवन निर्माण का कार्य शुरू करके लाखों रुपए घूस में ले लिये । विकास प्राधिकरण में टाऊन प्लानर हैं, आर्किटेक्ट हैं उनसे काम न लेकर वे प्राईवेट कम्पनियों के जरिये से उनको कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका एक मिनट का समय हो गया । अब आप बैठें ।

श्री हर्ष वर्धन--

मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने इस पर बहस या भाषण की आज्ञा नहीं दी है ।

*श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय अधिष्ठात महोदय, मैं अपनी पूरी जानकारी और उस जानकारी को सत्यनिष्ठा से प्रमाणित करके हमने इस बड़े गम्भीर मसले पर सदन का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहा है । श्रीमन् यह चार पृष्ठ का आरोप-पत्र जिसमें कि 20 बिन्दु हैं और जो कि सदन के संज्ञान में है, यह शासन को भेजा गया है । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में बहुत भ्रष्टाचार है, वहां के प्रशासक ने गोलमाल करके लगभग 5 करोड़ रुपये की धनराशि हड़प ली है । अगर आप इजाजत दें, तो देखें कि यह बड़ा लम्बा चौड़ा आरोप पत्र है । इसके सम्बन्ध में थोड़ा बहुत श्री हर्ष वर्धन जी ने कहा है । मैं इसकी ग्राह्यता के ऊपर कहना चाहता हूं । मान्यवर, एक महीने से उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान के अखबारों में यह समाचार छप रहा है और लगभग 106 बार यह समाचार छप चुका है । अखबारों की कतरनें और फोटोस्टेट मेरे पास हैं (कतरनें दिखाते हुये) इस अधिकारी के भ्रष्टाचार के बारे में एन0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आई0 पी0, जागरण, पायनियर आदि अखबारों में खबरे छपी हैं। आज का लेटेस्ट अखबार है, उसमें भी समाचार छपा है। मान्यवर, यह सब मैं केवल रेफरेन्स के तौर पर कह रहा हूं। आप आज्ञा दें तो मैं इसको पढ़ दूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप इसको पढ़ नहीं सकते हैं। केवल सन्दर्भ दे सकते हैं।

श्री गौरी शंकर भइया--

मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं, केवल इसका रेफरेन्स दे रहा हूं। मान्यवर, इस अखबार ने लिखा है कि इस पूरे गोलमाल को करने के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री बाबू राम ने मुख्य अभियन्ता श्री दुबे को मिला रखा है और उनको मिला कर लगभग 5 करोड़ का गोलमाल किया है। मान्यवर, यह केवल मैं ग्राह्यता पर बोल रहा हूं। शासन और विभागों के खिलाफ सचिव विकास प्राधिकरण के अधिकार छीन कर मुख्य अभियन्ता श्री दुबे को दे दिये हैं। इसमें मान्यवर, 20 प्वाइन्ट हैं। (पत्र दिखाते हुये)

श्री अधिष्ठाता--

आप इसको पढ़िये नहीं, ग्राह्यता पर बोल लें।

श्री गौरी शंकर भइया--

इसकी गम्भीरता को तो बता दूं। एक दूसरी चीज मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि नजूल भूमि जो है, उसके सम्बन्ध में बहुत ही घपला किया जा रहा है। अशोक मार्ग पर बलरामपुर अपार्टमेन्ट बन रहा है, इस तरह के और भी प्वाइन्टस हैं, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय। आप इसको देख लें। रामा अपार्टमेन्ट को गिराने के आदेश हुये थे, लेकिन उसको गिराया नहीं गया और बनवा दिया गया। शासन और कैबिनेट मन्त्री इसमें सम्मिलित हैं। इससे 40 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अलावा कैलाश कुंज का 5 करोड़ रुपये का काम राजकीय निर्माण निगम को दिया गया था, लेकिन बाद में खतम कर दिया गया। तो यह 5 करोड़ का बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। इस भ्रष्टाचार बाबू राम ने, जिन्होंने मुख्य मन्त्री के लिये सीट छोड़ी थी, उसकी लड़की की शादी में एक फियट कार दी है। अखबारों का कहना है कि इसके ऊपर मन्त्रिमंडल स्तर के लोगों का हाथ है। मैं मांग करता हूं कि इस पर आप चर्चा करा दें और वक्तव्य दिला दें तथा विधान सभा की एक कमेटी बना दें जो जांच करके अपनी रिपोर्ट दे और वह सदन के सामने आवे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

आप आश्वासन दिलवा दें। कुछ तो आश्वासन दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

यह कैसे हो सकता है ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जिस तरह की कहानी लखनऊ विकास प्राधिकरण की है, उसी से मिलती जुलती कहानी इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की रखना चाहता हूं। उसका एक नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी हाल ही में एक घटना घटी है 25-6-85 की। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बिना टेन्डर आमन्त्रित किये 33 लाख 89 हजार रुपये का वर्क आर्डर आई0 एम0 पी0 इलैक्ट्रिकल्स, शास्त्रीनगर, इलाहाबाद को दे दिया गया। जो काम 20 लाख रुपये में हो सकता था उसके लिये 33 लाख से ज्यादा का वर्क आर्डर स्वीकृत किया गया। इस प्रकार 13 14 लाख रुपये बिना मतलब के जनता के धन की गाढ़ी कमाई अधिकारी और ठेकेदार आपस में मिलकर बांट रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया बैठें । इसकी ग्राह्यता पर बोलना चाहिये ताकि वह कार्यस्थगन का प्रस्ताव बन सके । आप तो टेन्डर की बात कर रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं । यह अविलम्बनीय है अभी 26-5-85 को ही यह घटना घटी है । लोक महत्व का इसलिए है कि इसमें सार्वजनिक धन निहित है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

किस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई ठेकेदारों की जेब में डाली जा रही है । इस्टीमेट पार्ट-दो, बिन्दु-दो पर 1 लख 38 हजार रुपया दिया गया है और यही कार्य पहले 28 हजार रुपये में कराया गया था ।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप बैठें । अब मैं लिखने की इजाजत नहीं दे रहा हूं । मैं नियमों के अनुसार चल रहा हूं । एक मिनट में इसकी ग्राह्यता पर बोलना चाहिये । यह तो परम्परा चली आ रही है । अन्यथा सुनने की बात ही नहीं थी ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, लखनऊ विकास प्राधिकरण के बारे में बोलूं या अपने वाले प्रस्ताव पर बोलूं जो मैंने नियम 56 में दिया है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपने जो बिजली के बारे में दिया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आज सबेरे 3 बजे से लेकर 10 बजे तक और अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां विद्युत आपूर्ति ठप्प हो गई है । मेरी निश्चित जानकारी है कि लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, यहीं पर नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में आधी रात के बाद बिजली नहीं आती है जिससे लोगों को काफी परेशानी हो जाती है । मान्यवर, आज सबेरे ही मुझे लोगों ने बताया कि लखनऊ में सैकड़ों बच्चे बगैर नहाये धोये स्कूल चले गये और हमारे विधायी कार्य में भी विलम्ब हुआ । मेरी निश्चित जानकारी है कि वाराणसी, लखनऊ, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि जिलों में बिजली की आपूर्ति ठप्प हो गई है । बिजली की आपूर्ति न होने से पानी मिलना भी बन्द हो गया है क्योंकि जो नलकूप हैं वे बिजली से चलते हैं । मैं समझता हूं कि यह आये दिन की परेशानी है । मुझे मालूम हुआ है कि ओबरा की 13वीं यूनिट की टरबाइन जो कि 200 मेगावाट की है वह खराब हो गई है और इसके साथ ही साथ ओबरा का विद्युत उत्पादन गिर गया है। मेरा निवेदन यह है कि यह बहुत ही गम्भीर विषय है । इस पर कम से कम एक बयान मुख्य मन्त्री जी से दिलवा दें वरना जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है ।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, मुझे लगभग साढ़े आठ-नौ बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि पंजाब हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो ग्रिड है उसमें जब लौड ज्यादा हो जाता है, बिजली जब ज्यादा इस्तेमाल होने लगती है तो उससे सारी ग्रिड में ट्रिपिंग हो जाती है । कहीं पर कोई फाल्ट हुआ है । उसी लाइन से बिजली दी जा रही थी । उसकी डिटेल्ड जानकारी मेरे पास नहीं है । इसका प्रभाव हमारे यहां भी पड़ा और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी पड़ा । अधिकांश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नगरों में और उत्तर प्रदेश में ठीक कर लिया गया है और महानगरों में साढ़े नौ बजे तक काबू पा लिया है। यह बात ठीक है कि ट्रिपिंग हुई है। ग्रिड लाइन लोड चार प्रदेश में ज्यादा हुआ है जहां तक ओबरा मशीन का सवाल है वहां की एक यूनिट नं0 13 मेन्टेनेश में है। मुझे बताया गया कि थरमल का जनरेशन लगभग एक हजार मेगावाट हो रहा है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण। पिछले माह भी उत्तरी भारत को ग्रिड में ट्रिपिंग आ गयी थी और यहां सचिवालय से लेकर पूरे प्रदेश में अंधकार छा गया था। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्र सरकार को इस आशय का पत्र लिखकर भेजे कि इसके क्या कारण हैं। इस तरह से उत्तर भारत के ग्रिड में खराबी हो जाने से पूरे प्रदेश में अंधकार छा जाता है और जहां हमारा प्रदेश पहले से पिछड़ा है वहां और भी पिछड़ जायेगा। आप इस आशय का उनको पत्र लिखें।

श्री नारायन दत्त--

इस सम्बन्ध में केन्द्र शासन से परामर्श चल रहा है। नार्दन इलेक्ट्रिसिटी जोनल काउन्सिल इसको देखती है क्योंकि यहां से वहां और वहां से यहां हजारों, लाखों के0 डब्लू0 बिजली आती-जाती है। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी केन्द्र सरकार से बात कही है। परसों के लिए हमने वहां समय मांगा है इस बारे में वहां बात होगी।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, संक्षेप में मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। मान्यवर, यह बात कितनी लज्जाजनक और गम्भीर है इस ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। भले ही हम विदेशों में भारत महोत्सव मना कर अपना सम्मान बढ़ाये। लेकिन उत्तर प्रदेश से नरमुण्डों का निर्यात किया जायेगा और उसके नाम पर विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रयास किया जायेगा तो इससे बड़े कलंक की बात हमारे लिए दूसरी नहीं हो सकती है। मेरी सही जानकारी है उसी के आधार पर मैंने दृष्टांत भी लिखित दिये हैं। हमारे प्रदेश के दो व्यक्तियों को नरमुण्ड निर्यात करने का लाइसेंस दिया गया है बिहार में 23 व्यक्तियों के पास है। यहां पर एक गिरोह इस प्रकार सक्रिय है जो बच्चों को पकड़ कर उनका सर काटकर भेजता है तथा जो बच्चे दफनाये जाते हैं उनको खोद कर सिर काटता है। उन नरमुण्डों को आम की पेटियों के बहाने पटना भेजा जाता है वहां से कलकत्ता होकर विदेशों में निर्यात किया जाता है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने का मैं समझता हूं इससे घृणित दूसरा काम कोई हो नहीं सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के नाम पर इस तरह की छूट दी जायेगी तो इसका असर लोगों में क्या होगा। लोगों में आज एक आतंक फैल गया है। लखीमपुर और सीतापुर में गांवों में बच्चों को पकड़ा जाता है जिससे वहां के लोग आतंकित हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में शासन नीति स्पष्ट करे और जो गिरोह इस प्रकार का व्यापार कर रहा है उसकी रोक-थाम को कार्यवाही किस प्रकार को जा रही है उसे स्पष्ट करें। यह सरकार केन्द्र को भी इस तरह का प्रस्ताव भेजेगी कि इनका निर्यात रोका जाय। मेरी जानकारी के अनुसार इसके लाइसेंस नियम के अन्तर्गत प्रदेश सरकार की सिफारिश पर मिला है। तो इससे और दूसरी लज्जाजनक बात हो नहीं सकती है कि हमारे यहां से नर-मुण्डों का निर्यात हो। इन शब्दों के साथ इसकी ग्राह्यता पर अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सूर्य प्रताप शाही--

माननीय, बांदा जिले में चित्रकूट एक स्थान है वहां पर मारकुंडी आश्रम है। उस आश्रम से 10 जुलाई को मध्य प्रदेश की सतना पुलिस की अधीक्षक कुमारी आशा गोपालन ने छापा मारकर 39 विदेशी राइफलें, 116 चोरी की मूर्तियां तथा 3 किलो सोना बरामद किया और वहां के महंत को, जो अपने को पटना हाई कोर्ट का भूतपूर्व जज बताता है, को गिरफ्तार करके ले गयी। इस पूरी घटना की जानकारी बांदा के पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन को नहीं हुई। बांदा का इलाका बराबर आतंकवाद का इलाका रहा है। वहां के लोगों का आरोप है कि इस आश्रम के संत का वहां की डकैतियों और चोरियों में बराबर हाथ रहता था। मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां के जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को इस आश्रम की घटनाओं की जानकारी नहीं थी। उस आश्रम में वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री और विधायक जाते थे और उसको संरक्षण देते रहे। इतनी बड़ी घटना की जानकारी वहां के प्रशासन को नहीं हुई और 30 विदेशी राइफलों का जखीरा उस आश्रम में होना एक चिन्ता का विषय है इस पर वक्तव्य शासन का होना चाहिए और आज की कार्यवाही रोक कर इस पर आप चर्चा करायें।

श्री मनोहर लाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारत और प्रदेश की सरकारों ने बारम्बार घोषणा किया है कि बंधुआ मजदूरी प्रथा समाप्त हो गयी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी ने घोषणा किया था और कहा था कि बंधुआ मजदूरी प्रथा समाप्त हो गयी, यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कई बार घोषणा किया कि बंधुवा मजदूरी प्रथा समाप्त हो गयी लेकिन अब भी उत्तर प्रदेश में बंधुवा मजदूरी प्रथा चल रही है। इसका मैं ज्वलन्त उदाहरण देना चाहता हूं कि परसों बांदा जिले मे थाना कमासिन क्षेत्र के ग्राम दलबापुरवा में दो हरिजनों की हत्या कर दी गयी और वह जिस तरह से की गयी वह बहुत ही जघन्य अपराध किया गया है, मैं उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वहां हरिजनों का परिवार कई सालों से बंधुआ मजदूरी करता था। एक दिन उस हरिजन ने काम करने के लिए मना किया तो जनार्दन नाम का व्यक्ति जिसके यहां वह हरिजन काम करते थे, उसने चुन्ना हरिजन के लड़के जिसका नाम शत्रुघन है उसको गोली मार दिया और जब उनको अस्पताल लिये जा रहे थे तो रास्ते में फिर गोलियों से भून कर मार डाला उसके भतीजे श्री जयकरण जो घायल हो गया था उसको जब अस्ताल में भर्ती कराया गया तो जनार्दन के लोगों ने डाक्टर को आठ हजार रुपये दिये और कहा कि इसे जहर का इजेक्शन लगा दो। तो जहर का इजेक्शन लगने के बाद वह भी मर गया। तो इससे बड़ा अपराध बंधुवा मजदूरों के साथ और क्या हो सकता है। इसलिए मैं आप से मांग करता हूं कि आज की कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा करायें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, संविधान के निर्माताओं ने देश और प्रदेश को कल्याणकारी राज्य बनाने की योजनायें बनायी थीं लेकिन सदन में बैठे मंत्रिमंडल के लोग आज उसका उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यापक स्तर पर फर्जी मुठभेड़ें दिखाकर गरीबों को मार रही है। देवरिया सुदामा नामक व्यक्ति से राजबहादुर राय की जमीन के सम्बन्ध में विवाद था और न्यायालय में मुकदमा चल रहा था राज बहादुर राय ने पुलिस को रुपये दिये और कहा कि सुदामा को मार दो। पुलिस ने रात में सुदामा को गोली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मार दिया और फर्जी मुठभेड़ दिखा दिया। इसी तरह हमारे बस्ती जिले में तीन लोगों को फर्जी मुठभेड़ दिखाकर पुलिस ने मार दिया। तो मान्यवर, आजकल यह हो गया है कि पुलिस पहले मारती है और फिर जीवित वह रहता है तो विरोधी को बुलाकर उसको संतुष्ट करने के लिए फिर उसको पिटवाती है। यही स्थिति देवरिया, बस्ती, गोंडा और गोरखपुर में है। इस तरह से पूरे प्रदेश में भूतपूर्व मुख्य-मंत्री श्री श्रीपति मिश्र ने आश्वासन दिया था कि फर्जी मुठभेड़ें नहीं होंगी और यदि होगी तो हर मुठभेड़ की सी० आई० डी० से जांच होगी, लेकिन आज मुख्य-मंत्री ने सी० आई० डी० जांच को वियड्रा कर लिया है। इसलिए आज पुलिस अनियंत्रित हो गयी है। यह महत्वपूर्ण मामला है इसलिए यदि

(व्यवधान)

मंत्रिमंडल के लोग संविधान निर्माताओं की भावना का उल्लंघन करेंगे तो एक दिन यह सदन नहीं रहेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सदन में आज सारे कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा करायें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

पहली सूचना श्री हर्ष वर्धन की जो है उसको मैं ध्यानाकर्षण के लिए, उसके बाद श्री राजेन्द्र गुप्त की सूचना जो है उसको भी मैं ध्यानाकर्षण के लिए भेज रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही की सूचना को ध्यानाकर्षण के लिए भेज रहा हूं। श्री मनोहर लाल की सूचना जो बांदा में हरिजन परिवार के दो लोगों की हत्या के सम्बन्ध में है उसको वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सूचना को भी ध्यानाकर्षण के लिए भेज रहा हूं। शेष सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

(मद संख्या 10 पुकारे जाने पर)

(श्री मनोहर लाल तथा श्री विजय सिंह राणा, हाथ में गन्दे पानी की छोटी बोतल लिए हुए और कुछ कहते हुए एक साथ सदन के फ्लोर पर आ गय तथा बोलने लगे।)

श्री मनोहर लाल—

यह आप देखिए जो कानपुर में जनता को पीने के लिए पेयजल सरकार द्वारा सप्लाई किया जा रहा है...

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

इस पानी को जानवर भी नहीं पियेंगे, जो वहां की जनता पी रही है। यह महा गन्दा और बदबूदार पानी आप देखिए। कितना काला गन्दगी से भरा हुआ है।

(व्यवधान)

इसे आप सूंघकर देखिए।

(घोर व्यवधान)

(इसी बीच श्री औसान सिंह, श्री गौरीशंकर भइया, श्री हर्षवर्द्धन तथा भोपाल सिंह सहित अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये।)

(श्री औसान सिंह ने अपने हाथ में लिया हुआ कागज अधिष्ठाता के सामने दिखाकर खड़े-खड़े फाड़कर फेंक दिया।

(घोर व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया—

आप श्रीमन्, सुन लें, यों तो यह सदन चल नहीं सकता है। यह सारे तथ्य आपके सामने हैं। इस अधिकारी

की लूट के कारण माननीय मुख्य मन्त्री की छवि खराब हो रही है। आप वक्तव्य इस पर दिलायें नहीं तो यह पूरा प्रशासन भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रहा है, यह सबको मालूम होगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1985–86 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–11– खाद्य तथा रसद विभाग

*खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)––

अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,11,83,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

(घोर व्यवधान)

(श्री गौरीशंकर भइया सदन के फ्लोर में बैठ गये।)

श्री भोपाल सिंह—

(व्यवधान)

अकाल से हजारों लोग वहां मर सकते हैं, आप हमें बताएं कि आपने हमारी सूचना को क्यों नहीं स्वीकार किया है। हमारा नहर का मसला है, वहां पीने को पानी नहीं है, मैं बार–बार लिख रहा हूं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है।

(घोर व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

हमारी सूचना आप क्यों स्वीकार नहीं करेंगे, जो मैंने नियम 56 में दिया है। (श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी ने कार्यवृत लेखक की मेज के पास जाकर अपने हाथ में लिया हुआ कागज फाड़ कर फेंक दिया)।

[× × ×]

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी––

[× × ×]

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क, श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री किरनपाल सिंह, श्री विजय सिंह राणा, श्री मनोहर लाल आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क––

हम सदन को नहीं चलने देंगे। आप हमारी बात सुनें।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी––

हमारी बात नहीं सुनी जाती है। ऐसे चलेगा तो कोई कार्यवाही नहीं होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री किरनपाल सिंह--

आप सबको सुन लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

बजट के समय पर अपनी बात कह दीजियेगा ।

श्री विजय सिंह राणा--

लोग यह गंदा पानी पी रहे हैं । इसमें कीड़े हैं ।

श्री मनोहर लाल--

अधिष्ठाता जी आप इस पानी को सूंघ लीजिये ।

(श्री मनोहर लाल शीशी लिये हुए अधिष्ठाता के आसन की तरफ जाने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता--

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 2 बज कर 5 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित किया । 2 बज कर 20 मिनट पर सदन का स्थगन 2 बज कर 45 मिनट तक और बढ़ाये जाने की सूचना डिप्टी मार्शल ने सदन में दी । 2 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, आप गौरी शंकर भइया के मामले में बतायें ।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, गौरी शंकर भइया ने जिन आरोपों का उल्लेख किया है, मैं उनको आइवस्त करता हूं कि उसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राणा जी, माननीय औसान सिंह जी, माननीय भोपाल सिंह जी, इसको हम कल सुन लेंगे ।

वित्तीय वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक के अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 11--खाद्य तथा रसद विभाग (क्रमागत)

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, मैंने आपकी अनुमति से वर्ष 1985-86 का अनुदान आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जो 3,11,83,96,000 रुपये का है । मान्यवर, हमारा जो विभाग है उसके जो कार्यकलाप हैं, उसके बतान में बहुत समय लगे, लेकिन मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य अपनी बात कहने के लिए अधिक उत्सुक होंगे । इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात रखने की चेष्टा करूंगा । और अन्त में माननीय सदस्यों के सुझाव जो होंगे और जो सम्मतियां होंगी, उनके विचार होंगे, उसके ऊपर मैं अन्त में अपनी घोषणा करूंगा । मान्यवर गेहूं, चावल शहरों में और जहां भी आवश्यकता हो सकती है पहुंचाने का काम किया जाता है । पिछले वर्ष हमने तीन एजेन्सियों के जरिए से धान की खरीद कराई थी भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य निगम, माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि साधारण श्रेणी 137 रुपये, फाइन श्रेणी 141 रुपये और सुपर फाइन श्रेणी 145 रुपये प्रति कुन्टल, की दर से खरीदा गया था । इसमें भारतीय खाद्य निगम, राज्य खाद्य विकास निगम और उत्तर प्रदेश में जो सहकारी संघ विकास निगम हैं, उनके जरिए से 45 हजार दो सौ मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है ।

यह चावल लेवी के रूप में भी लिया गया है । चारों श्रेणी का चावल 217.69 पैसे, 225.60 पैसे, 235.75 पैसे, और 257.80 पैसे प्रति कुन्तल की दर से क्रय किया गया । चावल की खरीद भी शासन करता है । चावल की 10 लाख 71 हजार 54 मी0 टन खरीद की गई है । माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि गेहूं क्रय करने का जो कार्य किया गया उसमें दो ग्रेड का गेहूं एक 157 रुपये और द्वितीय श्रेणी का 155 रुपये कुन्तल में खरीदा गया ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था, बिचौलियों के बारे में । शासन का जो दृष्टिकोण है, नीति है, उसको बताना चाहता हूं । गांव का जो छोटा बनिया है उसको हम बिचौलिया नहीं मानते हैं । गांव में जो लाईसेन्स वाले हैं, उनको तो हम नहीं आने देते हैं, लेकिन गांव का जो एक छोटा दुकानदार है, उसको छूट देते हैं ताकि उसको उस उद्यम से कुछ लाभ मिल सके । माननीय सदस्य अगर चाहते हैं और अपने भाषण में ऐसा जाहिर करेंगे कि उनको भी बिचौलिया करार दिया जाय तो बात दूसरी है और जो भ्रम माननीय सदस्यों को हो गया है, वह नहीं होगा । इस वर्ष 28 लाख मी0 टन गेहूं खरीद का लक्ष्य था । 24-7-85 तक हमने कुल खरीद 21 लाख 60 हजार 726 मी0 टन की है । 15 एजेन्सियों के द्वारा हमने यह खरीद की है । इसमें 5 बड़ी एजेन्सियां हैं । राज्य सरकार की मार्केटिंग शाखा, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन । दूसरी जो छोटी इकाईयां है । वह है मेरठ मण्डल विकास निगम आगरा मण्डल विकास निगम, उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम, लखनऊ मण्डलीय विकास निगम, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम, वाराणसी मण्डल विकास निगम, गोरखपुर मण्डल विकास निगम, मुरादाबाद मण्डल, विकास निगम, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ मर्यादित कानपुर, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ । राज्य सरकार की मार्केटिंग शाखा ने 5 लाख 48 हजार, 715 मी0 टन, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ ने 7 लाख 94 हजार 168 मी0 टन, भारतीय खाद्य निगम ने 2 लाख, 84 हजार 911 मी0 टन, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम 1 लाख 79 हजार 466 मी0 टन, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन ने 2 लाख 98 हजार 509 मी0 टन खरीद की है । मेरठ विकास निगम, आगरा विकास निगम, उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय निगम लखनऊ मण्डलीय विकास निगम, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम, वाराणसी मण्डल विकास निगम, गोरखपुर मण्डल विकास निगम, मुरादाबाद मण्डल विकास निगम, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ मर्यादित कानपुर तथा उत्तर प्रदेश उपभोक्तासहकारी संघ ने 54 हजार 957 मी0 टन गेहूं की खरीद की है । ललितपुर में गेहूं के सड़ने की बात कही गई । वहां कोई गेहूं हमारा नहीं है । जो था वह भारतीय खाद्य निगम को दे दिया गया है । भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी है । वह गेहूं हवाई पट्टी पर पड़ा है यह प्रश्न उठा था । मुझे कोई अवसर नहीं मिला कि मैं जवाब देता । तो यह स्थिति है हमारे गेहूं और चावल की है । आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और काला बाजारी रोकने के लिए प्रमुख उद्देश्य को लेकर यह प्रवर्तन कार्य किया जाता है । उसकी स्थिति यह है कि 1984 वर्ष में छापों की संख्या 41,481 गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 1,885, निलम्बित लाइसेंस की संख्या 1,548, निरस्त लाइसेंस की संख्या 3,185 और पकड़ी गयी वस्तु का अनुमानित मूल्य 6 करोड़ 65 लाख रुपया है । मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि प्रकाशित किताब जो आपको मिली है उसमें दिसम्बर तक का है । यह अद्यावधिक आकड़े आपको मैं दे रहा हूं । 1984 में 27 लोगों को आवश्यक वस्तु

प्रदाय अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार किया गया, 1985 में 14 को गिरफ्तार किया गया। 5 वर्षों की अवधि के भी आकड़े हैं लेकिन मैं उसमें जाना नहीं पसन्द करूंगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हमारे सारे प्रदेश में इस समय 29,805 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान कार्यरत हैं। जिनमें से 9,434 दुकाने नगरीय क्षेत्रों में तथा 20,371 दुकाने ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। सहकारी समितियों द्वारा 9,442 ग्रामीण क्षेत्रों तथा 2,188 नगरीय क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। इस तरह से सहकारी समितियों की कुल 11,630 दुकान चलाई जा रही हैं। हमारी राय यह है कि 7वीं योजना के अन्त तक 50 हजार दुकाने हम बढ़ा दें। लेकिन साथ ही साथ जैसा माननीय सदस्यों ने कहा यह भी देखना पड़ेगा कि यह लाभकारी दूकाने हों। अगर ज्यादा दुकानें हम खोल देते हैं तो लाभांश कम हो जाता है और घटा होता है। आप जानते हैं कि हमारा कुछ घाटे का सौदा भी है। चीनी है बढ़ेगी नहीं, घटेगी, झड़ेगी। चावल है, सीमेंट है, नमक है, वह घटता ही जाता है बढ़ता तो है नहीं। इसलिए कुछ कटौती। एक सैकड़ा या दो सैकड़ा की क्षति होती है इसलिए दो सैकड़ा को हमने रखा है, मार्जिन इतना हो जाता है। लेकिन फिर भी दुकानों की संख्या 50 हजार करना चाहते हैं ऐसा हमारे केन्द्र शासन का भी अभिमत है कि सारे देश में 3 लाख दुकाने हो जाय। 3 लाख में हमारा जो हिस्सा पड़ता है, मैं समझता हूं कि 50 हजार दुकाने हमको बढ़ानी चाहिए। तो यह दुकानें कार्यरत हैं कहीं-कहीं इनके दिन निश्चित है कि 2 दिन 3 दिन जरूर दुकानें खुले, उसका अनुपालन नहीं हो पाता है। कभी सामान देरी से आया। यह बात मैं मानता हूं क्योंकि जो रेल से सामान आता है उसमें देर होती है तो चाहे खाद्यान्न हो चाहे और दूसरी चीजे जैसे चीनी, सीमेन्ट आदि हैं, उन्हें हमने सड़क से भी आने की अशंतः आजादी दी है, चाहे सड़क से आये या रेल से जैसी सुविधा जनता को हो वैसा हम करें। आज हमारे प्रदेश में कितना गेहूं चावल लगता है। इस वक्त 45 हजार मी0 टन गेहूं तथा 25 हजार मी0 टन चावल हमको मिलता है और इसका भण्डार हम पूरा खाद्य निगम को देते हैं और वह हमको माहवार और कभी-कभी त्रैमासिक (किसी चीज) को देता है। तो हमको 45 हजार मैट्रिक टन गेहूं और 25 हजार मैट्रिक टन चावल प्राप्त होता है।

आप सहमत होंगे मान्यवर, कि हमारी उपलब्धता इस बात से सिद्ध होती है कि हमारा चावल और गेहूं पूरी तरह से नहीं उठता है। यह बात इस कारण से है कि जैसे कानपुर शहर है, तो उन्नाव से गल्ला कानपुर चला जाता है। जो हमारी चावल और गेहूं के समर्थन मूल्य की नीति है, उसका ध्येय यह है कि किसानों को समर्थन मूल्य से कम दाम न मिले। गेहूं के सम्बन्ध में लोगों का ध्यान आकृष्ट करने पर मैंने प्लेन से, मोटर से, हेलीकाप्टर से, और ट्रेन से बहुत दौरा किया पूरे सूबे का और मैंने यह बात पायी कि माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुछ जगह अनियमितताएं मिलीं, लेकिन वे अनियमितताएं हमने देखा कि भारत सरकार से सम्बन्धित है। वैसे, उत्पादन की क्षमता बढ़ती जा रही है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्पादन की बढ़ती हुई क्षमता के अनुरूप भण्डारण की क्षमता में वृद्धि नहीं हुई। इसलिये मैं आपको बताऊंगा कि भण्डारण की पूर्ति के लिये हम क्या करना चाहते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया कि अनियमितताएं पायी हैं, तो क्या उन अनियमितताओं के लिये दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह--

जो हां, को है और करते रहेंगे । यह प्रक्रिया तो चलती ही रहेगी । माननीय सदस्य जिसके खिलाफ कहेंगे, उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे ।

इसी प्रकार जहां तक सीमेंट का सम्बन्ध है, हमारे यहां पर जो सीमेंट आवंटन होता है, वह कैमूर(ए0सी0सी0) मैहर, चुर्क, डाला, सतना, राजवन, चुनार और दमोह इन आठ स्थानों से होता है । यह सही है कि रैक की कमी होने से सीमेंट देर से आती है । यह भी सही है कि दो प्रकार की सीमेंट होती है लेवी और नान लेवी, लेवी की कम उठती है और नान लेवी की ज्यादा उठती है । लेवी का फैक्ट्री से भी कम मिलती है । हमने इसको पकड़ने का प्रयास किया । हम इस राय के हो गये हैं कि रेलवे का डी0 एस0 हो या अन्य किसी भी बड़े अधिकारी को हम सचेत करते रहे ।

(व्यवधान)

मैंने जो अभी कुछ दिन पहले निरीक्षण किया तो वहां यह लिख दिया कि एफ0 सी0 आई0 के गोदाम का यह मोटा चौड़ा आदमी, जो सामने खड़ा है, उसके ऊपर निगाह रखनी चाहिये । एक आध को हटाया भी । कार्यवाही भी करते जाते हैं । हमें सीमेंट प्रत्येक त्रैमास में मिलती है । जो प्रथम त्रैमास में सन् 85 में 2,81,500 मैट्रिक टन, दूसरे में 2,81,500 मैट्रिक टन मिली और तीसरे में 2,81,500 मैट्रिक टन का आवंटन हुआ है । कुछ भण्डारण में कठिनाई रही । लेकिन मुझे खुशी है कि सतना से हम सीमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में सफल रहे ।

(इस समय 3 बज कर 10 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी पीठासीन हुए ।)

अब इलाहाबाद में और दूसरी जगह पर जहां सीमेंट है या आती है, उसे आप ले सकते हैं । सीमेंट की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आई है । रेलवे वैगनों के बारे में जो कठिनाइयां थी, उसके बारे में मैं आप को पहले ही बता चुका हूं । नान लेवी सीमेंट पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है । हाई कोर्ट का यह फैसला हुआ है कि हमारा जो अधिनियम है, वह नान लेवी सीमेंट पर लागू नहीं होता । हम कोशिश कर रहें हैं कि अधिनियम में कुछ परिवर्तन कर आपके समक्ष लायें और जो यह विसंगति है उसे दूर करें । अभी हमने इसे विचार की परिधि में ही रखा है । सीमेंट की जिलेवार सूचना मेरे पास है लेकिन मैं उसे पढ़कर समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, एक प्रश्न पूंछना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें । मंत्री जी आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय, मोटा नियंत्रित वस्त्र 11 करोड़ का हमारे प्रदेश में आता है । जो वस्त्र आता है, सदन को यह बताना चाहूंगा कि यह अपर्याप्त है । और इस लिये भारत सरकार भी सचेष्ट है कि मोटे कपड़े का ज्यादा उत्पादन किया जाय ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो । जनता को सुगमता से नियंत्रित वस्त्र उपलब्ध होता रहे तथा उसकी कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे माह में एक बार प्रत्येक दुकान का आकस्मिक निरीक्षण करें । माननीय, बहुत कपड़ा फर्रुखाबाद चला जाता है, कानपुर चला जाता है, वहां से छीट की साड़ी बनकर आ जाता है । इसको कैसे दूर करें, इसमें हम प्रयासरत हैं । मैं अब गोदामों के निर्माण के बारे में बताना चाहता हूं कि गोदामों की कमी को देखते हुए खाद्य विभाग द्वारा सातवीं

पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 5,000 मी0 टन क्षमता के एक-एक गोदाम के निर्माण करने का निश्चय किया है । इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्र के लिए प्रत्येक जनपद में 5 हजार मी0 टन का एक-एक गोदाम बनाने का विभाग का लक्ष्य है । हमारा यह भी प्रयास है कि ब्लाक स्तर पर भी एक छोटा गोदाम हो जाय । हमारा प्रयास है कि ब्लाक स्तर पर सामान उपलब्ध रहे तो ग्रामीण जनता को कठिनाई न हो । इसलिये जब जिला परिषद का चुनाव हो जायेगा, क्षेत्र समितियां गठित हैं, क्षेत्र समिति के प्रमुख बी0 डी0 ओ0 और ग्राम प्रधान सरपंच-सबकी सहायता लेंगे । कई शिकायतें आती हैं कि जो नियम हैं, जो परिपत्र भेजे गये हैं, उनका परिपालन नहीं होता । जो सामान जाता है, उस पर प्रधान या सरपंच के हस्ताक्षर होने चाहिये कि वह सामान वहां गया । इसको हम सुनिश्चित करेंगे ।

मान्यवर, जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, दो तरह का कोयला प्रदेश में आता है । साफ्ट कोक और स्लैक कोल । इनका जितना आवंटन होता है, वह पूरा आ नहीं पाता, क्योंकि पर्याप्त रेके नहीं मिलती । इस समय प्रमुख समस्या रेकों की है । 1983-84 में वार्षिक कोटा जो रेक का था और जो आवंटन हुआ वह इस प्रकार है-1983-84 साफ्ट कोक 144 रेक का वार्षिक कोटा था और स्लैक कोल का 900 का वार्षिक कोटा था । लेकिन, रेल द्वारा जो आवंटन हुआ वह इस प्रकार है-साफ्ट कोक 41 और स्लैक कोल 92 । इसी प्रकार 1984-85 में साफ्ट कोक 72 और स्लैक कोल 420 का वार्षिक कोटा था । लेकिन आवंटन जो रेक का हुआ है-वह साफ्ट कोक की 43 और स्लैक की 83 । हमने रेल मंत्री से बात की है कि हमको ज्यादा रेक की सुविधा मिले, क्योंकि रेक से जो माल आता है, वह सस्ता पड़ता है और जो माल सड़क से आता है वह महंगा पड़ता है । मान्यवर, जो दाम हैं उनकी बाबत भी मैं बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद में 51·20 रु0 प्रति कु0, आगरा में 59.70 रु0 प्रति कु0, वाराणसी 50.12 रु0 प्रति कु0, लखनऊ 57.70 रु0 प्रति कु0, है । मान्यवर, हम इन दोनों तरह के कोयले की ज्यादा से ज्यादा उपलब्धता के लिये प्रयासरत हैं । मान्यवर, मैं यहां भी बताना चाहूंगा कि हमारा प्रयास है कि ब्लाक स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में ईधन के लिये कोयले और कुकिंग गैस को पहुंचाया जाय, । क्योंकि जलाऊनी लड़की की हर जगह कमी पायी जा रही है । जितना संभव हो सकेगा, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे । ईट के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं । साढ़े चार सौ रुपया रेट इस समय चल रहा है । इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हमारा प्रयास है कि इसे आवश्यक वस्तु में लिया जाय । इस ओर हमने भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है । अगर वहां से अनुमति मिल गयी तो हम आपके सामने इसकी बाबत एक विधेयक लायेंगे । नमक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । तराई जिलों की कुछ समस्यायें हैं जहां पर घेघा रोग हो जाता है इसलिये हमने वहां के लिये आयोडीन मिश्रित नमक की व्यवस्था की है । खाद्य विभाग के अंतर्गत गोदामों के निर्माण में अभी तक बहराइच, राबर्टसगंज, हरिद्वार, इटावा, हल्द्वानी, देवबन्द, मेरठ, चन्दौसी, पीलीभीत, मिर्जापुर, सहारनपुर, किच्छा, गोरखपुर और देवरिया में गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 43.150 मीट्रिक टन की क्षमता सृजित की गई है ।

एक विभाग है-राज्य कल्याण निगम । अभी तक इसकी सीमित दुकानें थी । अब हमने यह किया है कि हर जिले में कर्मचारी कल्याण निगम की दुकान होगी ताकि वहां के कर्मचारी भी उसका लाभ ले सकें । 1984-85 में खाद्यान्न योजना में भी लाभ हुआ है । खाद्य निगम हमारा जो उपक्रम है, उसने भी लाभांश दिखाया है । 1983-84 के मुकाबले 1984-85 में 1,228.70 लाख रुपये

टर्न ओवर में वृद्धि का है । 1985-86 में 1,500 लाख की वृद्धि है । मैंने उनको साधन पहुंचना आवश्यक समझा । हम वहां खाद्य निगम को ले जायेंगे ताकि वितरण को एक वैकल्पिक व्यवस्था हो, मात्र सहकारिता न हो ।...

(हंसी)

पांच विभाग हैं, सब के नाम तो ले लेने दीजिये ...

एक विभाग है,

(हंसी)

टेनी मारी जानो है, गुप्त जी जानते हैं ...

(हंसी)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

अब तो आप ने जान लिया ।

(हंसी)

श्री वासुदेव सिंह--

व्यापारी, व्यवसायी, बनिया 6 सौ से लेकर 7 सौ करोड़ रुपये की हेराफेरी करते हैं । तो बाट माप विभाग को सुदृढ़ करने को हमने सोचा है । इसमें हमने साढ़े आठ लाख रुपया स्वीकृत किया है । इसको और बढ़ा कर जांच के लिए, प्रशिक्षण के लिये सारी योजना यें विचाराधीन हैं ।

गेहूं यहां नहीं दिया गया, यह कहा गया, अगर आप गौर से देखें तो इसके कुछ कारण हैं । मैंने खुद देखा, रुद्रपुर में उतर कर, देखा कि एक रुपया ज्यादा है बाजार में तो क्यों हमको वह 57 में दें । कहीं बिचौलिये आ गये, तो इसके समाधान को हमने सोचा है, गड़बड़ी भी हो गई है, लेकिन सब ले दे के एक उपलब्धि है ।

(व्यवधान)

नेपाल भी मानव देश है । जब कोई भेज देता है तो वासुदेव सिंह क्या करें । मान्यवर, आप जानते हैं, हजारों मील की सीमा है, कहां कहां पुलिस खड़ी की जाय। आप कहते हैं कि नेपाल चला जाता है तो नेपाल से चावल भी आता है । तो चला भी जाता है और चला भी आता है ...

(हंसी)

किरायेदारी के सम्बन्ध में, माननीय सदन में स्वीकार किया था, हम एक और लाना चाहते हैं, शायद कल वह आये, 10 साल की अवधि को जगह-जगह बीस साल कर दिया है ।

सेवा निवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं को लाभ पहुंचे, ये दो बातें और हैं, यह कल आयेगा ।

बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । अन्त में यही कहना है कि पुलिस प्रकोष्ठ भी हमारे यहां है, डी० आई० जी० हैं, पुलिस अधीक्षक एक, उपाधीक्षक 3 हैं, निरीक्षक 5 हैं इनके प्रयास से ...

(व्यवधान)

मैनेजर सिंह कह रहे हैं बढ़ा कर, तो यह भी विचाराधीन है । काम तो हम, कलेक्टर और पुलिस से लेते हैं लेकिन जांच का काम जिस अभिप्राय से 76 में यह कायम हुआ होगा, ठीक से नहीं जानता वह तारीख, लेकिन वह अभिप्राय इससे पूर्ण नहीं हुआ, वह विचार हम करेंगे । यह 16, 17 विभागों का, खाद्य विभाग का बजट का थोड़ा दिग्दर्शन दिया जा सका है । जहां तक मैं समझता हूं इतना समय नहीं है, बहुत संक्षेप में बातें कही हैं और माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में, और जो सुझाव आयेंगे, पक्ष से या विपक्ष से, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए जो भी हों, उनका मैं स्वागत करता हूं और अभिनन्दन करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया ।

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—11 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की रशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

माननीय खाद्य मंत्री जी ने विस्तार से इस विभाग के कार्यकलाप रखे हैं, जिसका भौतिक कलेवर है ही नहीं । इसमें जो काम आप करते हैं वह है आवश्यक वस्तुओं और जीवन उपयोगी वस्तुओं का संचय और वितरण । संचय करने वाला विभाग है नहीं, संचय करायेंगे तो जैसा आपने बताया उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश खाद्य निगम, इनके माध्यम से संचय करते हैं और बांटते हैं सहकारी संघ के माध्यम से और व्यक्तिगत विक्रेताओं के माध्यम से । इसमें आप क्या करते हैं ? आपका क्या काम है ? खरीदता कोई है, बांटता कोई है और ठेकेदार आप हैं । बजट मांग रहे हैं 3 अरब 11 करोड़ 83 लाख 96 हजार रु0 का । आप इस पूरे बजट को उठाकर देख लीजिये, इसमें कहीं पर भी यह नहीं मालूम होता है कि यह 4 आने पैसे भी जनता पर खर्च करेंगे । गाड़ियां चलेंगी, जीपें चलेंगी और वेतन बंटेगा, इन्हीं पर यह पैसा खर्च होगा । पता नहीं चलता कि 3 अरब रु0 का बजट रखना चाहते हैं, इसको खर्च कहां पर करना चाहते हैं । मैं यह रखना चाहता था कि आपका मुख्य काम यह है कि जो सामान्य जनता है प्रदेश की उस तक आवश्यक वस्तुयें और जीवन उपयोगी वस्तुएं पहुंच जायं, वितरण की ऐसी व्यवस्था कायम कर दी जाय और मूल्य नियंत्रित रहें ।

जहां पर समाजवाद की पाठशाला में आपने दिया जलाया है और डाक्टर राम मनोहर लोहिया को धूप दीप दिखाया है, जिस देश के अन्दर अर्थ व्यवस्था पर कोई कन्ट्रोल नहीं होगा उस देश के अन्दर मूल्य नियन्त्रण की कौन सी परिकल्पना विभाग में रखते हैं कि आप समाजवादी पाठशाला के सदस्य रहे हैं । मैं अनुगृहीत हूंगा उस परिकल्पना को आप जनता के सामने प्रस्तुत करें । दूसरी बात यह कहूंगा कि मूल्य नियन्त्रण की बात कही, वही एकमात्र काम है । मूल्य नियन्त्रण होता है केवल किसानों के ऊपर उद्योगों में और फैक्टरियों में जो माल बनेगा, एक-आध को छोड़कर, किसी पर नियन्त्रण नहीं है । केवल किसान के घर में पैदा होने वाली चीज पर मूल्य नियन्त्रण है । केन्द्र सरकार निश्चित कर देगी कि गेहूं का, चावल का यह मूल्य होगा, उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर कोई मूल्य नियन्त्रण नहीं है । मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप किसान पर मूल्य नियन्त्रण करना चाहते हैं और पूंजीपतियों को छोड़ना चाहते हैं, तो देश के किसान के साथ एक न्याय कर दीजिये, आपने गेहूं का खरीद मूल्य, जो 152 रु0 था, 157 रु0 कर दिया, सस्ते गल्ले की दुकानों पर बिकेगा 210 रु0 प्रति क्वि0 में, इसमें बीच में जो इतना बड़ा अन्तर है, वह कहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है ? इसका कहीं कोई हिसाब है, अगर हिसाब है तो बता दें कौन सा ऐसा व्यापार है, जिसमें इतना बड़ा अन्तर स्थापित है ?

दूसरी बात इसके सम्बन्ध में और है कि किसानों के लिये आपने 152 से 157 रु0 कर दिया तो इस तरह से दामों में 3.25 की बढ़ोत्तरी हुई । धान के दामों में करीब 3·5 की बढ़ोत्तरी हुई लेकिन किसानों को बढ़ोत्तरी का दिया सवा तीन परसेन्ट । इसी तरह से सिंचाई की दरों में 20परसेन्ट से 33 परसेन्ट की बढ़ोत्तरी हुई है और खाद की दरों में भी 20 परसेंटसे 33 परसेन्ट तक की बढ़ोत्तरी हुई है । आपने बेचारे किसानों को केवल दिया है सवा तीन परसेन्ट ? इससे अधिक और अन्याय आप किसानों के साथ क्या कर सकते हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपने किसानों से 12 परसेन्ट गेहूं खरीदा और 88 परसेन्ट छोड़ दिया और यह 88 परसेन्ट आपने व्यापारियों को खरीदने के लिये छोड़ दिया है ताकि लेवी खत्म होने पर वे मनचाहे दामों पर उसको बेच सकें । आप खाद्य विभाग के माध्यम से व्यापारियों को प्रश्रय दे रहे हैं और किसानों के पेट पर लात मार रहे हैं, किसानों को तबाह कर रहे हैं, बरबाद कर रहे हैं । यह सब आगे आने वाले इतिहास में लिखा जायेगा ।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो गेहूं के भण्डारण से सम्बन्धित है । अभी यहां पर 15 तारीख को कृषि मंत्री जी ने भाषण दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम 5 हजार क्रय केन्द्र खोलेंगे और 30 हजार मैट्रिक टन खाद्यान्न खरीदेंगे । मान्यवर, आपके आंकड़ों के हिसाब से 4,588 क्रय केन्द्र खोले गये हैं जिनमें 21,52,588 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है । हां, एक काम आपने अच्छा किया है कि आप 5 लाख टन गेहूं रूस को निर्यात करेंगे, इसका मैं स्वागत करता हूं । इस देश का किसान इसलिये तबाह है कि आपके पास भंडार क्षमता का अभाव है जिसके कारण आप खाद्यान्न अधिक ले नहीं पाते हैं और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और न छोटे दूकानदार ही इससे लाभान्वित हो पाते हैं और न जनता को कम से कम दामों पर अनाज उपलब्ध हो पाता है । इसलिये अब गेहूं के निर्यात से किसान को थोड़ी राहत मिलेगी ।

चावल के बारे में आपने आंकड़े दिये हैं कि आपने 3,580 मैट्रिक टन धान खरीदा है । खाद्य विभाग द्वारा 57,806 मै0 ट0 केन्द्र को दिया है । केन्द्रीय मूल्य हेतु भारतीय खाद्य निगम को 5,11,806 मै0 ट0 चावल दिया गया है, यह आपकी नीति है ।

इसके बाद मिट्टी के तेल की बात आती है । हमारे प्रदेश में आवश्यकता 77 किलो लीटर तेल की ।

श्री बासुदेव सिंह—

77 किलो लीटर नहीं बल्कि 77 लाख किलो लीटर की ।

श्री विजय सिंह राणा—

लेकिन आपको यह मिलता नहीं है, इसे आपने स्वयं स्वीकार किया है । केन्द्र से जो आपको तेल मिलता है प्रति लाख की जनसंख्या पर उत्तर प्रदेश में 34 टन मिट्टी का तेल दिया जाता है और गुजरात में 125 टन, महाराष्ट्र में 122 टन तथा दिल्ली में 211 टन एक लाख की जनसंख्या पर दिया जा रहा है । यह क्या अन्धेरगर्दी है ? दिल्ली के लिये पूरा खाद्यान्न उत्तर प्रदेश से जाता है । यदि आप में हिम्मत है, यदि आपमें अड़े रहने की क्षमता है, आपमें दम है तो मैं आपसे कहता हूं कि आप एक घोषणा कर दीजिये कि अगर केन्द्र सरकार मिट्टी के तेल, सीमेंट और डीजल का पूरा कोटा उत्तर प्रदेश को नहीं देती है, तो जो खाद्यान्न का कोटा उत्तर प्रदेश से केन्द्र सरकार को दिया जाता है, उसको आप खत्म कर दें, लेकिन यह ऐसा कर नहीं सकते हैं । इनके लिए यह सम्भव नहीं है ।

मान्यवर, सीमेंट की स्थिति भी वही है, सीमेंट का कोटा जितना आपको मिलना चाहिये, उतना नहीं मिल पा रहा है । सीमेंट के सम्बन्ध में, फरवरी, 1982 में केन्द्र सरकार ने एक दुहरी नीति बनाई, दुहरी सीमेंट की पालिसी बनाई, एक तो मान्यवर, फ्री सेल सीमेंट और दूसरी लेवी की सीमेंट । मान्यवर, दोनों में पैसे का अन्तर है और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें लाखों का घपला किया जा रहा है और इस विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपनी जेबों को भर रहे हैं । अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अक्तूबर, 1984 में एक अधिकारी ने, सचिवालय से एक आदेश जारी कर दिया और कह दिया कि फ्री सेल का कोष रोककर लेवी का कोटा बढ़ा दिया जाये

और मान्यवर, ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि फ्री सेल का कोटा रुक जायेगा तो सीमेंट निर्माणकी जो कम्पनियां हैं उनको चोर बाजारी करने का अवसर प्राप्त हो जायेगा, उनको मौका मिल जायेगा और इस प्रकार से लाखों रुपये का धन्धा हो गया। उस अधिकारी ने दसियों लाख रुपये कमा लिये।

मान्यवर, जो सीमेंट मंगाया जाता है वह दो प्रकार से मंगाया जाता है, एक तो ट्रक से और दूसरे रेल से। दोनों प्रकार से मंगाये जाने वाले सीमेंट की कीमतें अलग-अलग हैं, जो ट्रक से माल आता है उस पर 10 रुपया कीमत ली जाती है और जो सीमेंट रेल से मंगाई जाती है उसकी कीमत कम होती है। आपके सचिवालय से आदेश जारी किये गये हैं और उनके द्वारा तह ढील दे दी गयी है कि रेल से सीमेंट आता है, उसका रसीद पर प्रतिहस्ताक्षर करना पड़ता था, तो उस आदेश के द्वारा इस प्रथा को समाप्त कर दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि जो सीमेंट रेल से आता है वह भी उसी भाव से बिकता है, जिस भाव में ट्रक से लाया हुआ सीमेंट बिकता है। तो इस प्रकार से ज्यादा कीमत वसूल करते हैं और इसके लिये सचिवालय से ही आदेश जारी हुआ। इसी अधिकारी ने एक और काम किया कि फ्री सेल की सीमेंट को डम्प करा दिया और फिर पैसा लेकर उसे खोल दिया। गाजीपुर में कोई जगह है, शीशगंज जहां पर सीमेंट डम्प कर दी गई फिर उसको खोला दिया और लाखों रुपया वसूल किया गया। आप न बेचने का काम करते हैं और न खरीदने का काम करते हैं, केवल कागजातों का मैनीपुलेशन करते हैं और लाखों रुपये कमा लेते हैं।

मान्यवर, अब भन्डारण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपने घोषणा की है कि भन्डारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए 5 हजार मै0 टन की क्षमता वाले गोदाम बनायेंगे और इन गोदामों को व्यक्तिगत लोगों से बनवायेंगे, तो मान्यवर, इसमें दो प्रकार की दिक्कतें आयेंगी, एक तो यह गोदाम वैज्ञानिक ढंग से नहीं बन पायेंगे और दूसरे किराया बहुत अधिक देना पड़ेगा। आप बड़े चिन्तनशील व्यक्ति हैं और समाजवादी व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि दुहरी अर्थव्यवस्था साथ-साथ कैसे चल सकती है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर साथ-साथ नहीं चल सकते हैं और जहां पर चल रहे हैं वहां पर वह फेल हुये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हजारों मन आपका खाद्यान्न सड़ जाता है और फिर आप उसे सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से बिकवाते हैं, जिसको कोई लेना नहीं चाहता है। आपकी सस्ते गल्ले की दूकानों से केवल चीनी खरीदी जाती है। जिसके पास कुछ पैसा है, वह आपकी दुकानों से खाद्यान्न न खरीद कर खुले बाजार से खरीदता है। यह कंट्रोल की दुकान पर नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह केवल चीनी उठायेगा और गेहूं चावल नहीं लेगा। लेकिन आपने यह व्यवस्था नहीं की: यदि आप ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके मन में यह शंका है कि आप वैज्ञानिक ढंग से भंडार-गृह नहीं बनाते हैं तो उसके सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि आप यह कर दीजिये कि आप एक बना बनाया नक्शा अपने विभाग से स्वीकृत कराकर अन्यत्र दे दें ताकि उसके हिसाब से वह बन जाय। आप कहते हैं कि किराया देना पड़ता है। तो मैं कहता हूं कि कहीं पर भी जाकर देख लीजिये। किराये की बात तो सस्ती पड़ती है। क्योंकि आपका विभाग मैंटीनेन्स में जितना ही खा जायेगा, उसमें आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप भंडारों को बनाने का काम व्यक्तिगत लोगों पर छोड़ दें। बिल्डिंग पी0 डब्ल्यू0 डी0 भी बना रहा है। यह दूसरी बात है कि वह बिल्डिंग सन् 1962 में बनी और 1982 में टूट गई। इसी तरह से स्कूलों के भवन हैं। लाखों-करोड़ों

आपके विभाग के लोग खा जायेंगे। इसलिये आप इस व्यवस्था को सुधारें।

दूसरी बात मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि सन् 1983 में एक बैठक हुई थी कानपुर में वितरण प्रणाली के ऊपर, जिसमें भगवत झा आजाद भी थे। उन्होंने एक बयान में कहा था कि कम से कम दो हजार यूनिट के ऊपर एक दुकान अवश्य खोली जानी चाहिए और अगर इस हिसाब से खुल जाय तो उत्तर प्रदेश के अन्दर 60 हजार दुकानें हमको चाहिए। मान्यवर, आपने इस बात को माना भी है कि ज्यादा से ज्यादा दुकानें खुलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस समय 24,549 दुकानें हैं जिनमें से 15,795 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और बाकी शहरी क्षेत्रों में हैं। मान्यवर, 3 सितम्बर, 1984 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने एक बयान में कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु रूप से चलने के लिये और उसे गतिशील बनाने के लिये हमारे प्रदेश में 3 हजार दुकानें और खोली जायेंगी। यदि ये तीन हजार दुकान खोल भी दी जायं तो उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि यहां पर 60,000 दुकानों की आवश्यकता है।

श्री वासुदेव सिंह--

इस समय 30 हजार हैं।

श्री विजय सिंह राणा--

आपके आंकड़ों के अनुसार ही कह रहा हूं। लेकिन आपको आवश्यकता है 60 हजार दुकानों की। इसमें तीन हजार लिखा है।

श्री वासुदेव सिंह—

दो हजार और चार हजार की आबादी के बीच इतना हो सकता है। इसलिये हमने 50 हजार कहा था। लेकिन दुकानें चलेंगी नहीं।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर आपने स्वीकार किया कि दुकानें जितनी ज्यादा होंगी उतना ही व्यवस्था के ऊपर और प्रणाली के ऊपर नियंत्रण सम्भव हो सकेगा। मैं इसे स्वीकार करता हूं। जितनी ज्यादा दुकानें होंगी उतना ही भ्रष्टाचार कम होगा और सामान्य जनता तक हर वस्तु पहुंच सकेगी। साथ ही चेकिंग भी सम्भव हो सकेगी। दुकान का जितना बड़ा स्तर होगा उसमें चार-बजारे अवश्य होगी। इस सम्बन्ध में आपका स्वयं का भी और आपकी पार्टी का भी यही अभिमत है कि आप प्रति दो हजार यूनिट पर एक दुकान खोलने की बात मान लें। यदि यह सम्भव नहीं हो सके तो फिलहाल जितने गांव आपके पास उत्तर प्रदेश में हैं हर गांव में एक दुकान खोल दी जाय और बड़े गांव में मोहल्ले के हिसाब से दुकान खोल लें। अगर आपकी सरकार ऐसा कर ले तो यह व्यवस्था सुचारु-रूप से चल सकेगी।

मान्यवर, अब मैं आपकी वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आपका एक योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन है उसने दो बातें कही हैं और उन पर अमल हो जाय वितरण व्यवस्था आपकी ठीक हो सकती है। पहला यह कि घटिया किस्म का सामान नहीं रखना चाहिये दूसरा उपभोक्ताओं को वस्तुओं का सही और नियमित रूप में मिलना। अगर इन पर नियंत्रण हो जाय तो पूरे प्रदेश की वितरण व्यवस्था सुचारुरूप से चल सकती है। दुकानें आपने खोल रखी हैं जिन पर आपने लिखा है कि जनता स्टोर। आप उनमें जा कर देख लें, उनका निरीक्षण कर लें उनको लाइसेन्स कपड़े का भी है, चीनी का भी है, मिट्टी के तेल का भी है, चावल और दाल का भी है लेकिन बिक क्या रहा है या तो गेहूं बिक रहा है या फिर चावल बिक रहा है। कंट्रोल रेट का कपड़ा सारा का सारा बाहर बिक रहा है नया बाजार में बिक रहा है।

आपके कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 17 परसेन्ट दुकानें केवल 9 वस्तुयें बेचती हैं, 92 परसेन्ट दुकानें केवल चीनी बेचती हैं, 80 परसेन्ट दुकानें केवल धान बेचती हैं, 19 परसेन्ट दुकानें केवल गेहूं आटा, मैदा और रैपसीड आइल बेचती हैं, 11.36 परसेन्ट दुकानें कपड़ा बेचती हैं और 5.68 परसेन्ट दुकानें कापियां बेचती हैं। यह आपके यहां के आंकड़े हैं। इस पर आपका कोई नियत्रण नहीं। लखनऊ का एक समाचार पत्र अमृत प्रभात है उसके 2 जून, 85 के अखबार में है कि कंट्रोल का कपड़ा दुकानदार उठाते नहीं हैं। 400 दुकानों में 130 परसेन्ट को कपड़ का भी लाइसेन्स मिला है पर वह कपड़ा बेचते नहीं है उनका कपड़ा सीधे नया बाजार में बिक जाता है और लाइसेन्सदारों को सीधे कमीशन मिल जाता है। चीनी, मिट्टी तेल और पाम आयल की जो वह सीधे रसीद काट कर देते हैं और पी0 सी0 एफ0 स्टोर में एलाटमेन्ट आफिसर, बाबू, खाद्य निरीक्षक और इंस्पेक्टर इस काले धंधे में शामिल हैं। इसी तरह से कानपुर से लखनऊ आने वाला मिट्टी तेल सीधे गाड़ी के मार्फत सीतापुर और लखीमपुर, बाराबंकी जाकर बिकता है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राणा जी अभी आप कितना समय और लेंगे ? 15 मिनट हो चुके हैं। काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं आप संक्षेप में बात कहें।

श्री विजय सिंह राणा--

आपने यह स्वीकार किया है ब्लाक स्तर पर और तहसील स्तर पर कोई दुकानें नहीं खोलता है। मेरा एक सुझाव है इस में आप जनप्रतिनिधियों का भी नियंत्रण रखें। जनप्रतिनिधियों का इन दुकानों में कोई नियंत्रण नहीं है। हम उनका निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। पहले जो खाद्य परामर्शदात्री समितियां थी उनको पुनः जीवित कराइये नहीं तो वे बहुत उदंड हो जायेंगे। उनके भंडारण का सत्यापन कराने की आवश्यकता है। जितनी दुकानें खुलती हैं उनमें कितना माल उपलब्ध है इसकी सूची हर दुकान में लगी रहना चाहिये। अगर इसको देखने का अधिकार विधायकों को होगा तो कम से कम हम अपने इलाके की दुकानों का सत्यापन कर सकेंगे।

दूसरा बात आपका एक रेंट कंट्रोल विभाग है उसकी बात क्या कहें। वह विभाग केवल कागज पर इंदराज करता है रिकार्ड में फलां के नाम से कर फलाने के नाम करता है। मकान वह खाली करा नहीं सकता है, किसी किरायेदार को निकाल नहीं सकता है। केवल कागज को पचा देने का वह काम करता है कि इसका एलाटमेन्ट तुम्हारे नाम है। इसका परिणाम यह हुआ है कि गुण्डों का एक गिरोह बन कर वह काम कर रहा है जो अपने आप मकान खाली कराता है और अपने आप कब्जा कराता है। और आपके विभाग को भुगतान करके रसीदें लेकर दे देते हैं। मान्यवर, रेंट कंट्रोल विभाग ऐसा है जो शहर के चौराहे-चौराहे, गली-गली में मकानों का एलाटमेंट हो रहा है। केवल कागज पर। अभी मंत्री जी ने घोषणा किया कि रेंट कंट्रोल में सुधार करेंगे, यदि सुधार कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि मेरे सुझाव को भी उसमें सम्मिलित कर लें। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी न कहा कि लम्बी अवधि के लिये ऋण उपलब्ध करा रहे हैं मकान बनाने के लिये। यदि यह करदें तो रेंट कंट्रोल ऐक्ट की जरुरत ही न पड़ेगी।

श्री वासुदेव सिंह--

रेंट कंट्रोल ऐक्ट न हो तो लाखों आदमी सड़क पर आ जांय, यह किरायेदार के हक में और मालिकों के हक में नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, रेंट कंट्रोल ऐक्ट किरायेदार की सुरक्षा करता है कि चाहे जब मालिक

चाहें तो निकालने से रोक पाता है, इसकी यही क्षमता है। उस क्षमता को आप और भी तरीके से कर सकते हैं। मान्यवर, कहने का मतलब है कि सामान्य जनता को जब आप लम्बी अवधि के लिये ऋण दे देंगे तो अपने स्वयं के मकान हो जायेंगे तो रेंट कंट्रोल की समस्या अपने आप समाप्त हो जायेगी।

मान्यवर, चोर बाजारी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आपके सचिव, श्री सैदाल कुमार मुकर्जी, की क्षमता से मैं परिचित हूं। उन्होंने यह आंकड़े दिये हैं कि 6359 छापे मारे गये, 456 गिरफ्तार किये गये, 27 व्यक्ति नजरबन्द कानून में बन्द किये गये, 1198 लाइसेन्स निलंबित किये गये, 1058 लाइसेन्स रद्द किये गये, 491 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी और 459 लोगों की जमानतें जब्त हुई, यह तो सही है लेकिन इनमें से कौन छूटा यह पता नहीं। मान्यवर, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि 1980 में कृष्ण कुमार को पकड़ा गया, 7 हजार लीटर डीजल ब्लैक में बेचते हुये पकड़ा गया रंगे हाथों किन्तु वहीं से एक मंत्री की सिफारिश के जरिये छूटा ही नहीं बल्कि अधिकारियों के खिलाफ जवाब-तलब किये गये। इसके लिये आप क्या करेंगे? जमाखोरी और चोरबाजारी में पकड़े जांय यह स्वागत योग्य है किन्तु जब अधिकारी भ्रष्टाचार करें तो उसको कैसे रोकेंगे?

मान्यवर, अब आपने सहकारिता विभाग से वितरण व्यवस्था लागू कराई है और लाइसेन्स देना शुरू किया तो आप देखें कि एक-एक दुकान का आबंटन तभी होता है जब कि पहले पैसा ले लिया जाता है और दो हजार रुपये दिये बिना दुकान का आबंटन नहीं हो सकता है। मान्यवर, मैं अपने यहां जब एक दुकान का आबंटन कराने गया तो ए0 डी0 एम0 से मिला तो वे दुकान के लिये विचार करने को तैयार नहीं हुये लेकिन जब दो हजार रुपये देने को कहा तो दुकान एलाट की गयी किन्तु कोटा उठाने पर फिर दो हजार रुपये देने पड़े, तो यह स्थिति है। वितरण प्रणाली आपके हाथ में है वितरण व्यवस्था पर नियंत्रण करना, चाहते हैं लेकिन अधिकारियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिये मेरा पहला सुझाव है कि आपने जो भंडारण और वितरण दो अलग-अलग जगहों पर कर रखा है उसको समाप्त करें और यह दोनों काम वितरण और भंडारण एक ही संस्था करे, तो स्थिति में सुधार होगा क्योंकि कम से कम एक जगह खाने का रहेगा। लेवी जब लगती है तब आप देखिए जाकर। किसान के गेहूं का भाव 157 रुपया क्विंटल है, लेकिन 150 रुपये का भी भाव अगर बाजार में होगा तो वहीं बाजार में किसान बेचना चाहेगा, किसान गाड़ी लेकर कभी आपके केन्द्र पर नहीं आएगा। वह इससे भी कम में बेच देगा लेकिन किसान वहां ले जाकर बेचना नहीं चाहता हूं। क्योंकि वहां पर इतने नखरे चलते हैं कि वह उसके वश की बात नहीं है। वहां चलनी लगाएंगे, छलनी लगाएंगे, ग्रेडेशन करेंगे आदि। तो मैं कह रहा था कि किसानों की दो-दो बार लूट होती है--भंडारण के समय और दूसरे वितरण के समय। इसलिए आप अलग-अलग की इन दोनों व्यवस्थाओं को खत्म करके कोई एक व्यवस्था बनाएं, जो एक ही एजेंसी खरीदे और बेचे। ऐसी एक एजेंसी, जो क्रय करे और बेचे भी, उसके लिए आपको कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब आपने सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण व्यवस्था शुरू कर दी है। इससे दोहरा भ्रष्टाचार और दोहरी बुराई हो गई है--भूत और पिशाच दोनों एक साथ जुड़ गये हैं।

खाद्य विभाग रूपी भूत से ही लोग त्रस्त थे और अब सहकारी समिति वाला पिशाच भी उसके साथ शामिल हो गया है। आज दोनों मिलकर जनता पर हावी हैं। अब भूत और पिशाच दोनों मिल

गये हैं उन पर आपका कोई नियन्त्रण नहीं है । पी० सी० एफ० के माध्यम से आप चीनी उपलब्ध कराते हैं । दोनों सरकारी संस्थाएं हैं । वह अपने खाने पर पैर जमाए हैं और वह अपने खाने पर पैर जमाये हैं । व्यक्तिगत बिक्री करने वाले दुकानदारों से वह अपना हिस्सा लेते हैं, लेकिन सहकारी समिति वाला कोई उनको उनका हिस्सा देना नहीं चाहता है, इसलिए उनको एलाटमेन्ट नहीं होता है । तो मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं आप जाकर देखिए जो गांवों में सहकारी समितियों के माध्यम से गल्ला, मिट्टी का तेल और चीनी आदि की दुकानें चल रही हैं, वहां पर महीनों-महीनों गल्ला, और तेल नहीं जाता है । जो ड्राफ्ट जाता है वह पी० सी० एफ० में जमा हो जाता है, पर कोई एलाटमेन्ट उन पर नहीं होता । तो मैं चाहूंगा कि आप कम से कम इस व्यवस्था पर सोचें । जब तक आप का खाद्य विभाग इस पर नहीं सोचेगा कि एक ही एजेंसी क्रय करे और एक ही विक्रय करे तब तक जनता की दोहरी लूट होगी और उस लूट से आप उसको बचा नहीं सकेंगे । आप उसको ऐसी दोहरी मार से बचाइये ।

आपने अपने साहित्य में कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बारे में लिखा है, वह ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कानपुर के श्री जितेन्द्रनाथ मिश्रा ने 1981 में जो 46 टैंकर मिट्टी के तेल और कोयले की तस्करी की थी, जिसकी रिपोर्ट आपके यहां है, उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ? आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है । तो जो खुले भ्रष्टाचार के केस हैं आपके सामने, जब उन पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की तो विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार कैसे रुक सकता है ।

एक बात और है, आपने अपने विभाग में अभी तक कोई सेवा नियमावली नहीं बनाई है । मार्केटिंग इंस्पेक्टर और हाट इंस्पेक्टर रिटायर होने को आ गए, लेकिन उनकी कोई सेवा नियमावली आपके यहां उपलब्ध नहीं है । जो कुछ टूटी फूटी सेवा, नियमावली आपके यहां उपलब्ध है, वह भी अंग्रेजी में है हिन्दी में उपलब्ध नहीं है । आप तो हिन्दी के बहुत बड़े उपासक हैं, आप हिन्दी का दम्भ भरते हैं तो यह घोषणा तो आप इस सभा सदन में तुरन्त कर दें और नहीं तो यह तो आप इसी समय कर सकते हैं । आप यह कहें कि जो अंग्रेजी भाषा में सेवा नियमावली उपलब्ध है, उसको हम हिन्दी में करा देंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इधर और उधर के माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात् कुछ अपने महत्वपूर्ण सुझाव जो हैं उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा । मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये कहना चाहता हूं कि कम से कम एक काम यह करा दीजिये कि यह जो वितरण और क्रय है इसको एक जगह करा दीजिये और तब तक इस बजट को वापस कर लीजिये ताकि जनता को दोहरी लूट से बचाना संभव हो सके ।

श्री अमिताभ लखानियां—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने खाद्य तथा रसद विभाग के बजट के परिप्रेक्ष्य में मुझे अपनी बात कहने का समय दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री जी ने जो वार्षिक कार्य-विवरण प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । खाद्य विभाग ने जमाखोरी आदि के विरोध में प्रिवेंशन आफ ब्लैक मार्केटिंग ऐक्ट में जो 27 लोगों को गिरफ्तार किया है वह एक नया कदम है । इससे जन-साधारण में आवश्यक वस्तुयें मिलने में सुगमता प्राप्त होगी और जो लोग इसके खिलाफ कार्य कर रहे थे, या गलत दूकानदारी कर रहे थे उनमें प्रशासकीय कड़ाई से एक भय व्याप्त होगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं । जब कोई नये माननीय सदस्य बोल रहे हों तो उस समय व्यवधान पैदा न करें ।

श्री अमिताभ लाहिरी--

मान्यवर, माननीय खाद्य आपूर्ति मन्त्री जी ने अपने विभाग में प्रधान मन्त्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम को पूर्ण रूप से बल दिया है तथा माननीय मन्त्री जी द्वारा समय-समय पर जिलाधिकारियों को दिये जाने वाले निर्देश इस बात के द्योतक हैं कि सरकार उपभोक्ता को हर वस्तु उपलब्ध कराने की दृढ़ संकल्प है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय खाद्य मन्त्री जी ने मिट्टी के तेल की उपलब्धता करायी है, यह बड़ी खुशी की बात है । इस समय मिट्टी के तेल की कोई कमी नहीं है । शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर वह बांटा जा रहा है । आपको यह जान कर खुशी होगी कि खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जो अनियमितता बरतने वाले लोग थे उन पर कार्यवाही की गयी है और 1810 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा 1460 लोगों की दूकानों को निलम्बित किया गया है और 3016 दूकानों के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं । इसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि 6 करोड़ 65 लाख रुपये की आवश्यक वस्तुयें पकड़ी गयी हैं । इसके लिये माननीय मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ अपने सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहूंगा ।

मेरा निवेदन है कि सतर्कता एवं उपभोक्ता संरक्षण समिति, जो गठित की गयी है, वह रचनात्मक रूप में कार्यान्वित नहीं हुयी है । मैं कहना चाहता हूं कि इसे और गति देने के लिये इस समिति की ज्यादा बैठकें निश्चित की जानी चाहिये तथा समिति के सदस्यों को ज्यादा अधिकार दिये जाने चाहिये । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तहसील स्तर पर जो समिति गठित की गयी है उसका अध्यक्ष या संयोजक दोनों राजपत्रित अधिकारी होते हैं । इसमें से किसी एक पद समिति के पदेन सदस्यों को दिया जाय ताकि यह कार्य जनता के हित में हो सके और प्रभावी ढंग से इसे लागू किया जा सके । मान्यवर, इसी सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि चीनी का वितरण शहरी क्षेत्रों में पी० सी० एफ० के निजी गोदामों के माध्यम से किया जाता है वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य विभाग के गोदामों से किया जाता है तो मेरा कहना है कि ग्रामीण अंचलों में भी पी० सी० एफ० द्वारा अपने गोदामों की व्यवस्था करते हुए चीनी का वितरण पी० सी० एफ० द्वारा ही होना चाहिये ताकि वहां पर चीनी का वितरण सुगमता से हो सके । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

(मेजों की थपथपाहट)

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैंने अभी माननीय खाद्य मन्त्री जी का भाषण बहुत गौर से सुना और मैं उनका सम्मान भी बहुत करता हूं । लेकिन जो पुस्तिका में छपा हुआ है कि भ्रष्ट व्यापारियों के खिलाफ, जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही की, उसके सम्बन्ध में मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं कि उसकी हालत क्या है, मैं दोहराऊंगा नहीं, जो माननीय राणा जी ने कहा है, मेरी नजर अखबार की कतरन पर पड़ गयी, 29 जून के नवभारत टाइम्स पर मेरी नजर पड़ गयी । माननीय मन्त्री जी ने कार्लटन होटल पर छापा मारा और प्रेस वालों से यह कहा कि मैंने यह किया, वह किया । आज मैंने भाषण देने से पहले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह पता लगाने की चेष्टा की थी कि क्या कार्यवाही हुई । 7 दिन के अन्दर वहां से रिपोर्ट आने के लिए एवं कार्यवाही करने के लिए आपने कहा था, मान्यवर, मैं चुनौती देता हूं कि 7 दिन के बजाय 1 महीना हो गया, अभी तक न रिपोर्ट आई और न कोई कार्यवाही की गयी ।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, अवध क्लार्क में पत्रकार लोग गये थे, उसकी एक रिपोर्ट हुई थी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, यह क्लार्क अवध की बात है, मैंने भूल से कार्लटन होटल कह दिया था । मान्यवर, जितनी बड़ी ये घोषणायें करते हैं, उनमें से आज तक कोई फंसा नहीं है और फंसे कौन हैं, मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं ।

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय गुप्ता जी को बहुत प्रकरण मालूम नहीं है । मेरे पास बहुत से पत्रकार बन्धु आये और उन्होंने मुझसे बात की, तब चालान किया गया, लेकिन बाद में वहां के अवध क्लार्क के लोगों ने माफी मांगी, लिखकर पत्रकारों से माफी मांगी । जब पत्रकार बन्धु मुझसे मिले थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वहां पर खाने में कील मिली थी और इसकी शिकायत करने पर दुर्व्यवहार किया, तब मैंने कठोरतम कार्यवाही की ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या कार्यवाही की ?

श्री वासुदेव सिंह--

जिन लोगों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उनसे उन्होंने क्षमा मांगी और लिख कर क्षमा मांगी ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जो क्षमा मांग लें, उसको आप छोड़ देंगे ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की क्षमता इस सरकार में नहीं है । कार्यवाही किसके खिलाफ करेंगे, इसके बारे में अभी बताऊंगा । आपने कहा कि मैंने छोटे दूकानदारों को एलाऊ कर दिया । लेकिन इस बात को आप समझ लें कि उन दूकानदारों के नाम पर हो क्या रहा है ? उनके नाम पर मैं साफ बता देना चाहता हूं कि गेहूं खरीद का लाभ प्रदेश के बड़े काश्तकारों को हो रहा है, क्योंकि आपने केन्द्र इतनी दूर-दूर खोले हैं, उसका परिणाम यह है कि छोटे काश्तकार वहां जा नहीं सकते और उसको मजबूरी में अपने गांव में 110, 120 में अपना गल्ला बेचना पड़ा और आपने बिचौलियों को मौका दे दिया है, जो थैली शाह हैं, उनके हाथ वह गेहूं बेंच गये और आप कुछ नहीं कर पाये । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप ऐसी कोई व्यवस्था करें, जिससे उनके इन्तखाब देखकर, उनकी बही देख कर कि वह काश्तकार हैं, तो उनके गेहूं लिये जायं और अगर नहीं हैं, तो न लीजिए । आप आज ही अपने अधिकारियों को बुला कर देख लें कि हैंडलिंग का ठेका किन-किन लोगों ने किया है, असामाजिक तत्वों ने, दादाओं ने लिया है । क्या यह सही नहीं है कि निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर उन्होंने ठेका लिया है ? क्या कोई समाज सेवा के लिए वहां पर कम कीमत पर ठेका लेगा ? गेहूं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है ।
अब मैं दूसरी बात पर आता हूं । वितरण प्रणाली के बारे में माननीय मन्त्री जी कहा । आपका व्यवहार मिला-जुला है सन् 1981 में पंचायती राज्य विभाग से एक जी० ओ० जारी हुआ था, उसका नम्बर मेरे पास नहीं है ।

ग्रामीण क्षेत्रों के राशनकार्ड बनवाने का काम इन्होंने कर दिया, लेकिन जो पंचायती राज विभाग से राजाज्ञा जारी हुई उसमें लिखा गया है पंचायती अधिकारी को, "अपरिहार्य स्थितियों में राशनकार्ड बनाए जाए।" इसका परिणाम क्या हुआ इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सब जानते हैं। किसी का राशनकार्ड नहीं बना। वितरण प्रणाली से आपको, कोई लाभ नहीं हुआ है। एक बात आपने अच्छी कही है। आपने कहा गड़बड़ी इसलिए भी होती है कि राशन के दुकानदार को प्राफिट कम होता है। आप राजनीतिक आधार पर न देकर उसे किसी परचून के दुकानदार को दीजिए। जो दाल, चावल, आटा आदि बेचता है उसको आप दीजिए वह उनके साथ इसका भी लाभ उठाता रहेगा, लेकिन यदि आप राजनीति के आधार पर आवंटन करेंगे तो वह बिक जाएगा। मान्यवर, एक कोआपरेटिव की राजाज्ञा है कि अगर सुपरवइजर गलत काम करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही बिना ए0 आर0 ओ0 की अनुमति के नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई दुकानदार अपने सामानों की सूची दुकान के बाहर लगाना किसी दिन भूल जाता है तो उसका चालान कर दिया जाता है। लेकिन सुपरवाइजर के खिलाफ बगैर ए0 आर0 ओ0 की अनुमति के कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो इस तरह की विसगतियां हैं। दो-चार सुझाव मैं माननीय मन्त्री जी को आपके माध्यम से देना चाहता हूं। एक व्यापारी को व्यापार करने के लिए एक-एक चीज का अलग-अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। इसी तरह अगर कोई हलवाई की दुकान खोलता है तो उसे दूध का अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। मिठाई का अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, तो यह भष्टाचार की जननी है। रोज-रोज हलवाई को परेशान किया जाता है कभी किसी चीज का लाइसेंस देखते हैं कभी किसी चीज का लाइसेंस देखते हैं। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इस लाइसेंस प्रणाली को खत्म करके रजिस्ट्रेशन की प्रणाली को लागू करें' उसके बाद आप खूब चेकिंग करिए मैं मना नहीं करता, जो गलत काम करने वाले हैं उनको सजा दे दीजिए। मान्यवर, मैं आर0 एफ0 सी0 लखनऊ में सीतापुर से आता हूं।

सीतापुर के व्यापारियों ने जमानत के रूप में एन0 एस0 सी0 का पैसा जमा किया है, वह जाते हैं तो उन्हें 6 साल को एन0 एस0 सी0 का रुपया वापस नहीं किया जाता है। कोई व्यापारी जब अपना जमानत का पैसा लेने जाता है, जब उसने अपना व्यापार खत्म कर दिया, तो वह उससे सट्टी और बही भी जमा कराने को कहते हैं। मान्यवर, जब सट्टी और बही ले ली जाती है तो वह सेल्स टैक्स और राजस्व में सट्टी बही कहां से लेकर जाएगा, तो आप ऐसे नियमों को बदलें। मान्यवर, खाद्य निरीक्षक जाते हैं इसलिए कि वह सारा निरीक्षण करें। अगर किसी के दाल बनाने के कारखाना पर पहुंच गए तो दाल बनाने की प्रक्रिया क्या है इसको देखें दाल को भिगोया भी जाता है, तेल से भुआ भी जाता है, उसको सुखाया भी जाता है उसके दो टुकड़े भी किए जाते हैं, तो उसका वजन भरी हो जाता है और हल्का भी हो जाता है अगर निरीक्षण करने पहुंचे तो सही वजन कैसे मिलेगा किसी संस्था में जायेंगे तो जो वजन लिखा है, वह नहीं मिलेगा। इसलिये इस पर पुर्नविचार करें और एक प्रतिशत या कुछ प्रतिशत तय करें कि इतनी छूट दी जायेगी। इसको नियमों में व्यवस्था होनी चाहिये। अब मैं 3/7 के बारे में कहना चाहता हूं। इसेन्शियल कामोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत आप सुपरवाइजर पर कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। जो छोटे व्यापारी हैं, रेट बोर्ड पर कोई चीज लिखना भूल गये, उनका 3/7 में चालान कर देते हैं, उनको जेल जाना पड़ता है क्योंकि इसमें जमानत नहीं होती है। लेकिन आप यह देखिये की 3/7 में कितने केसेज चालू हुये और कितने में फाइनल रिपोर्ट लग गई। यह अधिनियम बिल्कुल निष्प्रभावी हो रहा है।

मेरा सुझाव है कि जब किसी के खिलाफ 3/7 की रिपोर्ट हो, तो पहले उसका इक्सप्लानेशन लिया जाना चाहिये, उसको अपनी बात कहने का एक मौका दिया जाना चाहिये। उसके बाद कोई कार्यवाही करनी चाहिये। मान्यवर, वनस्पति घी के बारे में कहा गया कि इसकी कीमत भारत सरकार तय करती है। आपकी पुस्तक में लिखा है कि 234 रुपये में 15 किलो का टीव मिलेगा। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, मैं सीतापुर से चुनकर आया हूं, जितने भी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, कोई बता दे कि कहीं पर 234 में मिल रहा हो। एक बात मैं कहना भूल गया इसमें आपने लिखा है कि लोकल टैक्स और लग जायेगा। सीतापुर में घी बनता है तो उस पर सेल्सटैक्स और चुंगी और जुड़ जायेगी। लेकिन आज 280 और 290 में टीन मिल रहा है। वनस्पति घी का सारा मेटीरियल सरकार देती है। अब तो आपने अलसी का तेल मिलाने को कर दिया है। लेकिन इसके पहले 100 प्रतिशत आयातित तेल आप देते थे, जिसको फीज करके घी बनाया जाता था। किसी वनस्पति घी बनाने वाले के खिलाफ कार्यवाही की गई तो बता दें। मैं चाहूंगा कि उसका नाम बता दें। कोयले के बारे में कहा गया कि कुछ कोयला रेल से आता है कुछ ट्रक से आता है। जितने भी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या किसी दुकान पर दो रेट का कोयला मिलता है कि यह रेल का है यह ट्रक का है। इसके द्वारा जिलापूर्ति कार्यालय में भ्रष्टाचार है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि जो 2-4 सुझाव हमने दिया है, उसका उत्तर मन्त्री जी अपने उत्तर भाषण में देंगे।

श्री अधिष्ठाता--

समय कम है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि 5 मिनट में अपनी बात कहें।

श्री रजनी कान्त--

सन् 1985-84 का वर्ष उपलब्धियों का वर्ष रहा है। हम जब खाद्य और रसद विभाग की बात करते हैं तो हमको सोचना पड़ेगा, आबादी का जो उच्चतम सूचकांक होता है, किसी देश की आबादी यदि इस उच्चतम सूचकांक से अधिक होती है तो भूख, गरीबी, अकाल मृत्यु देखने में आती है। लेकिन हमारी सरकार ने परिवार नियोजन के साथ साथ जिस प्रकार हरित क्रान्ति द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ा कर और औद्योगिक प्रगति द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए वस्तुओं के सही दाम पर वितरण का संतुलन बनाये रखा इसके लिये केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकार बधाई की पात्र है। यहां पर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो देश की जनसंख्या में सबसे अधिक है। फिर भी हमारे यहां भुखमरी के एक केस की भी रिपोर्ट नहीं आयी, सूचना नहीं मिली। बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं एक चिकित्सक के रूप में मैंने गांवों से आने वाली पापुलेशन में, शहरों से आने वाले लोगों से, मैं सभी वर्गों के लोगों से मिलता हूं। पहले जो कुपोषण के केसेज देखे जाते थे अब कुपोषण के केसेज उतने नहीं है। मैं इसके लिए भी अपने मन्त्री महोदय को और सरकार को बधाई देता हूं।

जब मैं कहता हूं कि 84-85 उपलब्धियों का वर्ष रहा है तो मैं कुछ उसके बारे में बताना भी चाहूंगा। उचित दर पर सामान तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करानें हेतु 29,805 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें कार्यरत हैं जिसमें 9,434 दुकानें शहरी क्षेत्रों में और 20,371 दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। यही नहीं हमने सहकारी समितियों के तहत आवश्यक जीवन वस्तुओं के वितरण का प्रबन्ध किया। 11,630 सहकारी समितियों द्वारा दुकानें चलायी जा रही हैं जिनमें 9,442 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 2,188 दुकानें शहरी क्षेत्रों में चल रही हैं।

जिन दुकानों में यह देखने को मिला कि वह जनता की सेवा ठीक से नहीं कर रही हैं उनको निरस्त किया गया और उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की गयी। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उसके सूत्र संख्या 17वें के अनुसार प्रान्त में 4 हजार आवश्यक वस्तुओं के लिए सस्ती दुकानें खोलने की बात थी। मुझे हर्ष होता है कि प्रोफेसर साहब के नेतृत्व में 4,119 दुकान खोली गयी जो किसी भी प्रान्त में इस योजना के अन्तर्गत खोली जाने वाली दुकानों से कहीं अधिक है यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है एवं 85-86 में 4,000 और दुकानें खोलने का प्राविधान है उचित दर की दुकानों से गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल, नियंत्रित कपड़ा व साफ्ट कोक बेचने के आदेश दिये गये। इसके अतिरिक्त टार्च, सेल, माचिस, ब्लेड, साबुन, बल्ब, व निरोध भी बिक रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों के लिए सम्बन्धित बहुत से शहरों में जो दुकाने खोली गयीं, वहां सेल्सटैक्स बिलकुल हटा दिया गया एवं जलपान-गृहों के माध्यम के घटे हुए दामों पर उन्हें नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त मैं कुछ चीजों की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड की व्यवस्था ठीक नहीं थी, अतएव शासन द्वारा 1·38 करोड़ नये राशन कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण हेतु छपवाये गये हैं जिसमें से 1·05 करोड़ राशन कार्डों को जिला स्तर पर भेज दिया गया है और जिलाधिकारियों से कहा गया है कि प्रमुखता के आधार पर उनके वितरण की व्यवस्था करें। मान्यवर, मिट्टी के तेल के वितरण के सम्बन्ध में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पांच महानगरियों एवं बरेली, मेरठ और गोरखपुर में आवंटित कोटे का 60 प्रतिशत मिट्टी का तेल गांवों में और 40 प्रतिशत मिट्टी का तेल शहरों में बांटा जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में यह आवंटन गांवों में 70 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 30 प्रतिशत है।

मैं प्रोफेसर साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को वरीयता दी है। मैं इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित 23 जुलाई के समाचार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं "देश के किसी भी प्रदेश में बिकने वाली चीनी का मूल्य उत्तर प्रदेश में बिकने वाली चीनी के मूल्य से अधिक है।" इन परिस्थितियों में प्रोफेसर साहब बधाई के पात्र हैं। चीनी के भन्डारण और चीनी के आयात से उन्होंने चीनी की उपलब्धता और चीनी के मूल्यों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। श्रीमन्, मैं, कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वितरण व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए सहकारिता जो समाजवादी व्यवस्था की रीढ़ है उनमें गुणात्मक परिवर्तन करें।

अधिकतर सहकारी समितियां निष्क्रिय हो चुकी हैं। जो सहकारी समितियां निष्क्रय हो चुकी हैं, उनसे प्रबन्ध लेकर या तो उन समितियों में चुनाव होने चाहिये, अन्यथा किस अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की बात होनी चाहिये। मैं यह चाहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय और इन सहकारी समितियों का लोकल एजेंसियों के द्वारा जिसमें राजनीतिक कार्यकर्ता विभिन्न राजनैतिक दलों के हों, उनसे भी निरीक्षण कराने का प्राविधान हो।

सस्ते कपड़े के वितरण के सम्बन्ध में श्रीमान् जी, मैं कहना चाहूंगा कि जनता साड़ी, जनता कपड़ा, जनता धोती पर जैसे नोट पर वाटरमार्क लगाया जाता है या 100 रुपये के नोट पर लाइन खींच दी जाती है, उसी प्रकार की कोई पहचान बना दी जाय, ताकि यह सस्ता कपड़ा अन्य साधनों से न बेचा जा सके। मैं चाहूंगा कि इसमें जो कैशमेमों दिया जाय उसके लिये यह आवश्यक कर दिया जाय कि उसमें खरीदने वालों का नाम और पते का उल्लेख अवश्य किया जाय। क्योंकि,

मैंने देखा है कि इसका जो कैशमेमो इशू किया जाता है, उसमें नाम और पता नहीं लिखा जाता है ।

इसी प्रकार रेंपसीड के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । यह सरसों के तेल से भी स्वाद में खराब होता है और स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद है, सरसों के तेल से मंहगा भी है । सरकार को चाहिये कि ऐसी नीति बनाए कि उत्तर प्रदेश में रेपसीड आयल का आवंटन बन्द कर दिया जाय क्योंकि यह रेपसीड आयल एडल्ट्रेशन, मिलावट को बढ़ावा दे रहा है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती कि प्रोफेसर साहब जो डाक्टर लोहिया के अनन्य भक्त रहे हैं, जो दोहरी मूल्य नीति का प्रश्न है, कम से कम इसको बदलने का काम करते, तब, जब आप उधर बैठे हैं । दोहरी मूल्य नीति के विरोध में प्रोफेसर साहब ने आन्दोलन चलाए हैं और काफी सरकार को हड़काने का काम किया है, लेकिन आज उधर उस मंत्री पद की कुर्सी पर बैठ गये हैं तो वही प्रोफेसर साहब दोहरी मूल्य नीति के समर्थन में बजट लाये हैं, तो हम जैसे समाजवादियों को वेदना होती है । प्रोफेसर साहब जानते हैं कि हिन्दुस्तान में 30 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो वस्त्रहीन हैं, देहातों में रहते हैं और जिनके पास एक भी कपड़ा पहनने को नहीं है । इस मुल्क में हर व्यक्ति को कम से कम मोटा कपड़ा तो पहनने के लिये मिलना ही चाहिये । लेकिन आज देश में मोटा कपड़ा बनना कम हो गया है इसलिये मोटे कपड़े की कीमत बढ़ गई है, अगर मोटा कपड़ा बनना बन्द न होता तो यह कीमतें भी न बढ़तीं । इसलिए मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े-बड़े मिल मालिकों से, जिनसे चुनाव के समय आपको पार्टी पैसा लेती है, अगर कपड़े के सम्बन्ध में आप यह नीति लागू करते हैं कि जब तक तन के ढकने का कपड़ा पूर्ण नहीं होता है तो उनसे मोटा कपड़ा बनाने को ही कहें । अच्छी किस्म का कपड़ा बनवाना बन्द करा दें तो मोटी किस्म का कपड़ा अपने आप अधिक बनना शुरू हो जायगा । अन्यथा प्रोफेसर साहब यह दोहरी नीति को बदल दें, मोटे कपड़े की आवश्यकता के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1979-80 में जो मोटा मारकीन 1·78 रु० के हिसाब से हम छोड़ कर गये थे, आज उसके बाजार भाव साढ़े छ रुपये से लेकर साढ़े आठ रुपये मीटर तक हैं और सस्ते गल्ले की दुकान पर साढ़े चार साढ़े पांच रुपये मीटर के हिसाब से वही मोटा भारकीन मिल रहा है । मैं जानना चाहूंगा कि जिस कीमत पर हम मोटा मारकिन छोड़कर आये थे, आज उसके इतने बेतहाशा रेट बढ़ जाने के क्या कारण हैं ? मान्यवर, इसका कहीं जिक्र न मंत्री जी के भाषण में है और न ही विभाग द्वारा दिग्दर्शन-पुस्तिका में है । जिस कपड़े का नियंत्रण सरकार करे और उसी के दाम बढ़े, अफसोस है ।

उत्तर प्रदेश के लाखों भूखे और नंगे लोग कपड़ा विहीन हैं । किसान को मोटा कपड़ा मिल नहीं रहा है । मोटा कपड़ा की कीमत बढ़ाकर उत्तर प्रदेश की इस हुकूमत ने उनके साथ धोखा किया है । इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कपड़े की इस दोहरी मूल्य नीति पर आपको पुनर्विचार करना चाहिये । कपड़ा मिलों का जो रवैया चल रहा है, इस प्रवृत्ति को आप जैसा योग्य और विद्वान मंत्री रोकने का काम करें ।

आपने गेहूं के बारे में कहा, किसान को गेहूं का उत्पादन करने में एवं बाद में उसके बेचने के लिये जाने पर जो आने-जाने का खर्चा उसके रखरखाव का खर्चा होता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता । उसकी भूमि की कीमत लाभ हानि में जोड़ी जायेगी । लेकिन, वही किसान का गेहूं जब आपका निगम खरीदता है तो वह उसे बेचने में आने जाने का भाड़ा, गोदाम का खर्चा, स्टोर का खर्चा आदि खर्च तय करके, उसकी कीमत तय की जाती है । आपने तो किसान से उसका गेहूं 157 रु०

के हिसाब से खरीदा । निगम उसको 67 पैसे प्रति किलो० फायदे पर बेच रहा है । यह कितना बड़ा अन्याय है आपके कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के आंकड़े हैं कि किसान की उत्पादन लागत एक किलो पर 2·33 रु० आती है लेकिन उसको आप लेते हैं 157 पैसे के हिसाब से । अपना तो आप 67 पैसे फायदा लेते हैं, जबकि किसान को उसकी उत्पादन लागत भी नहीं मिल पाती । फिर भी आपके निगम घाटे में चले जाते हैं ।

यह दोहरी मार क्यों हो रही है । दोहरी मूल्य नीति बनाकर इंदिरा कांग्रेस हुकूमत ने केवल एक ही काम किया है पूंजीपतियों से चन्दा लेकर प्रदेश में अपनी हुकूमत को जमाये रखा है । इसके अलावा आपकी सरकार को कोई दूसरी नीति जनहितकारी नहीं है । जहां तक कपड़े के मामले मे, गेहूं के मामले में नीतियों का प्रश्न है, इन नीतियों का सुधार कर, इन्हें आप जनहित में बनाने का काम करें तो मैं आपका स्वागत करता । सीमेंट के मामले में दोहरी नीति आप सन् 1982 से लाये । वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत जितना लेवी की सीमेंट आती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आपकी सर्वजनिक संस्थायें हैं, ले जाती हैं । बाकी जो बचा खुचा होता है वह शहरी लोग भवन का नक्शा आदि दिखाकर भवन निर्माण हेतु ले जाते हैं । लेकिन, देहाती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिये आपने क्या किया है । उनको थोड़ा बहुत भी नहीं मिल पाती है जिनको मिल जाती है वह अपने को भाग्यशाली समझते हैं । 5 बोरे से ज्यादा नहीं मिलता । भवन का नक्शा ए० डी० ए० से पूर्ति मांगता है । बी० डी० ओ० से दिलाइये, नहीं तो सीमेंट आपको नहीं मिल पायेगा । सीमेंट की आपकी जो दोहरी नीति है उसको खत्म कर देहात में एक गरीब को औसत लेवी सीमेंट की आपूर्ति की जो व्यवस्था है वह नगण्य है । और वह औसत ·002 परसेन्ट आता है ।

श्री वासुदेव सिंह--

10 बोरी तक तो कोई भी अपने भवन को मरम्मत करने के लिए ले सकता है । यदि कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे बतायें । वहां दिलवायेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

आगरा में 5 बोरी मिल रहा है, फिरोजाबाद में नहीं मिल रहा है । सीमेंट के जो कारखाने हैं । लेवी सीमेंट का कितना कोटा वे बेच लेते हैं टोटल आऊट पुट का । लेकिन उनसे आपको पार्टी का चन्दा जुड़ा हुआ है, उस पर आप कन्ट्रोल नहीं कर पाये हैं, इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा । माननीय मन्त्री जी ईमानदारी से उन्हें जितना लेवी सीमेंट देना चाहिये, उतना भी वह नहीं देते । शेष सीमेंट को वे फ्री सेल में देते हैं । फ्री सेल में सीमेन्ट का कीमत बाजार में 84 रुपये व 85 रुपये बोरे है । आज आप गरीब आदमियों को सीमेन्ट ऊंचे दर पर दे रहे हैं और बड़े आदमियों को आप लेवी सीमेन्ट दे रहे हैं सरकारी संस्थानों के माध्यम से और गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम से । आज आपने यह मतभेद पैदा कर दिया है, जिससे लेवी सीमेन्ट का फायदा कुछ लोग ले रहे हैं लेकिन इसके सम्बन्ध में आपने कोई व्यवस्था नहीं की है ।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं चीनी के बारे में । आपने कहा कि आर० एफ० सी० है और हमारे 5-6 मण्डल हैं जहां से चीनी का वितरण होता है । उत्तर प्रदेश आवश्यक खाद्य वस्तु निगम, यू० पी० उपभोक्ता सहकारी संघ और कानपुर, लखनऊ, आगरा, बनारस आदि । यहां पर आपने चीनी की कीमत 580 रुपये कर रखी है लेकिन कुछ मण्डलों में आपने 570 रुपये कर रखा है कागज में लेकिन बिक्री में 580 रुपये कर रखी है । इस प्रकार जो 10 रुपये का मुनाफा लिया जा रहा है और जो

इसका मुनाफा ले रहे हैं, उनके खिलाफ आज तक आपने कोई कार्यवाही की बात इसमें नहीं कही है ।

मान्यवर, शहर और देहातों में चीनी की यह स्थिति है कि जब दुकानदार चीनी लेने जाता है तो स्थिति यह है कि जब वह चीनी लेने जाता है तो तब पैसे देता है । और जब कार्ड बनाता है तो तब पैसे देता है । इस प्रकार आज आपके सस्ते गल्ले की दुकानों पर और आपके विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है । आप इस पर कन्ट्रोल करने की स्थिति में नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

केवल 2 मिनट का समय और चाहिये । आर0 एफ0 सी0 के जो आपके गोदाम हैं और निगम के जो गोदाम हैं, वहां पर बगैर रिश्वत के दुकानदार चीनी नहीं ले जा सकता है । यह भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है । फलस्वरूप जनता को सस्ते से सस्ते दर पर चीनी नहीं मिल पा रही है ।

अन्त में, माननीय मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि आपकी जो यह दोहरी नीति है, आपका शुरू में जो विवेक रहा है, उसी विवेक के तहत आप अपनी नीति बनाकर उसे लागू करने की व्यवस्था करें । मैं आपका आभारी हूं ।

*श्री रामेश्वर नाथ चौबे--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का मौका दिया । मैं अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध । उत्तर प्रदेश में जो हमारी व्यवस्था बंटवारे की है खाद्य और रसद की, बड़ी मुश्किल थी । यह विभाग उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और प्रदेश के प्रत्येक कोने में सब चीजों को पहुंचाना, इसलिये यह ऐसे मन्त्री की सुपुर्दगी में है जो बड़े योग्य और वरिष्ठ हैं । इन्होंने सबसे पहले कदम यह उठाया कि प्रदेश में एक कमी थी कार्डों की, जिसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे रह जाते थे जिनको राशन, रसद मिलने में काफी दिक्कत होती थी, 1.30 करोड़ कार्ड नये छपवाये जिसमें 1.5 करोड़ बंट चुके हैं और बाकी जल्दी ही मिलने वाले हैं । बाकी के छपने की जल्दी ही व्यवस्था हो रही है । आज परिस्थिति यह हो चुकी है कि 29,805 नई दूकानें खुल गई हैं 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत । जो हमारी 4 हजार दूकानें खुलने वाली थीं, उससे ज्यादा खुल गई हैं, हम लक्ष्य से आगे पहुंच गये हैं । इन दूकानों से जो पहले सामान मिलता था उसमें और चीजें भी जैसे बल्ब, सेल, रेजर के ब्लेड आदि भी रखी गयी हैं । जो नई दूकानें 9,434 खोली गई हैं शहर में हैं और बाकी 20,371 देहातों में हैं । इसमें कुछ सहकारिता को गई है और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी । दोनों सेक्टर में जाने के बाद जो भी दूकानें हैं, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कैंसिल भी हो रही हैं और दूसरे को दे दी जाती हैं । जहां ऐसा नहीं हो पाता है वहां करीब में अटैच कर दी जाती हैं । खाद्य और रसद की समस्या इतनी खूबसूरती के साथ हल हो रही है जो बहुत मुश्किल थी ।

सीमेन्ट की समस्या थी, तो क्वार्टर्स आये हैं, वह तीनों 2 लाख 81 हजार 500 के आये थे और सीमेन्ट की स्थिति पहले से अच्छी है । फ्री होल्ड सीमेन्ट के कुछ कीमत बढ़ी है । उसका कारण यह है कि हमारे यहां कुछ फैक्ट्रियां नहीं हैं और कुछ दिक्कतें हैं । तो सुझाव में देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामेश्वर नाथ चौबे—

एक बात बड़ी जरूरी है कि हमारा चैक-अप का यह तरीका हो, इसको आसान कर दिया जाय ताकि दुकानों की देखभाल अच्छी हो सके। हर एम0 एल0 ए0 जो क्षेत्र से चुनकर आता है, उसे मालूम है कि जब वह क्षेत्र में जाता है तो और सामान नहीं पहुंचता है तो उसे जनता की बातें सुनना पड़ती हैं। सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है। इसको स्वयं चेक करने की बात नहीं है बल्कि ऐसे आदेश कर दिये जायं कि ए0 डी0 एम0 24 घन्टे के अन्दर, शिकायत मिलने पर, उसको चेक कर ले जिससे कि गड़बड़ियां समाप्त हो सकें।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इतने बड़े प्रदेश में खाद्य और रसद की आपूर्ति करना उनका काम है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने बड़े प्रदेश की खाद्य और रसद सप्लाई करने का भार हमारे माननीय विद्वान मन्त्री प्रोफेसर साहब पर सौंपा गया है, लेकिन उन्होंने आज विधान मण्डल के 400 सदस्यों को भूखा मार डाला। इससे बड़े अफसोस की बात क्या होगी ? 400 सदस्यों को खाना नहीं दे सकते हैं तो सारे प्रदेश के लोगों को खाना क्या देंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

कोई बीमार नहीं है, सब स्वस्थ हैं।

श्री मनोहर लाल—

जहां तक दोहरी मूल्य नीति की चर्चा चल रही थी, मैं उसके बारे में विस्तार से न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां पर एक तरफ शक्कर, सीमेन्ट, कपड़े में दोहरी मूल्य नीति है, वहीं दूसरी तरफ दफ्तर में काम करने वाले अधिकारियों के बारे में भी दोहरी नीति है। कानपुर के सप्लाई आफिस में 2 ए0 डी0 एम0 (राशनिंग) काम कर रहे हैं। एक बैठता है आफिस में और एक आरामगाह में। एक का नाम है राम जतन सिंह और दूसरे का नाम है जे0 एन0 मिश्र।

श्री वासुदेव सिंह—

वहां पर केवल एक ए0 डी0 एम0 (राशनिंग) है, जिसका नाम राम जतन सिंह है। अखबार में कुछ छप जाने से माननीय सदस्य को विचलित नहीं होना चाहिये।

श्री मनोहर लाल—

मैं विधायक हूं उन्नाव से और रहता हूं कानपुर में। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। इसको सूचना मान लिया जाय और जांच कर ली जाय। यह जो दोहरी नीति चल रही है, यह घातक है प्रदेश के लिए, दफ्तर में काम करने वाले अधिकारियों के लिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90 प्रतिशत राशन की दुकानें कांग्रेस (आई0) के कार्यकर्ताओं के पास हैं। राशन की दुकानें कांग्रेस (आई0) के कार्यकर्त्ताओं के पास हैं जिसके कारण चुनाव के टाईम पर ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन बिडम्बना यह है कि विधान सभा में आने के बाद, यहां आ जाने के बाद विधायकगण अपने क्षेत्र की बात भूल जाते हैं, गरीबों से किए वायदे भूल जाते हैं। अधिष्ठाता महोदय आप चाहें तो इसकी जांच करवा लें। यदि मेरे कथन में जरा भी असत्यता हो तो जो शर्त आप रखें मैं मानने के लिए तैयार हूं।

(इस समय 4 बजकर 16 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पुनः पीठासीन हुए)

अभी मंत्री जी ने डालडा घी के बारे में कहा। डालडा घी नं0 1 कानपुर में गणेश फ्लोर मिल में बनता है। कितने एम0 एल0 ए0 और एम0 पी0 हैं जिनको केन्द्रीय सरकार ने कोटा दिया

हुआ है । तो फिर ब्लैक कहां से नहीं होगा ? जब एम0 एल0 ए0 और एम0 पी0 और मिनिस्टर के नाम पर कोटा है तो फिर डालडा घी इस भाव में नहीं मिलेगा ?

(सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान)

मैं नाम बतला सकता हूं, मिनिस्टर का नाम बतला दूं कि जिनके नाम कोटा है आपके बगल में मोहम्मद उमर साहेब बैठे हुए हैं, वह अपने दिल पर हाथ रख कर कह दें कि मेरी बात सच नहीं है । रही डालडा घी की मंहगाई की बात मिनिस्टर, एम0 पी0, एम0 एल0ए0 सब कांग्रेस (आई0) के लोग बढ़ाये हुये हैं । मैं कहता हूं कि आप चाहें तो इसकी जांच करवा लें । आपमें हिम्मत है तो इसे स्वीकार करिये ।

अभी प्रोफेसर साहब ने कहा और उद्योग मंत्री जी ने भी कहा कि 10 बोरी सीमेन्ट किसानों को मिलती है । मैं कहता हूं कि आप इस बात की जांच करा लें, मैं उन्नाव जनपद की बात कह रहा हूं कि वहां किसानों को गत 6 महीने में 10 या 5 बोरी भी सीमेन्ट उपलब्ध नहीं हुई है । आपने यहां घोषणा कर दी कि हम किसानों को 10 बोरी सीमेन्ट की देते हैं । खाली विधान सभा में घोषणा कर देने से कुछ नहीं होता है । हमको अच्छी तरह से मालूम है अधिष्ठाता महोदय, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप भी उन्नाव जनपद से आते हैं । ये अधिष्ठाता महोदय फतेहपुर जनपद के हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सीमेन्ट के मामले में, डालडा घी के मामले मे, शक्कर के मामले में आप सहकारी समितियों के माध्यम से शक्कर का वितरण करवाते हैं । सहकारी समितियों का प्रशासक किस तरह से परेशान करता है यह आपको नहीं मालूम है । सहकारी समितियों के प्रशासक कांग्रेस (आई0) के ही लोग हैं वह कभी नहीं चाहते हैं कि सस्ते दामों पर शक्कर उपलब्ध हो, ब्लैक स्तर पर चीनी बेचने को प्रोत्साहन देते हैं । सहकारी समितियों के माध्यम से, सोसाइटीज के माध्यम से सारी की सारी शक्कर बाजार में बिक जाती है । आपने आज सुबह ही कहा था खाद्य मंत्री जी कि आप 100 के0 जी0 लड़कियों की शादी में और 50 के0जी0 लड़कों की शादी में शक्कर देते हैं । मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं कि आप डी0 एस0 ओ0 से पता कर लीजिये कि उन्नाव में कहीं भी शादी 5 या 10 के0 जी0 से ज्यादा शक्कर किसी को मिली हो । इसकी आप चाहें तो सी0 आई0 डी0 से जांच करा लें ।

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक कोयला की बात है, इतना बड़ा स्कैन्डल कानपुर में पकड़ा गया लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया ? ईंटों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि कोयले की चोर बाजारी हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप जल्दी से समाप्त करें ।

श्री मनोहर लाल—

अभी मुझे दो ही मिनट तो हुए हैं । जब आप आये हैं तभी मैंने बोलना शुरु किया था । माननीय मंत्री जी बतायें कि ईंटों के दाम आखिर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं । इसका कारण है कि डी0 एस0 ओ0 कोयले के रैक्स ब्लैक में दे रहा है । इस पर आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं । क्रय केन्द्रों में ट्रान्सपोर्टेशन का काम कौन करता है, आपसे कांग्रेस के लोग करते हैं, जिनके पास एक भी ट्रक नहीं है । भाड़े से ज्यादा पैसा देते हैं, एक भी ट्रक नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने ठेका दे दिया है । यह कौन करता है, जो चुनाव में अनाप-शनाप पैसा देते हैं, वह करते हैं । आप लोगों को मालूम होगा । मन्त्री, जिनका सम्बन्ध देहात से है, उनको मालूम है खाद्य मंत्री जी सक्षम व्यक्ति हैं, ईंट का दाम कर दें, यही बहुत ज्यादा है ।

मान्यवर, आटा सप्लाई किया जाता । आपके भंडारों में गेहूं को भिगो

दिया जाता है और वही दिया जाता है, आपके अधिकारी मिल कर सप्लाई करते हैं। इसमें लाखों रुपये का भ्रष्टाचार है। आप इसको देखें और समझें। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूं।

श्री राम नाथ मुन्शी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य तथा रसद विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर चर्चा हो रही है, मान्यवर, अन्न ही जीवन है, यह सारा संसार जानता है। मैं सर्वप्रथम इस खाद्य और रसद के लिए प्रदेश के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने परिश्रम से इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है और हमारी सहायता की है। मान्यवर, हमारी जो लोक प्रिय सरकार है, जो कांग्रेसी सरकार है, उसमें अनेक खाद्यान्न का इतना भंडार भरा है तथा उपयोगी वस्तुओं के भंडार होते हुए, उत्पादन सामग्री के आवंटन और वितरण करने का जो बेड़ा हमारी सरकार ने लिया है और उसका सुव्यवस्थित ढंग से वितरण कर रही है, उसको जनोपयोगी बना रही है, इसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, मुझे याद है कि यह वही देश व प्रदेश है जहां पर विदेशों से खाद्यान्न समस्या हल की जाती थी। हमें सन् 1965 का जमाना याद है, जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री थे, वह पी0एल0 480 द्वारा भारत के अपमान को बरदास्त नहीं कर सके और उन्होंने घोषणा की कि हम एक वक्त नहीं खायेंगे, लेकिन विदेशों से खाद्यान्न नहीं आयात करेंगे। इसी का प्रभाव दूसरी प्रधान मंत्री, देश माता स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी पर भी पड़ा और उन्होंने आवाहन किया कि खाद्यान्न के आयात को समाप्त किया जायेगा और 1969 में बैंकों का राष्ट्रीय-करण तथा 72 में सीलिंग ऐक्ट लागू कर दिया। आप को 1977 का वह दिन याद होगा, रिकार्ड में लिखा हुआ है कि एक करोड़ 80 लाख टन गेहूं, 90 लाख टन चावल, 48 लाख टन चीनी स्टाक में थी। मान्यवर, मुझे यह बात कहनी इसलिए आवश्यक हो गयी, कि हमारे एक विरोधी पक्ष के साथी ने कहा कि 1977 से 1980 तक का जो जनता पार्टी का शासन था वह स्वर्णिम था। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सन् 1980 में 30 महीने के बाद जब जनता शासन हटा, तो फिर कांग्रेसी सरकार को अमेरिका से 90 लाख टन अनाज का आयात करना पड़ा, विदेशों से अन्य खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। तो इनकी खाद्यान्न की व्यवस्था कहां चली गयी थी।

मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आंकड़े बोल रहे हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि 1980 के बाद आज तक वह गति इतनी तेज होती गयी कि उसको उन्हें सम्भालना पड़ा। और विदेशों से खाद्य सामग्री न मंगाने की फिर प्रतिज्ञा करनी पड़ी। इसके लिए हम इस देश के किसानों को धन्यवाद देते हैं, खाद्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से खाद्य सामग्री का वितरण, जीवनोपयोगी वस्तुओं का वितरण निर्विवाद रूप से जनता के हाथ में करने का प्राविधान किया मार्केटिंग के जरिये से, सहकारिता के माध्यम से और प्राइवेट दुकानों के माध्यम से हर व्यवस्था आपने की। गेहूं, चावल, तेल, मिट्टी का तेल, सीमेन्ट पाम आयल और अन्य आवश्यक वस्तुयें। यहां तक कि नहाने का साबुन तक की भी व्यवस्था है 26 सामान मार्केटिंग सहकारी सोसाइटियों में जनता को मिलती है।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जिस खाद्य मंत्री के ऊपर 12 करोड़ जनता का भार है, जिसकी व्यवस्था

करने की जिम्मेदारी हमारे कर्मचारियों के ऊपर भी है, जनता के ऊपर भी है वहीं हमारा सहयोग भी होना चाहिए । हमारे विधायक यदि नेक-नियति से सही हैं और पक्षपाती नहीं हैं तो निश्चय ही यह वितरण व्यवस्था सही-सही आपके सामने आ सकती है । यदि अधिकारी और कर्मचारी गलत हैं, दुकानदार गलत हैं, सहकारिता के कर्मचारी गलत हैं, हम पक्षपात न करें, हम रास्ता न दें तो कत्तई, मुझे विश्वास है कि उनकी गलती 24 घंटे में सामने आ सकती है और हम उसे ठीक कर सकते हैं । मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे आज के इस बजट का दिल से स्वीकार कर लें ताकि यह सुव्यवस्थित ढंग से चलने वाली खाद्य व्यवस्था अग्रसर हो सके । माननीय सदस्यगण क्षमा करेंगे मैं वह बातें स्पष्ट कर रहा हूं जिन्हें आप समझिये, सोचिये और उस पर अमल कीजिये जिससे प्रदेश की जनता को सुख मिले, शांति मिले । विवाद से समस्या हल नहीं होती । क्षमा चाहता हूं । जयहिन्द, जय भारत ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है उस पर माननीय राणा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, समय कम है और आप लाल बत्ती जला देंगे इसलिये थोड़े शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूं । हमारे माननीय खाद्य मंत्री जो समाजवादी मंत्री रहे हैं और उनके बारे में कुछ लोगों ने कह दिया है । श्रीमन्, सबसे अच्छी बात यह होती कि 3/7 के अन्तर्गत जो सामग्री लोकपति जी के पास है वह भी आप अपने अन्तर्गत ले लें तो ज्यादा अच्छा होता । लेकिन यह उनके वश के बाहर की बात है । हमारे खाद्य विभाग की संरचना इसलिये की गई है कि सार्वजनिक जीवन की जो आवश्यक वस्तुयें हैं उनका अभाव न हो । यदि अभाव होता है तो इस विधि के जरिये उसकी पूर्ति करें ।

आज स्थिति यह है कि सार्वजनिक जीवन में लोगों को जो आवश्यक वस्तुओं की जरूरत है वह उन तक नहीं पहुंच पा रही है । कपड़ा है, जो चीनी है, सीमेन्ट है, खाद है और जिन्दगी की जो अन्य वस्तुयें हैं वह ग्रामीणों को मिलनी आवश्यक हैं जो कि उनके संकट के समय पर मिलती नहीं हैं । ज्यादातर शादी विवाह के अवसर पर देखा जाता है कि जब गांव की जनता को चीनी या आवश्यक वस्तु कपड़े आदि की जरूरत होती है तो उस समय यह खाद्य विभाग सोता रहता है और गांव की जनता लुटती रहती है । सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रहती है अभी चार-छः दिन पहले की घटना का मैंने जिक्र किया था । कानपुर में सप्लाई अधिकारी ने विगत 2 वर्षों में करोड़ों रुपये की सीमेन्ट का घोटाला किया है । माननीय खाद्य मंत्री और खाद्य राज्य मंत्री दोनों इस बात को भली प्रकार जानते हैं । जो पूर्ति अधिकारी एस0 के0 सिंह हैं उनको बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है । उनका स्थानान्तरण पहले गोंडा किया और उसके बाद फिर बनारस कर दिया गया है । आज तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया । उनकी लूट को बचाने के लिए मामले में लीपापोती की जा रही है । खाद्य मंत्री जी ने कहा कि इसकी जांच कमिश्नर को दे दी है तो इस तरह से मामले को टाला जा रहा है ।

मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं । हमारे यहां एक विष्णु स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री है जो कोयले से चलती है बताया गया है । इसका हमारे पास जवाब आया है इस फैक्ट्री को 16 फरवरी, 1985 से 22 फरवरी, 1985 तक 18 वैगन कोयला मिला है जो अयोध्या स्टेशन पर आया और वहीं से ब्लैक हो गया । कमिश्नर ने इसकी जांच की जांच में कह दिया गया कि भौतिक सत्यापन में कोयला सही पाया गया । जिसने इस मामले की शिकायत की थी उसको नहीं बुलाया गया और न वहां के सप्लाई इंस्पेक्टर को बुलाया गया बल्कि दूसरी जगह के इंस्पेक्टर को बुलाया गया और

25 हजार रुपया लेकर उस उद्योगपति को बचा लिया गया। रिपोर्ट लिखने के बाद भी जिसकी एफ0 आई0 आर0 हुई है उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई। इनके विभाग में कोयले के मामले में क्या हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिमाह 150 रैंक कोयला मिलना चाहिये। 1984 के चार महीनों में 6 सौ रैंक में से केवल 52 रैंक मिली हैं। इसी तरह 85 के चार महीनों 6 सौ में से केवल 13 रैंक मिली हैं। बाकी सब कोयला ब्लैक में चला गया। एजेंट को लाइसेंस देने में प्रतिवर्ष 5 हजार से 10 हजार रुपया कोयले के एजेंट्स से लेते हैं। दूसरे साल उनके लाइसेन्सों का नवीनीकरण नहीं करते हैं बल्कि निरस्त करके नये सिरे से लाइसेन्स दुबारा जारी करते हैं। कोई एजेंट कोई कोयला लाता नहीं है स्पर्रासंग को वह ब्लैक में बेंच देता है।

जिले में जितने भट्ठे नहीं है उससे दुगने लाइसेन्स कोयले के हर जिले में बांटे होते हैं। कोयले के बारे में जो जी0 ओ0 है उनका बरबर उल्लंघन करते चले जा रहे हैं। अभी बुलन्दशहर में जिला अधिकारी ने जितनी फैक्ट्रीज हैं उनका अतिरिक्त कोयला अधिग्रहीत करके भट्टे वालों को दे दिया उसमें सारे उद्योगपति जो कोयला से फैक्ट्री चलाने वाले हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले गये हैं। कोयले की इस गड़बड़ी के कारण ईंटों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका असर यह हुआ कि जो 5 सौ रु0 टन था वह 12 सौ रु0 टन हो गया है तो ईंटों के दाम अवश्य बढ़ेंगे। कोयले के एजेंट बनाने के कुछ मानक तय हैं लेकिन यह एजेंट बनाते चले चले जाते हैं क्योंकि उसमें अगर 50 एजेंट जिले में बना दिये तो पांच लाख रुपया पूर्ति अधिकारी का कमीशन बन जाता है। पांच रु0 से 10 रु0 प्रति टन कमीशन डी0 ओ0 पास करने में चलता है। कोयला और सीमेंट के मामले में करोड़ों रुपये का घोटाला खाद्य निगम में हो रहा है। जब हम आलोचना करते हैं तो वह हमारे सामने आदर्श झाड़ते हैं क्योंकि जब उधर बैठ जाते हैं तो इनके चश्मे बदल जाते हैं। इन शब्दों के साथ में माननीय राणा जी के कटौती प्रस्तावों पर बल देता हूं।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं अपने आपको केवल सुझावों तक सीमित रखूंगा और केवल दो बातें कहूंगा। हमारे प्रोफेसर साहब चले जा रहे हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, हमारे मंत्री जो समाजवादी हैं मेरा पहला उनसे सुझाव है कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप डा0 राम मनोहर लोहिया की पाठशाला में दिया जलाने वाले समाजवादी मंत्री हैं तो उनके सिद्धान्तों को भी याद कर लें। उनका दामों के सम्बन्ध में एक सिद्धान्त था कि चीजों के दाम बांधों। तो उसके अनुसार जो उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन होता है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप उद्योग और उपभोक्ता के बीच दाम बांध दें। अगर आप उस दाम बांधो नीति के अनुसार चलेंगे तो प्रदेश की जनता को लूट से बचा सकते हैं।

मान्यवर, मंत्री जी का जो यह विभाग है आप इसको विभागीय स्वरूप प्रदान करें क्योंकि क्रय करने वाला दूसरा है और वितरण करने वाला दूसरा है, इनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं है, इसलिये दोनों के बीच एक स्वरूप कायम करें और विभागीय स्वरूप दें। जब तक यह नहीं करते हैं तब तक मंत्री जी एक काम करें कि सहकारिता को आप निकाल दें। मैं जानना चाहता हूं कि आपका विभाग अलग और सहकारिता विभाग अलग, तो कहीं बच्चा पाठक जैसा मंत्री आ गया तो आपको भागना पड़ेगा। इसलिए सहकारिता विभाग का सुपरवाइजर या सचिव जो चीनी नहीं बेंचते हैं बल्कि ब्लैक में बेंचते हैं, तो इस पर आपका क्या नियंत्रण है। जब आपका इन पर नियंत्रण नहीं है तो कम से कम इन दो विभागों के बीच में इसको न बांटें।

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने विभाग को बेंच दिया है, आई0 ए0 एस0

अधिकारियों के हाथों में क्योंकि ए० डी० एम० (सिविल सप्लाई) और जिला पूर्ति अधिकारी रखे हैं वह समानान्तरण वेतन पर रखे हैं और ए० डी० एम० उनको डोल कर रहा है, तो वह यहां से बीच में आ गये । इसलिये इनको निकाल कर बाहर करें और विभागीय स्वरूप प्रदान करें ।

मान्यवर, अब मैं कार्डों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि गांवों में तय किया कि चीनी का कोटा 80 प्रतिशत उठता है और गांवों में चीनी सहकारी समितियों या प्राइवेट विक्रेताओं को देंगे और वह यूनिट दो हजार होंगी तो चीनी भेजते हैं 1,500 यूनिटों की इसलिए सभी को चीनी कहां से बांटेंगे चूंकि आपने तय किया है कि 80 प्रतिशत गांव में उपभोक्ता चीनी लेना चाहते हैं उसके अनुसार आप चीनी देते हैं जिससे विक्रेताओं को बेईमानी करने का अवसर मिलता है । इसलिए मेरी मांग है कि जितनी यूनिटें गांव में हैं उसके अनुसार चीनी दी जाये जिससे सभी को चीनी मिल सके ।

मान्यवर, सभी गांव सभाओं में आप अभी तक कार्ड नहीं बनवा सके हैं और जहां कार्ड नहीं है वहां झगड़ा है कि क्षेत्रीय मंत्री जाते हैं तो कहते हैं कि पीले कार्ड होंगे और कोई कहता है कि हरे कार्ड बनेंगे, इसलिए कार्ड नहीं बनते हैं । इसलिए मेरी मांग है कि कार्डों का रिन्यूनल कराये और कार्डों का सही-सही वितरण करायें ।

मान्यवर, आपके विभाग द्वारा मिलावट में नियंत्रण करना है । कानपुर के अखबारों में छपा है कि चाय के अन्दर चमड़े का बुरादा मिलाकर बेंची जा रही है, तो इससे जघन्य कार्य क्या हो सकता है, घी में चर्बी, मसालों में लीद और मिर्च में ईंट मिलाकर बेंची जा रही है । यह जबरदस्त धंधा चल रहा है । इसी प्रकार खाद, बीज और गेहूं में मिलावट है, तो मंत्री जी इस मिलावट के धंधे को आप रोकें । तीसरी बात सुझाव के रूप में यह कहना चाहता हूं, जो मैंने पूर्व में भी कही थी कि दुकानों का विस्तार आप ज्यादा से ज्यादा करें । क्योंकि जितना कम क्षेत्रफल दुकानें ग्रहण करेंगी, उनकी कैपिसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, कार्य उतना ही ज्यादा अच्छा होगा । इसको आप कराइये । भ्रष्टाचार के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आप ईमानदार हैं, कार्यशील और सक्षम हैं, इस बात में कोई सन्देह नहीं है । साथ ही आपके सेक्रेटरी भी ईमानदार हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में खेलने की आपकी पुरानी आदत है । आपके खाद्य सचिव श्री मुखर्जी भी बड़े ईमानदार. .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करिये, काफी हो गया है । आप घड़ी की तरफ ध्यान दें ।

श्री विजय सिंह राणा—

आप ईमानदार हैं और आपके सेक्रेटरी ईमानदार हैं फिर भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न हो पाये, इससे ज्यादा शर्म और आश्चर्य की क्या बात हो सकती है ? कोयले का लाइसेंस देने में वाराणसी में व्यापक पैमाने पर धांधलेबाजी और भ्रष्टाचार किया गया है और आपके सेक्रेटरी ने खुद उस मामले में कार्यवाही करनी चाही है । लेकिन अब तक सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही उस मामले में नहीं की गई है आप भ्रष्टाचार के मामलों में बिना किसी व्यामोह में फंसे सख्त से सख्त कार्यवाही करें । इसके साथ ही मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

श्री वासुदेव सिंह—

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने बहुमूल्य सुझाव मेरे विभाग के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये इधर से भी और उधर से भी । राणा साहब तो हमारे बड़े मित्र हैं, लेकिन जब बोतल सबेरे से उनके सामने है तो उसका कोई असर उन पर पड़ेगा ही । आज वह

सबेरे से ही कुंठाग्रस्त दिखाई पड़े, काफी उत्तेजित और उग्र रहे और यह उनके क्रोधजनित रोष का एक परिणाम है जो उनके भाषण में देखने को मिला। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव दिये, उनको मैं अपने लिए उपयोगी मानता हूं। मुझे बहुत दिनों से इस सदन में बैठने का अवसर मिला है, लेकिन मैंने पाया कि चर्चा बहुत निम्न स्तर की रही है बल्कि इधर से तो तैयारी रही। तो मैं विरोधी दल के नेता से कहूंगा कि अगर पढ़कर बोल गया होता तो बहुत सी बातें न उठतीं और साफ भी हो जातीं। जैसे कार्ड के बारे में कहा गया है। मैं बताना चाहता हूं कि कार्ड छप गये हैं, यह जिलाधिकारियों को भेज दिये गये हैं, जिलाधिकारियों का कार्ड मिल गये हैं किस कदर बंट गये हैं, कितने कदर नहीं बंट गये हैं यह नहीं कह सकता, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हर उपभोक्ता को कार्ड मिल जाये। यह कार्यवाही हो चुकी है, मैं राणा साहब को अश्वस्त करूंगा। मुझे खुशी है कि उसका जिक्र सुझाव के रूप में राणा साहब ने किया है...

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

सब कागज पर है।

श्री वासुदेव सिंह--

यह कागज विभाग नहीं है, यह ठोस विभाग है, यह गेहूं, चावल और चीनी का विभाग है।

रघुवर दयाल जी इस समय नहीं हैं, उन्होंने सीमेन्ट के बारे में कहा है। उसके बारे में मैं कहूंगा कि पहले कुछ कठिनाई थी, क्योंकि कम्पनियों को लान लेवी से मुनाफा होता था, इसलिए वह लेवी को सीमेन्ट नहीं उठाते थे। मैंने इसके लिए भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। ए0 सी0 सी0 और सतना फैक्ट्रियों को अब लेवी सीमेन्ट देनी पड़ रही है और आज की स्थिति के अनुसार लेवी सीमेन्ट की बहुतायत है। 10 बोरा तो कोई भी ले सकता है। जो सीमेन्ट की स्थिति है वह सन्तोषजनक है। अब आपसे निवेदन करूंगा कि सीमेन्ट के बारे में जो बातें कही गई हैं और जो हमारे ध्यान में लायी जायेंगी, उन पर मैं सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा। लेकिन बहुत सी बातें अतिरंजित हैं।

जो कानपुर का मामला है तो उसके बारे में जांच हुई, (प्रकोष्ठ) की जांच हुई और उसके बाद जब माननीय सदस्यों ने कहा तो मैंने कमिश्नर को जांच दे दी और यह कह दिया कि जिस तारीख को मैंने आदेश दिया है उस तारीख तक सीमेन्ट के धपले की जांच की जाय। यह भी कहा है कि यथासंभव एक महीने के अन्दर आप रिपोर्ट दें ताकि विधान सभा को अवगत करा सकें। हो सकता है कि इसमें कुछ देर हो क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। जो यह चीनी का मामला है तो लेवी चीनी और नान-लेवी चीनी दोनों काफी मात्रा में है। लेकिन इसके अलावा भारत सरकार ने हमको आयातित चीनी भी दी है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

श्री सुखपाल पांडे कह रहे हैं अंतुले का भाव, तो यह क्या चीज है।

श्री वासुदेव सिंह--

वह माननीय सुखपाल पांडे जी अच्छी तरह से जानते हैं। संसदीय प्रथा और प्रणाली को अच्छी तरह से जानते हैं। उनको कहना होगा तो सीधे मुझसे जानकारी प्राप्त कर लेंगे आपके माध्यम की खोज नहीं करेंगे। अब नान चीनी के बारे में जो है, उच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया है, अधिनियम लागू नहीं होता है। अधिनियम में कोई परिवर्तन करें तो बात दूसरी है। जहां पर यह बात उठायी गई कि नियमावलियां हिन्दी में नहीं हैं। तो मैं सेवा विभाग में बनी हुई सेवा नियमावलियों के बारे में बता रहा हूं। उ0 प्र0 खाद्य तथा रसद (आपूर्ति शाखा) सेवा नियमावली, 1981, उ0 प्र0 खाद्य तथा

रसद (विपणन शाखा) सेवा नियमावली, 1981, उ0 प्र0 खाद्य तथा रसद (बांट तथा माप शाखा) सेवा नियमावली, 1981, उ0 प्र0 खाद्य तथा रसद (संपूर्ति शाखा) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1979, उ0 प्र0 खाद्य तथा रसद (संपूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980, उ0 प्र0 खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980, उ0 प्र0 खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1979, उ0 प्र0 खाद्य तथा रसद (बांट तथा माप लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1980 तो यह सब नियमावलियां हिन्दी में हैं। यह हमारे पास हैं माननीय सदस्य अगर कहेंगे तो कापी दे भी सकता हूं।

कोयले के बारे में स्थिति अभी पूछी गयी है। तो यह बात सही है कि जो कोयला रेल से आता है वह सस्ता पड़ता है। और जो जो रोड से आता है वह महंगा पड़ता है। लेकिन जिस व्यवस्था में आप काम कर रहे हैं उसमें हेराफेरा भी होती है। कोयला रेल से आता है कह देते हैं कि रोड से लाये हैं। तो यह बात हमारे संज्ञान में है।

श्री सुखपाल पांडे--

आप बहुत सी बातें कहना चाहते हैं लोग लेकिन कहने नहीं देते।

श्री वासुदेव सिंह--

आपको सहयोग रहेगा तो सब चुप रहेंगे। माननीय सुखपाल पांडे जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। हमारी पार्टी में मेरे सहयोगी रहे हैं। मुझे याद है कि मेरी वजह से, मैं वहां बैठता था, तो उनको बहुत दुःख झेलना पड़ा। मैनेजर सिंह जानते हैं, उन्होंने आधे घंटे कोशिश किया लेकिन मैंने व्यवस्था की बात सुनी नहीं। तो यह हमारे पुराने साथी हैं। तो रेल से जो कोयला आता है उससे सुविधा होती है लेकिन रैक नहीं मिलते हैं। हम रैक के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वह उपलब्ध नहीं होते हैं तो मजबूरन सड़क से लाने की इजाजत देनी पड़ती है। तो जितना आप कहिये बता दूं कि कितना रेल से आया और कितना रोड से आया, लेकिन इतना समय नहीं है। कोयले का दाम इलाहाबाद में 51.20 प्रति कुंटल है, आगरा में 59.70 प्रति कुंटल है, वाराणसी में 50.12 प्रति कुंटल है तथा लखनऊ में 57.70 प्रति कुंटल है। इसमें इसीलिए फर्क हो जाता है कि रोड से आया कि रेल से आया। जो माननीय सदस्यों ने राय दी है, शासन उस पर विचार करेगा। माननीय सदस्यों ने जो और कुछ बातें कहीं, उनके बारे में मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि गुप्त जी ने बहुत सी बातें कहीं, वह उपस्थित हैं नहीं।

यहां एक बात और कही गयी कि जनप्रतिनिधियों को इसमें सम्मिलित किया जाय। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, उनकी सलाह और उनकी अनुमति से अगर आप तैयार हैं सहयोग देने के लिए. तो मैं आपको अधिकार देने के लिए सोच रहा हूं। लेकिन एक बार जब यह सवाल उठा था, तो आजमगढ़ के सभी सदस्य आये, उन्होंने मुझसे कहा। तब मैंने कहा कि मैं आपको अधिकार देने के लिए तैयार हूं। परन्तु बाद में उन्होंने कहा कि आपस में झगड़ा हो जायेगा। अगर आप स्वस्थ अवस्था में, वितरण व्यवस्था में हाथ बटाने का काम करेंगे, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये और मैं राणा साहब से कहूंगा कि आप कृपा करके यह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राणा जी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री विजय सिंह राणा--

जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,11,33,96,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज दिनांक 25-7-1985 के उपवेशन में नियम 51 के अन्तर्गत 12 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से श्री शफीकुर्रहमान बर्क की सूचना जो पुलिस द्वारा मुरादाबाद में तीन लोगों की हत्या के सम्बन्ध में है, स्वीकार की गयी, शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई ।

नरैनी, बांदा के किसान परिवारों की लाक बिजली के तारों से जलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

*राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)—

जिलाधिकारी, बांदा से प्राप्त सूचनानुसार ग्राम गुढ़ा के मजरा शंकरपुर में अग्निकांड नहीं हुआ बल्कि सुन्दरलाल पाण्डे के पुरवा में दिनांक 13-4-1985 को बिजली का तार टूट जाने के कारण खेत पर रखी फसल में आग लग गयी थी जिसमें फसल जलकर नष्ट हो गयी और उससे 83 व्यक्ति प्रभावित हुये ।

2—अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को अहैतुक सहायता मद से 250 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से कुल 20,750 रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त 8 व्यक्तियों को 1600 रुपये की आपदा तकाबी उनकी हैसियत एवं मांग के अनुरूप प्रदान की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त, यदि कोई अग्निपीड़ित व्यक्ति आपदा तकाबी चाहेगा, तो उसे भी उसकी हैसियत के अनुसार दी जा सकती है, यह बात अग्निकांड पीड़ितों को बताई जा चुकी है । मांग किये जाने पर बीज व खाद्य की सहायता यथा सम्भव उपलब्ध करा दी जायेगी । प्रभावित व्यक्तियों के सभी देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है ।

3—तहसील नरैनी में दिनांक 19-7-1985 तक 152 मिलीमीटर वर्षा हो जाने से पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध है । चारे की कमी से पशु भूखों नहीं मर रहे हैं । चारे की कोई समस्या अब नहीं रही है ।

4—प्रभावित व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति बेचता हुआ दृष्टिगत नहीं हुआ । सभी अपने-अपने खेतों का कार्य देख रहे हैं । रोजगार हेतु अन्यत्र पलायन कर जाने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया है कि बिजली के तार टूट जाने से 83 परिवारों की लाक जल गई और यह भी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि प्रति व्यक्ति 250 रुपया इन्होंने अहैतुक अनुदान दिया, तो मान्यवर, भीषण फसली आ गई वह 6 महीने बाद जाएगी । मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि 6 माह बाद दूसरी फसल आएगी और 250 रुपये से अगले का काम नहीं चल सकता है, तो क्या माननीय मन्त्री जी 1,000 रुपया प्रति परिवार को अनुदान देंगे ? क्योंकि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लाक बिजली के तारों के जलने की जिम्मेदारी बिजली विभाग की है तो क्या बिजली विभाग की जिम्मेदारी ठहराते हुए इन 83 परिवारों को मुआवजा दिलायेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं इस विषय में जो 250 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से अहेतुक सहायता दी गयी है उसे कम्पेंशेसन से कन्फ्यूज न करे। यह तो इस बात के लिए व्यवस्था की जाती है कि किसी व्यक्ति को तुरन्त सहायता दी जा सके और वह अपनी समस्या का निदान कर सके। दूसरी बात कही बिजली विभाग की तो वह अलग विषय है।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 83 परिवार जिस अग्निकांड से प्रभावित हुए और उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई। तो यह कितने लागत की फसल नष्ट हो गई ?

श्री गौरीशंकर--

इस तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कितने की सम्पत्ति थी। हमारा विभाग इस बात को देखता है कि दैवी आपदा की हालत में हम क्या मदद कर सकते हैं।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, शासन की तरफ से यह बात आई है कि 83 परिवारों के घर जल गये उस अग्निकांड में तो इसमें कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई और उस सम्पत्ति के नष्ट हो जाने के हिसाब से कितना-कितना मुआवजा दिया जाएगा, ताकि उनको कुछ पूर्ति हो सके ?

श्री गौरीशंकर--

यह कम्पेन्सेएशन का मामला नहीं है। यह तो अहेतुक सहायता है।

श्री औसान सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि 83 परिवारों का नुकसान हुआ है और यह भी स्वीकार किया है कि 250 रुपये प्रति व्यक्ति सहायता दी गई है और माननीय मन्त्री जी यह भी जानते हैं कि आज के जमाने में 250 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं इसमें छप्पर भी नहीं पड़ सकता है। मैं जानना चाहूंगा क्या माननीय मन्त्री जी अपने विशेष विवेकानुदान से विशेष सहायता देने का कष्ट करेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, कोई दैवी आपदा आने पर अहेतुक सहायता देने का प्राविधान है उसके अनुसार कार्यवाही की गई है। यहां यह प्रश्न नहीं है कि कितनी क्षति हुई है। अहेतुक सहायता जितनी ज्यादा दी जा सकती है वह हमने दे दी है। ऐसे में श्रीमन्, सम्पत्ति के हिसाब से राशि नहीं दी जा सकती है। मान्यवर, हम भी नियमों से बंधे हुए हैं आप भी नियमों से बंधे हुए हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, आप उत्तर को देखने की कृपा करें नियमों में व्यवस्था है। हम माननीय सदस्य नियम 51 में सूचना देते हैं। इस पर वक्तव्य की मांग करते हैं। आप वक्तव्य को देख लें।

इसमें आग लगी है बिजली के तार से इसलिये बिजली विभाग को पैसा देना चाहिये। अहेतुक सहायता राजस्व विभाग ने दे दिया। मेरी प्रार्थना है कि इसको स्थगित कर दें और निर्देशित करें कि बिजली विभाग इस वक्तव्य को दें। भारत के संविधान के अनुसार आप कह सकते हैं, ज्वाइन्ट जिम्मेदारी है। लेकिन इससे मान्यवर, हमारा प्रश्न उलट जाता है। यह वक्तव्य बिजली विभाग को देना चाहिये। बिजली विभाग, यदि कोई आदमी मरता है, तो 6 हजार, जानवर मरता है तो 5 हजार

या जो नुकसान होता है, उसका हरजाना देता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको स्थगित कर दें और निर्देशित करें कि बिजली मंत्री यह वक्तव्य दें ।

श्री अधिष्ठाता--

नियम 51 में वक्तव्य आना था, पुनर्वासन की बात है, वक्तव्य आ गया, बिजली विभाग द्वारा कम्पनसेशन देना अलग बात है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मन्त्री जी के पास आंकड़े होंगे । हजारों गांव आगजनी से जल कर राख हो जाते हैं । ढाई सौ में एक छप्पर तक नहीं पड़ सकती है । अहेतुक सहायता के कानून में परिवर्तन करने पर आप विचार करें । यह उस जमाने का है, जब कंवा को 5 पैसा खाने के लिये दिया जाता था । भविष्य में कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि अहेतुक सहायता 2 हजार, 5 हजार हो जाय ।

श्री गौरी शंकर--

अभी इस तरह की कोई चीज शासन के विचाराधीन नहीं है । नियमों में जो प्राविधान है उसके अनुसार सहायता दी गई । जो माननीय सदस्यों की भावना है, जब समय आयेगा तो उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

माननीय मन्त्री जी इस सारी घटना को दैवीय आपदा के रूप में ले रहे हैं । यह बिजली विभाग की दुर्घटना का मामला है । जहां ऐसे मामले हुये हैं, अहेतुक सहा[illegible] तुरन्त दी गई है, इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति भी की है । क्या बिजली विभाग से इसकी क्षतिपूर्ति करायेंगे ? एक बात मंत्री जी यह बता दें कि अहेतुक सहायता कम से कम कितनी है और ज्यादा से ज्यादा कितनी है । पूरा खलिहान जलने पर कितनी सहायता देंगे ?

श्री गौरी शंकर--

नियम 51 के अन्तर्गत जिस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया था, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान उधर आकृष्ट करना चाहूंगा । माननीय सदस्य ने स्वयं अपनी सूचना में लिखा है-आग लग जाने से पूरे 83 किसान परिवार की लाख जल कर राख हो गई है, जिससे 83 किसान परिवार दोनों-दानों के मोहताज होकर कुछ तो पेट भरने के लिये अपनी जायदाद बेंच रहे हैं तथा कुछ दूसरे प्रान्तों में नौकरी के लिये पलायन कर गये । भूसा चारा न होने से इनके मवेशी दम तोड़ रहे हैं, सहायता के नाम पर जिला प्रशासन द्वारा शायद कुछ भी इन्हें नहीं मिला है । चूंकि यह संदर्भ था इसलिये मैंने यह सूचना दी है ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

माननीय मंत्री जी क्या बतायेंगे कि जो 250 रु० सहायता के रूप में दी गई वह चूंकि 6 महीने के लिए पर्याप्त नहीं है । अगली फसल 6 महीने बाद आयेगी तो क्या इस बीच उनके परिवार के लिये, उनके खाने के लिये कोई व्यवस्था कर रहे हैं ? जो भूखे मर रहे हैं उनके घर जल गये हैं पूरे के पूरे आपने अभी स्वीकार किया है । इस बीच में आप उनके खाने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं । उनको राहत पहुंचाने के लिये क्या कदम उठायेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि समाज सेवी संस्थाओं को आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका जवाब आ गया ।

जिला परिषद, इटावा के अभियन्ता द्वारा लाखों रुपये गबन किये जाने के सम्बंध में वक्तव्य

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

दिनांक 16 जुलाई, 1985 को जिलाधिकारी के प्रादेश से श्री कृष्ण अवतार द्विवेदी अभियन्ता, जिला परिषद, इटावा के विरुद्ध 10 शीपफुट रोलर मूल्य लगभग 45,500 रु0 तथा 51-84 घनमीटर पत्थर की गिट्टी, विभिन्न मापों की जिसका मूल्य लगभग 10,000 रु0 है, के दुरुपयोग, दुर्विनियोग एवं गबन की रिपोर्ट थाना कोतवाली, इटावा में दर्ज हुई है ।

इसके अतिरिक्त जिला परिषद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के धन का दुरुपयोग तथा अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर जिलाधिकारी अपने आदेश दिनांक 20 मई, 1985 द्वारा मजिस्ट्रेरियल जांच के आदेश दे दिये हैं जिसमें 10.5 लाख ईटों के नियमों के विपरीत क्रय किये जाने की शिकायत है ।

इनके विरुद्ध वर्ष 1974-75 की केश योजना के कार्यों की सतर्कता जांच के परिणाम स्वरूप 2,83,161.80 पैसे के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार का अभियोग यू0 एस0 5 (2) भ्रष्टाचार अपराध एवं 409/477 आई0 पी0 सी0 के अधीन सत्र न्यायालय, इटावा के विचाराधीन है । उक्त मामलों में अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 17 अगस्त 1981 को प्रदान की गई है । न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किये जा चुके हैं ।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद, इटावा के आदेश दिनांक 23 जुलाई, 1983 द्वारा श्री कृष्ण अवतार द्विवेदी को उनके मूल अवर अभियन्ता के पद पर प्रत्यावर्तित करके निलम्बित कर दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता--

पहले वह सदस्य बोलें जिन्होंने इसको उठाया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, इस पर लिखा होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर लिखा है ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, काम रोको प्रस्ताव में जो बिन्दु उठाये गये उनका जवाब नहीं आया । मैं यह पूछ रहा हूं कि यह कृष्ण अवतार द्विवेदी का मूल पद क्या था ? हमारी इनफार्मेशन यह है कि ट्रेसर या ड्राफ्टमैन थे और उनका प्रमोशन कब-कब हुआ और कम्पलेन्ट उनकी कब हुई और कब चार्जशीटेड हुये ? कम्पलेन्ट चार्जशीट के बाद उनका प्रमोशन नहीं होना चाहिये था ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

दिनांक 12 नवम्बर, 1971 को कृष्ण अवतार द्विवेदी की नियुक्ति शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में जिला इटावा में अवर अभियन्ता के पद पर की गयी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, पहले इनका जवाब हमें दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

यह उत्तर आया है कि अवर अभियन्ता के पद पर थे ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, इनका प्रोमोशन कब हुआ ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ये वहां पर टाउन एरिया ओवरसियर थे । इन्होंने एक प्रतिवेदन दिया कि जिला परिषद में इन्हें नियुक्त कर दिया जाय । वहां पर एक स्थान रिक्त था ।

इनकी नियुक्ति कर दी गई । नियुक्ति करने के बाद इनसे बराबर मांगा जाता रहा कि ये अपने मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें । लेकिन इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया इनको जो निलम्बित किया गया है, उसकी चार्जशीट में यह भी आरोप है कि आपसे बराबर प्रमाण-पत्र मांगे गये आपकी योग्यता के सम्बन्ध में किन्तु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।

श्री राम औतार दीक्षित -

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो क्रैश योजना का कार्य था, जिसमें सतर्कता विभाग जांच कार्य कर रहा है, इसके कार्य को कितने अवर अभियन्ताओं ने पूरा किया, उनकी संख्या और उनका नाम बताने की कृपा करें । इस प्रोग्राम में लगे अभियन्ताओं की कुछ तो संख्या होगी तो कितने अभियन्ता इसमें लगाये गये ? बताने की कृपा करें ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, क्रैश योजना में कितने और लोगों ने काम किया, इसकी सूचना नहीं है, लेकिन इस योजना के तहत जो जांच की गयी उसमें इनके विरुद्ध लगभग 2 लाख का गबन पाया गया ।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मैंने पूछा है कि इसमें कई लोगों ने पार्टीसिपेट किया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, कोई योजना चलती है तो उसमें कई लोग लगते हैं, जिम्मेदारी किसकी है यह देखने की बात है । जांच में जो जिम्मेदार पाया गया उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय मंत्री जी, जिस समय इन अभियन्ता महोदय ने अपनी प्रोन्नति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन दिया, उस समय ये किस पद पर थे और क्या जब उन्होंने प्रतिवेदन दिया उसके बाद, उनके प्रमोशन से पहले चार्जशीट देकर मामला दर्ज कर दिया गया था ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, पदोन्नति किये जाने के पूर्व इनके विरुद्ध विजिलेंस इन्क्वायरी हो रही थी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरे एक ही प्रश्न का जवाब आया । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब विजिलेंस इन्क्वायरी चल रही थी तो उसके चलते हुए प्रोन्नति कैसे हो गई ? जब विजिलेंस इन्क्वायरी चल रही थी, तब चार्जशीट के बाद उनको पदोन्नति किस अधिकारी ने, किस आदेश के तहत और किस तारीख को दी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, जिला परिषदों में अभियंताओं की पदोन्नति करने या उनको नियुक्ति करने का सक्षम अधिकारी जिलाधिकारी होता है । जिलाधिकारी ने इनको प्रोन्नति दी । कोई इन्क्वायरी से किसी की प्रोन्नति तो रुकती नहीं ।

श्री कमलेश कुमार पाठक--

जिलाधिकारी, इटावा ने 2,83,161·80 रु0 के गबन और भ्रष्टाचार के आधार पर दिनांक 17-8-81 को मुकदमा चलाये जाने की अनुमति दी थी । उन्हीं जिलाधिकारी के द्वारा डेढ़ माह बाद 30-9-81 को उन्हें पदोन्नति दी गई । तो, क्या उन जिलाधिकारी के विरुद्ध मन्त्री जी कोई कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मुकदमा चलाने के लिए जिलाधिकारी ने एफ0आई0आर0 लिखायी । एफ0आई0आर0 दर्ज हो गई । उसकी तफसीस हुई । तफसीस होने के बाद, जैसा कि मैंने अपने मूल जवाब में कहा है, न्यायालय में मुकदमा भेजा जा चुका है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मामला न्यायालय में जा चुका है। अब हम मद संख्या-14 लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, इसमें मेरा भी नाम है। आप मौका दें। मान्यवर, यह अत्यन्त गंभीर मामला है। मेरा भी उस में नाम है। आपने मुझे मौका नहीं दिया।

15 दिन पहले श्री रत्नाकर शुक्ला जो वहां के अपर मुख्य अधिकारी थे, ने छानबीन करके जिलाधिकारी को बताया कि इतना गबन और हो गया है, यह पहले गबन के अतिरिक्त में बता रहा हूं। उसके बाद यह उन्होंने एफ0आई0आर0 लिखायी। मान्यवर, उसके तुरन्त बाद ही उस रत्नाकर शुक्ला को वहां से ट्रांसफर होने का क्या औचित्य है ?

श्री अधिष्ठाता--

इसमें सवाल नहीं बनता।

(श्री माता प्रसाद पान्डेय के खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

यह बता दिया गया कि उनका निलम्बन कर दिया गया है। मामला न्यायालय में चल रहा है। जब अगली मद ले ली है। उसको चलने दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, इस विषय पर कई माननीय सदस्यों के नाम हैं। ठीक है, आप सबको मौका नहीं दे सकते। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक मौका माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी को और माननीय औसान सिंह जी को दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

मैं अगली मद संख्या में चला गया था। लेकिन, आपने बात कही है। इसे परम्परा न बनाते हुए, मैं श्री माता प्रसाद पाण्डेय और श्री औसान सिंह जी को एक-एक सवाल करने का मौका देता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या शासन ने 1978 में कोई इस प्रकार का आदेश जारी किया था कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हो तो उसको प्रोन्नति नहीं की जायेगी, यदि हां तो इन्हें किस आधार पर प्रोन्नत किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, यह सूचना मेरे पास नहीं है कि उन्हें प्रोन्नति न्यायालय में जाने के बाद दी गई या पहले। मेरे पास यह सूचना अवश्य है कि उनके खिलाफ विजिलेन्स की इन्क्वायरी चल रही थी, और शायद इसी के आस-पास उनकी प्रोन्नति भी की गई। प्रोन्नति का अधिकार भी जिलाधिकारी को है, जो इसके लिए सक्षम भी हैं।

श्री औसान सिंह--

अभी 15 दिन पहले उनके खिलाफ ढाई लाख रुपये के गबन का एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई। जिसका रहस्योद्घाटन वहां के ए0 एल0 ए0 ने किया। उसी कारण उनका स्थानान्तरण किया गया। माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे ईमानदार अधिकारी का स्थानान्तरण रुकवाने का आश्वासन देंगे और श्री के0 द्विवेदी, जो बिना लोक सेवा आयोग के वर्षों तक अभियन्ता के पद पर कार्यरत रहे हैं और अनियमित ढंग से प्रमोशन भी दिया गया है। वे कौन से कारण थे जिसकी वजह से इनको परमोशन दिया गया, किन परिस्थितियों में दिया गया और वह कौन सा राजनैतिक दबाव था जिसकी वजह से इनको प्रमोशन दिया गया ?

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको इस प्रश्न की इजाजत नहीं देता हूं। मन्त्री जी आप कुछ कहना चाहे तो कहें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय श्री औसान सिंह जी एक कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। गवाह चुस्त तो मुद्दई सुस्त। एक दिन अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, इटावा के ससुर मेरे पास आते हैं और यह कहते हैं कि मेरे दामाद को इटावा में नहीं रहना चाहिए, वहां उनकी जान को खतरा है और मेरी लड़की ने मुझ से कहा है कि उनका स्थानान्तरण यहां से करवा दीजिए। उनके निवेदन पर उनका स्थानान्तरण कर दिया गया और माननीय विधायक जी कहते हैं कि उनका स्थानान्तरण रोक दीजिए।

स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित दिनांक 18 जुलाई, 1985 के तारांकित प्रश्नों पर प्रश्नोत्तर

[माननीय स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित प्रथम गुरुवार (18-7-85) के तारांकित प्रश्न।]

ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों पर होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति

*4—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तृतीय चिकित्साधिकारी के रूप में होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु शासन में क्या कारण है तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु शासन क्या कर रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तृतीय चिकित्साधिकारियों के रूप में भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकों की नियुक्ति का निर्णय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथी डिस्पेंसरियां अलग से खोली गयी हैं व प्रतिवर्ष खोली जा रही हैं। इनके माध्यम से जनता को इस पद्धति की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय, मैंने जो किया था, उसका उत्तर मंत्री जी के जवाब में नहीं आया है। मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तृतीय चिकित्साधिकारी के रूप में होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति न दिये जाने का क्या कारण है ? इसका जवाब मन्त्री जी से दिलवा दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

माननीय, 150 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उत्तर प्रदेश में जहां पर स्थापित हैं वहां पर तृतीय होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने का प्रस्ताव है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय, कुल कितने ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र हैं। 150 पर आप नियुक्ति करने जा रहे हैं और शेष के बारे में आपकी क्या नीति है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ? ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एक भी नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

कुल उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 915 हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

इन 915 में से कितने पर तृतीय चिकित्सक के रूप में होम्योपैथिक चिकित्सक की नियुक्ति करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

150। आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक।

श्री राम आसरे वर्मा—

तृतीय मेडिकल आफिसर के रूप में जिन लोगों को नियुक्त करेंगे उनका वेतनमान दूसरे जो चिकित्सक हैं, उनके बराबर होगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

होम्योपैथिक का अलग वेतनमान है, वही रहेगा।

जनपद हरदोई के कतिपय अस्पतालों का प्रान्तीयकरण

*5—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के प्रा0 स्वा0 केन्द्र मल्लावां, सण्डीला सहित 6 अस्पतालों के प्रान्तीयकरण का मसला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर निर्णय कब तक हो जायेगा।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। यह मामला शासन में विचाराधीन है।

इस सम्बन्ध में जनपद से प्राप्त प्रस्ताव अपरिपक्व थे। जनपद से वांछित सूचना प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, हरदोई के कई चिकित्सालय जो जिला परिषद् के अधीनस्थ चल रहे हैं, उनके प्रान्तीयकरण का मसला बहुत पुराना है। मैं जानना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव अधूरा था उनको पूरा करने के लिए और जो कमी थी उसको दूर करने के लिए शासन से जिले के अधिकारियों के पास कब भेजा गया और कब तक यह उम्मीद की जाय कि उसका जवाब आ जाने के बाद निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

शासन ने यह निर्णय लिया है कि, बशर्ते वहां से जिलाधिकारी या जिला परिषद से सूचनाएं प्राप्त हो जाएं, तीन सूचनायें हैं, एक तो चिकित्सालयों की क्या स्थिति है, दूसरे उसमें प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित कितने कर्मचारी और अधिकारी हैं. तीसरे उन पर विगत 3 वर्षों में क्या व्यय हुआ है, 1985—86 में संडीला, शाहाबाद और पिलानी 6 हैं, इन 6 हों का प्रान्तीयकरण कर दिया जायेगा।

श्री अशोक बाजपेयी—

वे 6 अस्पताल कौन-कौन से हैं, उनके सम्बन्ध में जिले से प्रस्ताव कब आया था, प्रस्ताव आने के बाद भी उसके बारे में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

भिन्न-भिन्न तिथियों में भिन्न-भिन्न आयी।

श्री अशोक बाजपेयी—

कौन-कौन अस्पतालों की आयी हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मल्लावां है, पिलानी है, सण्डीला है....।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

बैठिये, उत्तर दे रहे हैं।

श्री अशोक बाजपेयी—

6 अस्पतालों के नाम पूछा है मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी, थोड़े विस्तार से जवाब दे दें। माननीय सदस्य हरदोई का इससे सम्बन्ध है।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, मल्लावां, सिहानी, सण्डीला शाहाबाद हैं, दो का नाम नहीं मिल रहा है, वैसे कुल 6 हैं ।

(बाद में फाइल तलाशते हुए वांछित कागज मिल जाने पर ।)

मान्यवर, यह मिल गया । महिला-पुरुष चिकित्सालय, सण्डीला हैं और पुरुष चिकित्सालय, मल्लावां, शाहाबाद, हरपालपुर, पिहानी है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जिन 6 चिकित्सालयों की बात माननीय मन्त्री जी ने यहां पर की है, उनमें से मल्लावां को नजरअन्दाज किये जाने का क्या कारण है, जिसके बाद में प्रान्तीयकरण करने की बात माननीय मन्त्री जी ने कही ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

श्रीमन्, के क्षेत्र में तो 30 शैय्या का बन गया है और किसी विधायक के क्षेत्र में तो बना भी नहीं है ।

श्री हरिशंकर तिवारी "बिलग्रामी"---

बिलग्राम तहसील मुख्यालय होते हुए भी किस कंटेगरी में है ? काफी समय हुआ प्रान्तीयकरण हुए, क्या जिला परिषद् से ले लिया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, इनका प्रश्न ही नहीं स्पष्ट हुआ ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री हरिशंकर तिवारी "बिलग्रामी"--

आपने इतने चिकित्सालयों का नाम लिया, बिलग्राम तहसील चिकित्सालय किस स्थिति में है ?

श्री अधिष्ठाता--

आपका प्रश्न फिर भी स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री हरिशंकर तिवारी "बिलग्रामी"--

आपके माध्यम से मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि तहसील मुख्यालय है बिलग्राम, वहां पर जो चिकित्सालय है, उसको भी सूची में ले लें और जल्द ही बनवा दें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सातवीं योजना में ले लिया जायेगा ।

प्रदेश के भौतिक एवं व्यवसायिक चिकित्सकों को समयबद्ध वेतनमान एवं पदोन्नति

*6---श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के भौतिक चिकित्सकों एवं व्यवसायिक चिकित्सकों के लिए समयबद्ध वेतनमान एवं वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति का कोई प्रावधान किया गया है ? क्या इन चिकित्सकों को सम्बद्ध वेतनमान एवं वरिष्ठ पदों पर पदोन्नत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

शासन में इस समय इन पदों पर समयबद्ध वेतन स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में निर्धारित नीति के अनुसार विचार किया जायेगा ।

इन चिकित्सकों के लिए किन्हीं वरिष्ठ पदों के सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति करके जिस पद पर भौतिक चिकित्सक तथा व्यवसायिक चिकित्सकों की नियुक्ति होती है, उसी से सेवा निवृत्त हो जाते हैं । क्या इनके लिए पदोन्नति के लिए वरिष्ठ पदों के सृजन के लिए निदेशालय को आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, इनके नाम में ही त्रुटि है । इनका अंग्रेजी नाम 'फीजियो-थिरापिस्ट' और 'रिहैबीटेटर' था । इनका हिन्दी अनुवाद हुआ 'भौतिक चिकित्सक' और व्यावसायिक चिकित्सक' । अभी मैंने कार्मिक विभाग से कहा है कि इनके लिए सही नाम लाये । जब सही नाम आयेगा, तब आगे विचार करेंगे ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि समयबद्ध वेतन स्वीकृत कराने के लिए कोई अप ऐसा आदेश पारित करेंगे कि जिस प्रकार से आपने अपने निदेशालय में लोगों की प्रोन्नति के लिए पद सृजित किए हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, यह तो वेतन आयोग के माध्यम से ही होगा ।

महिला अस्पताल विधूना, इटावा में महिला चिकित्सक का व्यवस्था

*7--श्री औसान सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि महिला अस्पताल विधूना, जनपद इटावा में विगत 4 वर्ष से कोई महिला चिकित्सक नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कब तक व्यवस्था करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

महिला अस्पताल विधूना, जनपद इटावा में माह जुलाई, 1983 तक महिला चिकित्साधिकारी कार्यरत थी । लोक सेवा आयोग से महिला चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति किए जाने व नियुक्त अधिकारियों की सूची प्राप्त होने के बाद नियुक्ति सम्भव होगी ।

श्री औसान सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जैसा कि मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जुलाई, 1983 तक वहां महिला चिकित्साधिकारी कार्यरत थी और अब सन् 1985 है तो इन दो वर्षों में यहां कोई महिला चिकित्साधिकारी को नियुक्ति नहीं हुई इसका क्या कारण है ?

श्री अधिष्ठाता--

कारण तो उत्तर के दूसरे पैराग्राफ में दिया हुआ है, यदि मन्त्री जी कोई कारण और बताना चाहें तो बतला दें ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

लोक सेवा आयोग से यदि नियुक्ति सम्भव है तो इसकी सूची कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

महिला चिकित्साधिकारियों की जो सूची प्राप्त हुई थी, उसमें 22 प्रतिशत महिलाओं ने नियुक्ति में हिस्सा लिया और शेष ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से इन्कार कर दिया और अपनी नियुक्ति वापस ले ली ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

जिन महिला चिकित्साधिकारियों ने ड्यूटी ज्वाइन की है, उनमें से किसी को क्या आप विधूना भेजेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश में 175 महिला चिकित्सालय हैं वे वहां जा चुकी हैं । वैसे दूसरी सूची आ रही है । मैंने जैसा कि उस दिन यहां सदन में बतलाया था कि हर जिलों में जो महिला चिकित्सक प्राईवेट चिकित्सा करती हैं, उनकी सेवाओं को हम मांग रहे हैं और जो महिला चिकित्साधिकारी सेवा निवृत्त हो चुकी हैं, उनको भी अब हम बुलायेंगे 50 रु0 प्रति दिन वेतन के हिसाब से और यात्रा भत्ता अलग से उनको हम देंगे ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर चिकित्सा की व्यवस्था करें ।

श्री औसान सिंह--

विधूना का चिकित्सालय महिला चिकित्साधिकारी के बिना दो वर्षों से

खाली पड़ा हुआ है । सभी 8 दिन पहले एक 16 साल की लड़की वहां पर चिकित्सा के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो गई । क्या मन्त्री जी प्राथमिकता के आधार पर किसी महिला चिकित्सक की नियुक्ति वहां करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मैं इटावा के मुख्य चिकित्साधिकारी को आदेश भेज दूंगा कि वे विधना में सप्ताह में दो बार एक महिला चिकित्साधिकारी को भेजेंगे ।

जिला चिकित्सालय, बस्ती में टयूबवेल आपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन के पद का स्वीकृति

*12--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला चिकित्सालय, बस्ती जहां 288 बेड़ों पर मरीज रहते हैं और कई वार्ड हैं । वहां टयूबवेल को चलाने के लिए तथा इलेक्ट्रीशियन तथा टयूबवेल आपरेटर के पद स्वीकृत नहीं हैं ? क्या यह सत्य है कि वरिष्ठ अधीक्षक बस्ती ने अपने पत्रांक मि0/85, दिनांक 21-1-85 तथा 11-3-85 द्वारा टयूबवेल आपरेटर तथा इलेक्ट्रीशियन के पद स्वीकृत करने की मांग की है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जिला चिकित्सालय, बस्ती में इलेक्ट्रीशियन तथा टयूबवेल आपरेटर का पद स्वीकृत नहीं है किन्तु वर्तमान में आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षित कर्मचारी द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है । वरिष्ठ अधीक्षक, बस्ती के प्रस्ताव की स्वीकृति प्लान परिव्यय तथा बजट प्राविधान उपलब्ध होने पर दी जानी सम्भव होगी ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जहां पर इलेक्ट्रीशियन नहीं हैं, वहां पर उनकी नियुक्ति की जायेगी । 5-5 और 7-7 वार्ड हैं, तो वहां पर कौन बल्ब लगावे और बिजली की कौन देखभाल करे, तो क्या इसकी व्यवस्था करेंगे और इलेक्ट्रिशियन के पद की स्वीकृति करा देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के हर चिकित्सालय में जहां जनपदीय चिकित्सालय हैं, जहां नलकूप हैं, जहां जनरेटर हैं वहां पर उनके आपरेटर और चालकों की नियुक्ति कर दी जायेगी । सारे प्रदेश में कर दी जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता--

पूरे प्रदेश का मामला हो गया । अब इसमें कोई सवाल नहीं उठता है ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला अस्पताल बस्ती में वार्ड ब्वॉय से इलेक्ट्रिशियन का काम लिया जा रहा है और जिसको बिजली का करेन्ट लगने के कारण चोट आ गयी थी और उसे अस्पताल में भरती नहीं किया गया बल्कि प्राइवेट दवा की गयी, तो क्या माननीय मंत्री जी वहां पर इलेक्ट्रिशियन की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी ने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री भगवती सिंह बिशारद--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन अस्पतालों में जनरेटर नहीं हैं वहां पर भी उनकी व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रदेश के 46 जनपदों में जनरेटर की व्यवस्था की जा रही है । 26 लग चुके हैं । 20 इस वर्ष लग जायेंगे । 16 जिला अस्पतालों में और प्रदेश के हर मेडिकल कालेज में डाइरेक्ट फीडर बाइन और जनरेटर की व्यवस्था की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के जिन चिकित्सालयों में नलकूप हैं, सभी पर नलकूप आपरेटर की नियुक्ति हो जाये और जहां पर जनरेटर हैं, वहां पर उसके चालक की नियुक्त हो जाये, ऐसा मेरा प्रयास है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्साधिकारियों को अतिरिक्त सुविधाएं देने पर विचार

*13--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों (विशेषकर सीमांत क्षेत्रों में) चिकित्साधिकारियों के पद लम्बे समय से रिक्त पड़े रहते हैं ? यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार की तरह राज्य सरकार 25 प्रतिशत ग्रामीण पर्वतीय भत्ता अतिरिक्त देने, पदोन्नति के लिए विशेष वरीयता देने के विषय पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

पर्वतीय क्षेत्र में जिन चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती है, उनमें अधिकांश चिकित्साधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं ।

लोक सेवा आयोग से जुलाई, 85 के द्वितीय सप्ताह में पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र हेतु चिकित्साधिकारियों की सूची प्राप्त हो गयी है । इस सूची में से पर्वतीय क्षेत्र की अधिक रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जायेगा ।

केन्द्र सरकार की तरह 25 प्रतिशत ग्रामीण, पर्वतीय भत्ता देने, पदोन्नति के लिये बिशेष वरीयता देने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है । यह प्राविधान किया गया है कि अधिकारियों की दक्षता रोक पार करने की अनुमति व प्रोन्नति तभी दी जा सकती है, जब वह न्यूनतम 2 वर्ष की ग्रामीण अथवा पर्वतीय सेवा कर चुके हों ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी महसूस करते हैं कि अधिकांश चिकित्साधिकारी पर्वतीय क्षेत्र में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं और वह यह भी मानते हैं कि 25, प्रतिशत भत्ता दे नहीं सकते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सकों की लगातार कमी होती जा रही है, उसको दूर करने के लिये कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता---

उत्तर में आ तो गया है ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

जैसा कि माननीय मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि वह 25 प्रनिशत का इन्सेन्टिव दे नहीं सकते हैं और चिकित्सक वहां पर ज्वाइन नहीं करते हैं, तो माननीय मंत्री जो कौन सा व्यवस्था करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

इसके लिये पर्वतीय उप-संवर्ग बना दिया गया है ।

श्री काशी सिंह---

जो पर्वतीय सम्वर्ग बनाया गया है, उसके लिये कितने चिकित्सक और महिला चिकित्सक उपलब्ध हैं ? मंत्री जी बताने का कष्ट करें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, पर्वतीय संवर्ग के महिला चिकित्सकों के 390 स्थान रिक्त हैं और आज की स्थिति यह है कि 380 चिकित्सक भर दिये जा रहे हैं । उसके बाद देखा जायेगा कि वह जा रहे हैं या नहीं ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

कब तक नियुक्ति हो जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूची आ गई है और अब नियुक्ति को कार्यवाही शुरू हो जायेगी ।

जनपद सहारनपुर के सी० एम० ओ० के विरुद्ध श्रीमती वचन देवी द्वारा दिये गये शिकायती पत्र की जांच

*14--श्री किशन लाल दिलेर--

अष्टम विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के उरे गुरू के लिए अता प्र० सं० 74 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच के दौरान पुलिस अधीक्षक ने शिकायतकर्त्ता अथवा उसके गवाहों से भी सम्पर्क स्थापित किया ? यदि नहीं, तो शिकायत को किस आधार पर निराधार पाया गया ? क्या सरकार इनकी पुनः जांच कराने तथा शिकायतकर्त्ता एवं उनके गवाहों के बयान लेने के पश्चात इस पर निर्णय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

शिकायतकर्त्ता का प्रश्नगत पत्र दिनांक 5-7-77 तथा उसकी जांच से सम्बन्धित पुलिस अभिलेख अब नष्ट किये जा चुके हैं । अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायत कर्त्ता व उसके गवाहों से सम्पर्क करने के बिन्दु पर प्रकाश डालना अब सम्भव नहीं है । पूर्ण जांच कराने के उपरान्त उस समय ही यह शिकायत निराधार पायी गयी थी ।

इस मामले की दुबारा जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है ।

जनपद उन्नाव में कतिपय चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्रों की जांच

*16--श्री हृदय नारायण दीक्षित--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मार्च/अप्रैल, 1985 में चिकित्साधिकारी, उन्नाव व कुछ अन्य चिकित्साधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं सी० एम० एस० डी० स्टोर में की गयी खरीदारी से सम्बन्धित गम्भीर आरोप के कुछ पत्र उन्नाव के विधायकों से प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों को दंडित किया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

उन्नाव के दो विधायकों का 22 मार्च, 1985 का शिकायती पत्र मिला था ।

मामले की जांच मन्डलीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सौंपी गई है, जो जांच पूरी नहीं कर पाये । अब मण्डलीय संयुक्त निदेशक के स्थान पर अपर निदेशक, नियुक्त हो गये हैं । अतः अब वह जांच पूर्ण करेंगे ।

जांच पूर्ण होने पर ही दोषी पाये गये अधिकारियों के विपरीत कार्यवाही सम्भव होगी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि उन्नाव के जिन दो विधायकों के पत्र प्राप्त होने की जो स्वीकारोक्ति माननीय मन्त्री जी ने की है उनके नाम क्या हैं और उनकी शिकायतें क्या-क्या हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, एक तो खुद ही हैं । दो विधायक हैं श्री हृदय नारायण दीक्षित तथा दूसरे श्री सुन्दर लाल ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

अब शिकायतें बता दें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

यह भी आप जानते हैं

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया इस बात का ध्यान रखें कि सदन के एक मिनट में समय में पैंतीस सौ रुपये लगता है । उस हिसाब से सवाल करें और सदन का ज्यादा वक्त न लें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, उनकी शिकायतें इस प्रकार हैं--

1--दवाओं की खरीद में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सी0 एम0 एस0 डी0 के स्टोर आफिसर की सांठ-गांठ से अनियमितता की गई ।

2--अस्पताल से सम्बन्धित दूध, खाद्यान्न, मरम्मत, साइकिल स्टैंड व अन्य ठेके गलत एवं अनियमित ढंग से धन लेकर दिये गये एवं जो सामान आया व लगा वह निम्न कोटि का है ।

3--सामाजिक संस्थाओं के तत्वाधान में जो आख व अन्य कैंप लगाये जाते हैं उनमें सरकार से प्रदत्त अनुदान से जनता को लाभ नहीं मिल पाता ।

इन तीनों शिकायतों के बारे में एडीशिनल डाइरेक्टर, लखनऊ मण्डल पांच कर रहें हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, असली बात सामने नहीं आई ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई तथा गणपूर्ति न होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन सायंकाल 6 बज कर 18 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ : माल चन्द्र शुक्ल,
25 जुलाई, 1985 सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर।)

वित्तीय वर्ष 1984-85 में खाद्य तथा रसद विभाग के आय-व्ययक के अनुसार अनुपूरक मांग सहित मूल प्राविधान आवंटन

क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	कुल आवंटन	
1	2	3	
		रु०	
1	"249—ब्याज का भुगतान—क— आन्तरिक ऋणों पर ब्याज—अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज भारत के स्टेट बैंकों तथा अन्य बैंकों से खाद्यानों के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज (भारित)	2,00,00,000	भारित
2	"268—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें—क— अन्य व्यय उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को सहायक अनुदान"	11,03,000	मतदेय
3	"288—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण— आयोजनेत्तर—क— सिविल सप्लाइज—सिविल सप्लाइज योजनायें"	2,18,75,000	मतदेय
		35,000	भारित
4	"304—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें—घ— माप तौल का विनियमन"	1,17,72,000	मतदेय
		5,000	भारित
5	"309—खाद्य—आयोजनेत्तर—क— निदेशन एवं प्रशासन"	11,18,92,000	मतदेय
		50,000	भारित
6	"309—खाद्य—आयोजनेत्तर—अनुसंधान प्रशिक्षण और मूल्यांकन—2—क्षेत्रीय प्रसार सेवा केन्द्र (चावल प्रशोधन) चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौधोगिक विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान—सहायक अनुदान अंशदान राज्य सहायता"	1,62,000	मतदेय
7	"509—खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय—क— उपलब्धियां एवं सम्पूर्ति—अन्न सम्पूर्ति योजना"	5,74,08,62,000	मतदेय
		50,000	भारित
8	"603—राज्य सरकार के "आन्तरिक ऋण स्टेट बैंक आफ इन्डिया तथा अन्य बैंकों से ऋण-खाद्यान्नों के लिए प्राप्त ऋण का प्रतिदान"	38 37,00,000	भारित

पी० एस० यू० पी०—26 वि० स०—9-9-85—813 पी० डी०